



भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का

(वाणिज्यिक)

मध्यप्रदेश सरकार

विषय - सूची

	कण्डिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xii
अध्याय - 1		1
सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.2	2
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.2.1	2
बजट में दी गई राशियाँ, अनुदान/आर्थिक सहायतायें, गारंटियाँ, दायित्वों का छोड़ना और ऋणों का अंश-पूँजी में परिवर्तन	1.2.2	4
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना	1.2.3	5
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्य चालन परिणाम	1.2.4	7
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	1.2.5	9
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.3	10
विधानसभा में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखने की स्थिति	1.4	12
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन	1.5	12
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने हेतु अनुशंसाएँ	1.7	15
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं तथा समीक्षाओं के उत्तर	1.8	15
सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	16
619-बी कम्पनियाँ	1.10	16

	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ
अध्याय – 2		17
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के व्यावसायिक क्रिया कलाप	2	17
मुख्यांश		17
प्रस्तावना	2.1	18
क्रिया कलापवार बजट व्यवस्था	2.2	19
व्यापारिक क्रियाकलाप	2.3	19-28
उपसंहार		29
अध्याय – 3		31
सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षा		
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, में सामग्री व्यवस्थापक एवं भण्डार सूची नियंत्रण	3	31
मुख्यांश		31
प्रस्तावना	3.1	31-32
संगठनात्मक संरचना	3.2	32
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.3	32
सामग्री व्यवस्थापन	3.4	33-36
भण्डार सूची नियंत्रण	3.5	36-41
भण्डार व्यवस्थापन	3.6	41-46
उपसंहार		46
अध्याय – 4		47
विविध रुचिकर प्रकरण		47
सरकारी कम्पनियाँ	4क	47
मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	4 क.1	47
सह उद्यम कम्पनी में अलाभकारी विनिवेश	4 क.1.1	47-48

	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित, भोपाल	4क.2	48
मैसर्स हेग लिमिटेड, मंडीदीप से प्रीमीयम राशि की वसूली न होना	4 क.2.1	48-49
मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित	4 क.3	50
नरसिंहगढ़ में चर्मशोधन कारखाना स्थापित करने में अलाभकारी निवेश	4 क.3.1	50-51
मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित	4 क.4	51
निर्यात पैकिंग साख अग्रिमों की वसूली न होना	4 क.4.1	51-52
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	4 क.5	53
आर्थिक सहायता की वसूली न होना	4 क.5.1	53
परिहार्य अनुग्रह अनुदान भुगतान	4 क.5.2	54
मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित	4 क.6	55
विनिवेश निर्णय में विलम्ब के कारण हानि	4 क.6.1	55-56
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	4 क.7	56
मूँग व सोयाबीन के विक्रय में हानि	4 क.7.1	56-57
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	4 क.8	57
जैतपुरा गांव में सोलर वोल्टेक विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय	4 क.8.1	57-58
आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	4 क.9	58
तैयार फाइबर गुणवत्ता मानक स्तर एवं असमान लंबाई के कारण अस्वीकार हो जाने से परिहार्य हानि	4 क.9.1	58-60
सांविधिक निगम	4 ख	60
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	4ख.1	60
अनुज्ञप्ति (लायसेन्स) का नवीनीकरण न होना	4ख.1.1	60-61

	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	4ख.2	61
पनबिजली परियोजनाओं में 14.56 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन	4ख.2.1	61-66
कार्यस्थल एवं रूपांकन सौंपने में विलम्ब के कारण 0.54 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय	4ख.2.2	66-67
माल भाड़ा भुगतान के दोषपूर्ण उपबंध के कारण 0.83 करोड़ रुपए की हानि	4ख.2.3	67-68
एक निजी न्यास से भूमि के बाजार मूल्य की वसूली न होने के कारण 7.06 लाख रुपए के ब्याज की हानि	4ख.2.4	68-69
परिशिष्ट		
1. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजटाधीन प्राप्त ऋण, अंशपूंजी/ अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31.3.2001 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2	71-74
2. सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों, जिन्होंने अपने लेखाओं का अंतिम रूप दिया के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.2.3, 1.2.4, 1.2.4.1.1, 1.2.5, 1.3.4, 1.3.5	75-76
3. वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, दायित्वों का छोड़ना ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2001 के अन्त तक प्राप्त आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.2 एवं 1.3.2	79-82
4. सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4	83-84
5. सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4	85-86
6. सांविधिक निगमों के कार्य निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4.2.3	87-90
7. विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.8	91
8. विभागवार प्रारूप कण्डिकाएं/समीक्षाएं जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए की स्थिति दर्शाने वाला	1.8	92

	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ
9. 619-बी कम्पनी के नवीनतम अन्तिम लेखे के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं सारांशीकृत कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.10	93
10. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड में 31 मार्च 2000 को समाप्त 5 वर्षों हेतु किया कलापवार मूल/संशोधित अनुमानित लाभ एवं वास्तविक लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.2	94
11. 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड में प्रेषण विक्रय एवं अपनी व्यापारिक वस्तुओं का विक्रय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.2.2	95
12. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की 8 लघु/सूक्ष्म पनबिजली विद्युत परियोजनाओं से संबंधित अनुमानित/वास्तविक लागत, स्थापना की निर्धारित वास्तविक तिथि, विद्युत का अनुमानित /वास्तविक उत्पादन आदि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4ख.2.1	96

प्रस्तावना

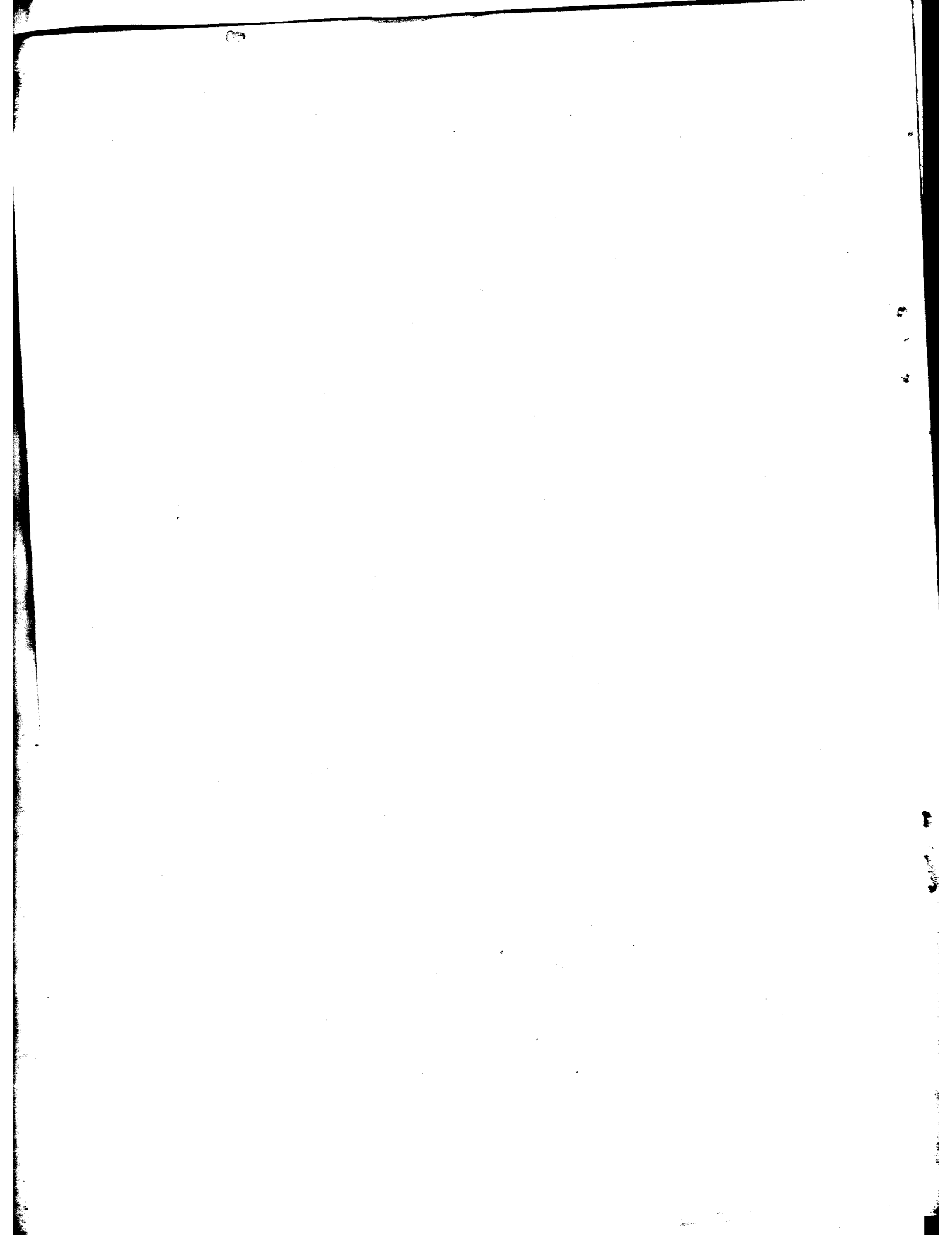
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं :

- (i) सरकारी कम्पनियां
- (ii) सांविधिक निगम, तथा
- (iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल सहित सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19—क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जो सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का भी नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को अधिकार है। मध्यप्रदेश राज्य भंडारगृह निगम के संबंध में नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित किए गए हैं जो वर्ष 2000—2001 के दौरान लेखापरीक्षा में ज्ञात हुए और वे भी जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया। जहां कहीं आवश्यक समझा गया 2000—2001 की उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं।



1. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2001 को राज्य में 30 सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों सहित 34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जो विगत वर्ष की भांति यथावत थे। तथापि 30 सरकारी कम्पनियों में से अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या पांच से बढ़कर छः हो गई। इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-बी के अंतर्गत 31 मार्च 2001 को एक कम्पनी थी।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2000 को 8619.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2001 को 8642.54 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भी कुल निवेश इसी अवधि के दौरान 12.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.97 करोड़ रुपये हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजीगत ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दिया गया बजट योगदान 1999-2000 में 259.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 613.97 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार ने 2000-01 के दौरान एक अकार्यशील कम्पनी को भी अनुदान के रूप में 0.60 करोड़ रुपये जारी किए। 2000-01 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 7648.65 करोड़ रुपये के ऋणों की गारंटी दी। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों की कुल लम्बित राशि 31 मार्च 2000 को 729.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2001 को 5629.14 करोड़ रुपये हो गई।

तीन कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा एक कार्यशील सांविधिक निगम ने वर्ष 2000-01 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है। शेष 21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा 03 कार्यशील सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2001 को एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक लम्बित थे। दो अकार्यशील सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2000-01 के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया तथा चार अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 2001 को 5 से 12 वर्षों की अवधि तक लम्बित थे।

अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार 16 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (14 सरकारी कम्पनियों तथा 2 सांविधिक निगमों) ने कुल 44.09 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। किसी भी सरकारी कम्पनी ने लाभांश घोषित नहीं किया। दूसरी ओर अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार 12 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों) को कुल 1467.76 करोड़ रुपये की हानि हुई। हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से छः कम्पनियों की संचित हानियां कुल 99.81 करोड़ रुपये थीं जो उनकी 43.46 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी से दो गुना से

अधिक थीं। हानि उठाने वाले एक सांविधिक निगम की संचित हानि 574.44 करोड़ रुपये थी जो उसकी 182.37 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से तीन गुना से भी अधिक थी।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में पारेषण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता कुल उपलब्ध विद्युत के 1997-98 में 19.14 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 31.62 प्रतिशत हो गई। यद्यपि विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत में 1997-98 में 30485.97 मेगा किलोवाट से 1999-2000 में 34434.407 मेगा किलोवाट तक वृद्धि हुई तथापि विक्रीत विद्युत इसी अवधि में 24651.849 मेगा किलोवाट से घटकर 23546.856 हो गई।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता 79 से घटकर 75 प्रतिशत रह गई तथा सकल किलोमीटरों की तुलना में निष्क्रिय किलोमीटर की प्रतिशतता 1997-98 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 3 प्रतिशत हो गई।

11 सरकारी कम्पनियों के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने पर भी उनका पृथक टर्न ऑवर अद्यतन अन्तिम संविरत लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये से भी कम था। इसी प्रकार एक सरकारी कम्पनी (कार्यशील), उसके अद्यतन संविरत लेखे के अनुसार निरन्तर पांच वर्षों से हानि उठा रही थी जिससे निवल पूंजी में ऋणात्मक प्रभाव हुआ। उक्त 12 कम्पनियों को बंद करने की अनुशंसा की गई है।

(कंडिका 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 एवं 1.10)

2. सरकारी कम्पनियों की कार्य प्रणाली पर समीक्षाएं

2 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित के व्यावसायिक क्रियाकलाप

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित (कम्पनी) को एक सरकारी कम्पनी के रूप में राज्य में लघु उद्योगों के हित संवर्धन और उनके द्रुत विकास में सहायता हेतु 28 दिसम्बर 1961 को निगमित किया गया था।

राज्य में लघु उद्योग इकाइयों का संवर्धन करने के अपने मुख्य उद्देश्य में कम्पनी विफल रही क्योंकि वह बहुत ही कम इकाइयों को सहायता उपलब्ध करा सकी तथा सामान्य निर्माण क्रियाकलापों में संलग्न रहते हुए अपने मुख्य उद्देश्य से भी भटक गई।

(कंडिका 2.1 एवं 2.3.1.1)

कम्पनी के क्रियाकलापवार विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 1999-2000 तक के सभी पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के तकनीकी विभाग को हानि हो रही थी।

(कंडिका 2.2)

कम्पनी ने कच्चे माल डिपो, सम्पदा एवं निर्माण शाखा को बन्द करने संबंधी भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड की अनुशंसाओं को क्रियान्वित नहीं किया।

(कंडिका 2.3)

3. सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षा

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में भण्डार सामग्री नियंत्रण एवं प्रबंधन

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) का गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अधीन अप्रैल 1957 में किया गया था। 1995-96 से 1999-2000 के गत पांच वर्षों के दौरान मण्डल द्वारा क्रय की गई भण्डार सामग्री (ईंधन सहित) का मूल्य क्रमशः 1367.23 करोड़ रुपये, 1657.01 करोड़ रुपये, 1972.01 करोड़ रुपये, 1962.25 करोड़ रुपये तथा 1924.25 करोड़ रुपये था जो मण्डल के कुल व्यय का 34.87 प्रतिशत से 27.08 प्रतिशत था। मण्डल ने धारक भण्डार सामग्री की अधिकतम, निम्नतम मात्रा तथा पुनरादेश स्तर का निर्धारण नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप मण्डल द्वारा अनेक सामग्री मर्दे बिना आवश्यकता के क्रय की गई। समीक्षा के दौरान प्रकाश में आए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

रबी मौसम 2000-2001 हेतु प्रयोज्य ट्रांसफार्मरों के विलम्बित क्रय आदेश प्रस्ताव देने के साथ ही स्थापन में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप 8.61 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.1 एवं 3.4.1.1)

1.47 करोड़ रुपये मूल्य के दो अग्निशमन तंत्र 2 से 9 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी चालू नहीं किए गए।

(कंडिका 3.5.2.1 एवं 3.5.2.2)

टर्बो-जनरेटर सेटों एवं अन्य संबंधित उपकरणों की प्राप्ति में आवश्यकता से अधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप 19.61 करोड़ रुपये की राशियां अवरोधित रहीं।

(कंडिका 3.4.1.3(ख))

4. विविध रुचिकर प्रकरण

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम अंशों का समयानुकूल विनिवेश करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 8.84 करोड़ रुपये का निवेश अलाभकारी सिद्ध हुआ।

(कंडिका 4 क. 1.1)

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) गैर औद्योगिक उद्देश्य के लिए पट्टे पर दी गई भूमि की प्रीमियम राशि 7.84 करोड़ रुपये वसूल करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन रहा तथा 1.18 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4 क. 2.1)

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित, 1.00 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित चर्म शोधन शाला में कार्यक्षम निस्सारण उपाचारी संयंत्र के स्थापन में विफल रहा, परिणामस्वरूप उत्पादन रुका रहा।

(कंडिका 4 क 3.1)

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने ऊंची दरों पर मूंग एवं सोयाबीन का क्रय किया, परिणामस्वरूप 0.29 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 4 क. 7. 1)

कार्यस्थल एवं रूपांकन सौंपने में विलम्ब के कारण मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 0.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

(कंडिका 4 ख.2.2)

ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति पर लदान भाड़ा के भुगतान हेतु दोषपूर्ण उपबंध के कारण मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 0.83 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 4 ख.2.3)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2001 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 30 सरकारी कम्पनियां (24 कार्यशील कम्पनियां तथा 6 अकार्यशील*) थी जबकि 31 मार्च 2000 को 30 सरकारी कम्पनियां (25 कार्यशील कम्पनियां तथा 5 गैर कार्यशील कम्पनियां) और 4 सांविधिक निगम (समस्त कार्यशील) थे। सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन भी हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 69(2)	पूर्णतया नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा
2.	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33(2)	पूर्णतया नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 (6)	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4-	मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम	राज्य भाण्डागार अधिनियम 1962 की धारा 31(8)	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

* अकार्यशील कम्पनियां वे कम्पनियां हैं जो परिसमापन/ बन्द होने/ संविलियन की प्रक्रिया के अधीन हैं।

1.2 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यूएस)

1.2.1 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2001 को 28 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (24 सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों) में कुल निवेश 8642.54 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 645.13 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण* : 7885.64 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि : 111.17 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 2000 को 29 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (25 सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों) में 8619.16 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 637.95 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण 7868.53 करोड़ रुपए तथा अंश आवेदन राशि : 112.68 करोड़ रुपये) का कुल निवेश था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण आगामी कण्डिकाओं में दिया गया है।

1.2.1.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियां

24 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2001 को कुल निवेश 980.23 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 241.55 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण : 734.54 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि : 4.14 करोड़ रुपये) था जबकि 25 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2000 को कुल निवेश 947.75 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 235.97 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण : 707.53 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि 4.25 करोड़ रुपये) था।

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में अंशपूजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का सारांशित विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2001 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश में अंशपूजी पूंजी का 25 प्रतिशत तथा ऋणों का 75 प्रतिशत समाविष्ट है जो गतवर्ष के समान ही है।

विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूजी एवं दीर्घकालीन ऋण) तथा 31 मार्च 2001 एवं 31 मार्च 2000 के अन्त में उसका प्रतिशत वृत्त आरेख में दिया गया है—

*

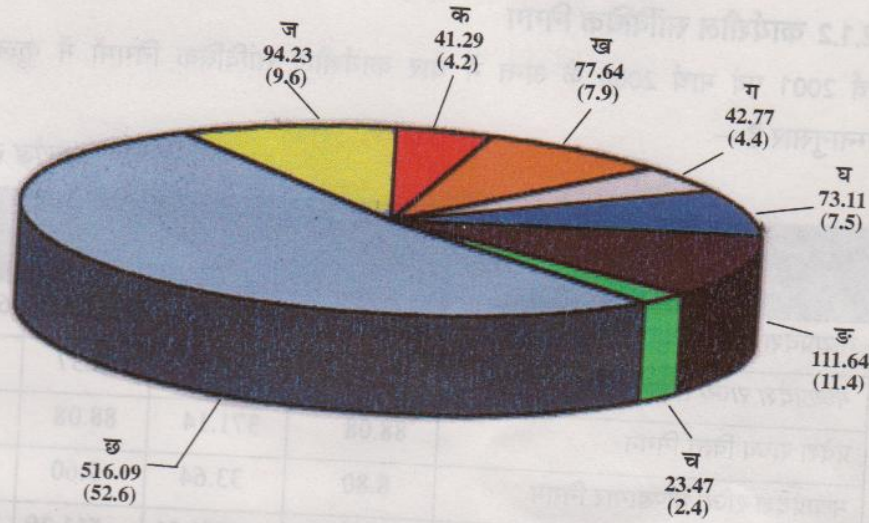
कण्डिका 1.2.1, 1.2.1.1 तथा 1.2.1.2 में उल्लिखित दीर्घकालीन ऋणों में ऐसे ऋणों पर उपार्जित तथा देय ब्याज सम्मिलित नहीं है।

अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

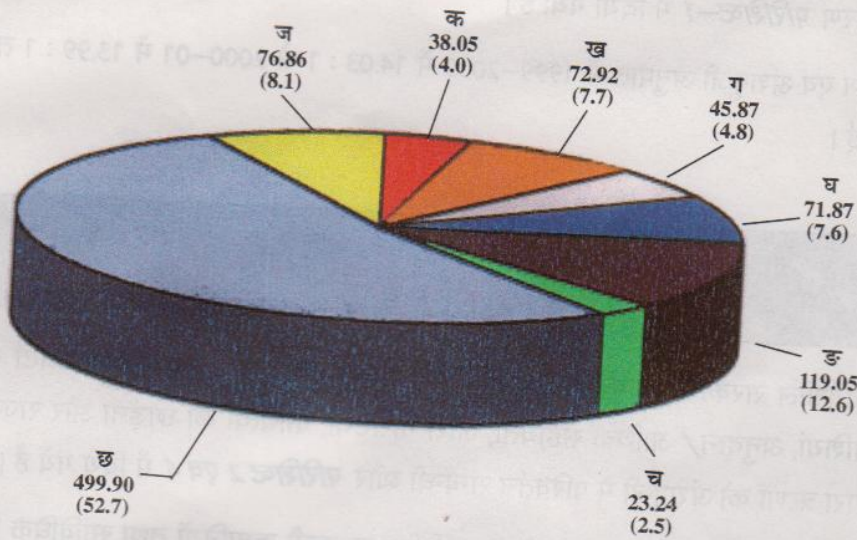
(कोष्टक में आंकड़े निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

(करोड़ रुपयों में)

31 मार्च 2001 को निवेश



31 मार्च 2000 को निवेश



- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| क—औद्योगिक विकास | ख—इलेक्ट्रानिक्स | ग—निर्माण एवं क्षेत्र विकास |
| घ—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास | ङ—वन एवं खनन | च—पर्यटन |
| छ—वित्त व्यवस्था | ज—विविध | |

टिप्पणी:— *विविध में, कृषि, वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प और सार्वजनिक वितरण भी सम्मिलित हैं।

वित्त, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उद्योग क्षेत्रों के दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि के कारण ऋण एवं अंशपूजी अनुपात में 1999-2000 में 2.95 : 1 से 2000-2001 में 2.99 : 1 तक वृद्धि हुई।

1.2.1.2 कार्यशील सांविधिक निगम

मार्च 2001 एवं मार्च 2000 के अन्त में चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	231.15	6712.75	231.15*	6712.75*
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	182.37	43.48	182.37	43.48
प्रदेश राज्य वित्त निगम	88.08	371.14	88.08	374.14
मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम	8.80	33.64	9.60	20.73
योग	510.40	7161.01	511.20	7151.10

अंशपूजी एवं ऋण के रूप में कार्यशील सांविधिक निगमों में सरकारी निवेश का सारांशित विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

ऋण एवं अंशपूजी अनुपात में 1999-2000 में 14.03 : 1 से 2000-01 में 13.99 : 1 तक कमी आई।

कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को प्रदेश सरकार के बजटों में दी गई राशियां, अनुदान/ आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, दायित्वों का छोड़ना और राज्य सरकार द्वारा ऋणों को अंशपूजी में परिवर्तन सम्बन्धी ब्यौरे **परिशिष्ट 2 एवं 4** में दिये गये हैं।

2000-01 तक के तीन वर्षों के लिये कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को बजटों में दी गई राशियां (अंशपूजी तथा ऋणों के रूप में) और राज्य सरकार से अनुदान/ आर्थिक सहायता निम्नानुसार है :-

* चूंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 2000-01 के आंकड़े प्रेषित नहीं किये हैं इसलिए चालू वर्ष हेतु भी पिछले वर्ष के आंकड़े लिये गये हैं।

(राशि : करोड़ रुपयों में)

	1998-99				1999-2000				2000-01			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से अंशपूर्जी	2	3.70	1	1.80	4	3.11	1	1.80	2	2.00	--	--
बजट से दिये गये ऋण	4	11.21	2	218.40	4	16.82	1	218.31	4	30.69	1	216.31
अनुदान	4	7.19	1	9.24	3	11.32	--	--	4	13.28	1	6.67
निम्न हेतु आर्थिक सहायता	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(i) परियोजना/कार्यक्रम/योजना	5	2.28	1	282.44	1	7.07	1	0.78	6	7.85	1	334.47
(ii) अन्य आर्थिक सहायता	2	0.60	3	24.43	1	0.29	--	--	2	2.70	--	--
(iii) आर्थिक सहायता का योग	6	2.88	3	306.87	2	7.36	1	0.78	7	10.55	1	334.47
कुल व्यय	14*	24.98	4*	536.31	10*	38.61	2*	220.89	14*	56.52	1*	557.45

2000-01 के दौरान राज्य सरकार ने 8 कार्यशील सरकारी कम्पनियों (186.41 करोड़ रुपये) तथा 3 कार्यशील सांविधिक निगमों (7462.24 करोड़ रुपये) द्वारा प्राप्त कुल 7648.65 करोड़ रुपये के ऋणों की गारंटी दी थी। गतवर्ष के अन्त में 11 सरकारी कम्पनियों (245.03 करोड़ रुपये) तथा 2 सांविधिक निगमों (484.00 करोड़ रुपये) पर बकाया 729.03 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के अन्त में 8 कार्यशील सरकारी कम्पनियों (159.21 करोड़ रुपये) तथा 3 कार्यशील सांविधिक निगमों (5469.93 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 5629.14 करोड़ रुपये की गारंटियां बकाया थी। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित ने वर्ष के दौरान गारंटीकृत ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया। मार्च 2001 के अन्त में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किया जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 1.21 करोड़ रुपये तथा 0.65 करोड़ रुपये था।

12.3 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

प्रत्येक दिन वर्ष हेतु कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम 1956 जिसे नियंत्रक-महलेखन-निरीक्षक (कर्तव्य अधिकारी और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के

यह उन कम्पनियों/ निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने सम्बन्धित वर्षों में राज्य सरकार से अंशपूर्जी, ऋण, अनुदान तथा आर्थिक सहायता के रूप में बजट सम्बन्धी सहयोग प्राप्त किया है।

साथ पढ़ा जाय, की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी के अधीन सम्बन्धित वित्त वर्ष के अन्त से छः माहों के भीतर अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित होता है। उन्हें वित्त वर्ष के अन्त से नौ माह के भीतर विधान सभा को प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। समानरूपेण सांविधिक निगमों के प्रकरणों में भी उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार उनके लेखे तैयार किये जाते हैं, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है, 24 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से केवल 3 कम्पनियों और 4 कार्यशील सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने 2000-2001 के लेखाओं को तैयार किया। अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान 18 कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षों के 22 लेखे तैयार किये। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान 4 कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्षों के 4 लेखे ही तैयार किये।

21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों 3 सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2001 को एक वर्ष से लेकर पांच वर्षों तक की अवधि हेतु बकाया थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वित्त वर्ष का बकाया है	वर्षों की संख्या निम्न से बकाया है	कार्यशील कम्पनियों / निगमों की संख्या		परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1.	1996-97 से 2000-2001	5	1	—	क-18	—
2.	1997-98 से 2000-2001	4	3	—	क-8, 10, 21	—
3.	1998-99 से 2000-2001	3	3	—	क-2, 7, एवं 19	—
4.	1999-2000 से 2000-2001	2	5	—	क-1, 4, 20, 22, एवं 23	—
5.	2000-2001	1	9	3	क-3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, एवं 24	ख-1, 2 एवं 4
			21	3		

प्रशासनिक विभागों को यह देखना तथा सुनिश्चित करना है कि लेखे निर्धारित अवधि में तैयार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अंगीकृत किये जाँय। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा सरकार के अधिकारियों को लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा हर त्रैमासिक, स्थिति से अवगत कराया जाता है इसके बावजूद विलम्ब

कोई प्रभावी उपाय नहीं किये हैं और इसके परिणामस्वरूप इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किये गये निवेश का लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1.2.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम) के वित्तीय परिणामों का सारांश **परिशिष्ट-2** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन अद्यतन वर्षों, जिनके लेखाओं को तैयार किया गया है, के लिये कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला प्रत्येक का पृथक् रूप से विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-4 एवं 5** में दिया गया है।

24 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं 4 कार्यशील सांविधिक निगमों के तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार 10 कम्पनियों एवं दो निगमों ने क्रमशः 32.95 करोड़ रुपये एवं 1434.81 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 14 कम्पनियों और दो निगमों ने क्रमशः 37.15 करोड़ रुपये एवं 6.94 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

1.2.4.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.2.4.1.1 लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कम्पनियाँ और लाभांश

राज्य सरकार ने अंशपूजी के 12 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 1998)। तथापि तीन कार्यशील सरकारी कम्पनी जिन्होंने सितम्बर 2001 तक 2000-01 के अपने लेखे तैयार किये थे, में से केवल मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित ने 0.63 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया परन्तु कोई लाभांश घोषित नहीं किया। इस प्रकार राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 0.01 प्रतिशत प्रतिफल के विरुद्ध सभी कार्यशील सरकारी कम्पनियों में 245.69 करोड़ रुपये के कुल अंशपूजी निवेश पर 2000-2001 के दौरान कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया।

इसी प्रकार 18 कार्यशील सरकारी कम्पनियों जिन्होंने सितम्बर 2001 तक पिछले वर्षों के अपने लेखे तैयार किये थे, में से 10 कम्पनियों ने 33.27 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और केवल 8 कम्पनियों ने दो या अधिक आनुक्रमिक वर्षों में लाभ अर्जित किया।

1.2.4.1.2 हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

हानि उठाने वाली 10 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से 6 कम्पनियों ने 99.81 करोड़ रुपये की कुल संचित हानि उठाई जो उसकी 43.46 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी। दूसरी दो कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने यद्यपि अपने तैयार अद्यतन लेखाओं के

अनुसार लाभ अर्जित किया तथापि 23.13 करोड़ रुपये की संचित हानि उठाई जो उनकी 9.06 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

खराब प्रदर्शन और प्रदत्त पूंजी के पूर्णतया अपरदन के उपरान्त भी राज्य सरकार ने अंशपूजी के रूप में इन कम्पनियों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना जारी रखा यहां तक कि ऋण दिया, ऋणों को अंशपूजी में परिवर्तित किया और आर्थिक सहायता आदि दी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 14 कम्पनियों को 2000-01 के दौरान अंशपूजी, ऋण, अनुदान तथा आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 56.52 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय सहयोग में से 38.96 करोड़ रुपये उन 6 कम्पनियों से सम्बन्धित थे जिनकी संचित हानि प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

1.2.4.2 कार्यशील सांविधिक निगम

1.2.4.2.1 लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

मध्यप्रदेश वित्त निगम ने सितम्बर 2001 तक अपने 2000-01 के लेखे तैयार किये और उनके अनुसार 2.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। राज्य सरकार ने वित्त निगम अधिनियम 1951 (2000 में यथा संशोधित) की धारा 4 के अधीन लाभांश के भुगतान की गारंटी दी है। तदनुसार 2000-2001 के लिये भुगतान योग्य लाभांश 5.90 करोड़ रुपये आंका गया और 31 मार्च 2001 को भुगतान योग्य (संचयी) लाभांश 47.29 करोड़ रुपये आंका गया तथापि निगम ने संचित हानियों के कारण 2000-2001 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया। यद्यपि मध्यप्रदेश वित्त निगम ने अपने तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया था तथापि उसे 134.03 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई जो उसकी 88.08 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

इसी प्रकार उन तीन कार्यशील निगमों में से जिन्होंने सितम्बर 2001 तक पिछले वर्षों के अपने लेखे तैयार किये थे, मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम ने 4.92 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। मध्यप्रदेश वित्त निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम दोनों ने दो या अधिक वर्षों तक उत्तरोत्तर लाभ अर्जित किया।

1.2.4.2.2 हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

दो हानि उठाने वाले सांविधिक निगम जिन्होंने सितम्बर 2001 तक पिछले वर्षों के अपने लेखे तैयार किये थे, मेसे मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम ने 574.44 करोड़ रुपये की संचित हानि उठाई जो उसकी 182.37 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से अधिक थी। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने भी 1999-2000 के अपने तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार 1371.30 करोड़ रुपये की संचित हानि के साथ 141.41 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

खराब प्रदर्शन के बाद भी राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को ऋण, अनुदान तथा आर्थिक सहायता के रूप में 2000-2001 के दौरान 557.44 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया।

1.2.4.2.3 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन **परिशिष्ट-6** में दिया गया है। कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण पर निम्नांकित तथ्य प्रकट हुये।

(1) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

पारेषण तथा वितरण हानियों में 1997-98 में 19.14 प्रतिशत से 1999-2000 में 31.62 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यद्यपि विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत में 1997-98 में 30485.978 एम.के.डब्ल्यू.एच. से 1999-2000 में 34434.407 एम.के.डब्ल्यू.एच. तक वृद्धि हुई लेकिन विक्रीत विद्युत में उसी अवधि में 24651.849 एम.के.डब्ल्यू.एच. से 23546.856 एम.के.डब्ल्यू.एच. तक की कमी हुई।

(2) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

वाहनों के उपयोग में 1997-98 में 79 प्रतिशत से 1999-2000 में 75 प्रतिशत तक कमी आई। सकल किलो मीटरों की तुलना में निष्क्रिय किलोमीटरों की प्रतिशतता में 1997-98 से 1999-2000 के दौरान 2 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

(3) मध्यप्रदेश वित्त निगम

बकाया ऋणों के परिमाण में 1998-99 में 498.17 करोड़ रुपये से 2000-2001 में 540.47 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई। बकाया ऋणों की तुलना में ऋण न चुकाने की प्रतिशतता मार्च 2001 तक के अन्तिम तीन वर्षों में 30 प्रतिशत पर स्थिर रही।

12.5 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

तैयार अद्यतन लेखाओं (सितम्बर 2001 तक) के अनुसार 24 कार्यशील कम्पनियों में नियोजित पूंजी* 800.46 करोड़ रुपये आंकी गई और उस पर कुल प्रतिफल+ की रशि 49.09 करोड़ रुपये

* नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है सिवाय वित्त कारोबार कम्पनियां एवं निगम के जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्वाध आरक्षित निधियां एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक तथा अन्तिम शेषों के योग का औसत दर्शाती है।

+ नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज निवल लाभ में जोड़ा गया है। हानि से घटाया गया है जैसा कि लाभ हानि लेखे में दर्शाया गया है।

थी जो पिछले वर्षों (सितम्बर 2000 तक तैयार लेखे) में 2.32 करोड़ रुपये (0.32 प्रतिशत) की तुलना में 6.13 प्रतिशत परिगणित किया गया। इसी प्रकार तैयार अद्यतन लेखाओं (सितम्बर 2001 तक) के अनुसार कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूंजी और उस पर प्रतिफल क्रमशः 7836.15 करोड़ रुपये एवं (-) 408.25 करोड़ रुपये परिगणित किया गया जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2000 तक तैयार लेखे) कुल प्रतिफल 748.60 करोड़ रुपये (8.21 प्रतिशत) था। कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल के ब्यौरे **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं।

1.3 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1.3.1 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2001 को अकार्यशील 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश 13.97 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 13.74 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण : 0.04 करोड़ रुपये तथा आवेदित अंशपूजी : 0.19 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 2000 को पांच अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश 12.53 करोड़ रुपये (अंशपूजी : 12.34 करोड़ रुपये, आवेदित अंशपूजी : 0.19 करोड़ रुपये) था।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

(राशि : करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का स्तर	कम्पनियों की संख्या	निगमों की संख्या	कम्पनियों में निवेश	
				अंशपूजी	दीर्घकालीन ऋण
(i)	अकार्यशील	4	--	7.39	--
(ii)	बन्द होने वाले	1	--	1.54	0.04
(iii)	संविलियन वाले	--	--	--	--
(iv)	अन्य	1	--	5.00	--
योग		6	--	13.93	0.04

उपरोक्त अकार्यशील उपक्रमों में से पांच सरकारी कम्पनियां 6 से 18 वर्षों से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमाप्य अथवा बन्द होने वाली है और इन कम्पनियों में 8.97 करोड़ रुपये का सारभूत निवेश किया गया है। उनको शीघ्र परिसमापन के लिये प्रभावी पग उठाने की आवश्यकता है।

1.3.2 बजटीय व्यय, अनुदान/ आर्थिक सहायता, गारन्टी दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम को 2000-2001 के दौरान अनुदान के रूप में 0.60 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग दिया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1991-92 से 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/ जनजाति चर्म कर्मियों के लाभ के लिये अनुदान के रूप में प्राप्त 3.65 करोड़ रुपये में से कम्पनी ने उनके लाभ के लिये मात्र 1.35 करोड़ रुपये ही व्यय किये और शेष 2.30 करोड़ रुपये अन्य कार्यों हेतु व्ययवर्तित कर दिये।

1.3.3 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2000-2001 तक के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय तथा उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार है :-

(राशि : लाख रुपयों में)

वर्ष	सरकारी कम्पनियों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	वित्त व्यवस्था के स्रोत				
			निवेश/ परिसम्पतियों का विक्रय	निजी पक्षकारों से ऋण	सरकार से निर्मांकित माध्यम से		अन्य ^०
					ऋण	अनुदान	
1998-99	5	0.31	-	-	-	-	0.31
1999-2000	5	0.50	-	-	-	-	0.50
2000-01	6	72.88	-	-	-	60.00	12.88
योग	-	73.69	-	-	-	60.00	13.69

1.3.4 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करना

चार अकार्यशील कम्पनियों के पांच वर्षों से 12 वर्षों तक की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2001 तक तैयार नहीं किये गये थे जैसा कि **परिशिष्ट-2** से प्रकट है।

1.3.5 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार कार्यशील, अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी परिणामों का सारांश **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

^० वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज से आय तथा अनुदानों के व्ययवर्तन है।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अपने तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य, नकद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(राशि : करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जिस तक लेखे तैयार किये गये	प्रदत्त पूंजी	निवल मूल्य	नकद हानि (-) नकद लाभ (+)	संचित हानि (-) संचित लाभ (+)
1.	म0प्र0उत्सिंचन निगम मर्यादित	1988-89	5.92	(-)0.16	(-)0.13	(-)6.08
2.	म0प्र0 राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	2000-01	--	--	लाभ-हानि खाते तैयार नहीं किये गये हैं।	--
3.	म0प्र0 चर्म विकास निगम मर्यादित	1993-94	0.72	(+) 1.19	(+) 0.37	(+) 0.32
4.	म0प्र0 फिल्म विकास निगम मर्यादित	2000-01	1.04	(+)1.04	लाभ-हानि खाते तैयार नहीं किये गये हैं।	
5.	म0प्र0राज्य सेतु विकास निगम	1989-90	5.00	(+)2.87	(-)1.07	(-)2.15
6.	म0प्र0पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम	1995-96	0.43	(+)0.63	(+)0.02	(+)0.19
	योग		13.11	(+)5.57	(-)0.81	(-)7.72

टिप्पणी: निवल मूल्य, नकद हानि/ लाभ तथा संचित हानि/ लाभ अद्यतन प्रमाणित लेखाओं के अनुसार हैं। चार अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने परिशिष्ट-2 में यथा प्रदर्शित 5 से 12 वर्षों के अपने लेखे तैयार नहीं किये हैं।

1.4 विधानसभा में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखने की स्थिति

सरकार द्वारा विधानसभा में सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है :-

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वह वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखे गये	विधान सभा के वह वर्ष जिनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखे गये		
			पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को ज्ञात करने की दिधि	विधानसभा के पटल पर रखने के विधान के अन्तर्गत
1.	म0प्र0राज्य विद्युत मण्डल	1998-99	1999-2000	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं।	-
2.	म0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम	1998-99	1999-2000	तदैव	-
3.	म0प्र0वित्त निगम	1999-2000	2000-01	लेखापरीक्षा की जा रही है।	-
4.	म0प्र0राज्य भाण्डागार निगम	1998-99	1999-2000	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं।	-

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की पूंजी में 478.85 करोड़ रुपये की कमी पुनर्गठन/ विनिवेश की किसी नीति के पालन के लिये नहीं की गई है। इसका कारण राज्य सरकार की ओर से

उपभोक्ताओं को निःशुक्ल विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अंशपूजी का समायोजन करना है।

1.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 तक की अवधि के दौरान 23 सरकारी कम्पनियों (कार्यशील 19 एवं अकार्यशील 4) तथा 4 सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का चयन समीक्षा के लिये किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समीक्षा के परिणाम के रूप में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव निम्नानुसार है :-

ब्यौरे	लेखाओं की संख्या		लाख रुपयों में	
	सरकारी कम्पनियां (कार्यशील)	सांविधिक निगम (कार्यशील)	सरकारी कम्पनियां (कार्यशील)	सांविधिक निगम (कार्यशील)
(i) लाभ में कमी	1	-	13.26	19.11
(ii) लाभ में वृद्धि	1	1	20.19	-
(iii) हानि में वृद्धि	--	-	54.62	-
(iv) हानि में कमी	3	-	-	-
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	6	2	5854.80	458.61
(vi) वर्गीकरण की त्रुटियां	6	2	1028.31	186.45

उपरोक्त कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के समय पाये गये महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नानुसार हैं:-

1.6.1 सरकारी कम्पनियों के प्रकरण में पाये गये दोष तथा चूकें मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित (1999-2000)

ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज के दायित्वों का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष हेतु 35.02 लाख रुपये तथा पिछले वर्ष हेतु 86.26 लाख रुपये की देनदारियां एवं हानि कम बताई गई।

1.6.2 सांविधिक निगमों के प्रकरण में पाये गये दोष एवं चूकें मध्यप्रदेश वित्त निगम (1999-2000)

पंजाब नेशनल बैंक, मनोरमा गंज शाखा इन्दौर के 29.56 लाख रुपये ऋणात्मक शेष को बैंक शेषों से समायोजन के परिणामस्वरूप बैंक शेष कम बताया गया तथा उसी मात्रा तक चालू देनदारियां भी कम बताई गई।

1.6.2.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्य चालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1998-99 तक के तीन वर्षों के लिये मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन के आधार पर और मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं तथा चूकों एवं राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता/ आर्थिक सहारे को हिसाब में न लेने को ध्यान में रखते हुए

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल की नियोजित पूंजी में निवल आधिक्य/ कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1.	लेखापुस्तिकाओं के अनुसार निवल आधिक्य/(-)कमी	126.62	122.50	116.93
2.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	596.36	875.51	1723.65
3.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता पूर्व निवल आधिक्य/ (-)कमी (1-2)	(-)469.74	(-)753.01	(-)1606.72
4.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कारण निवल आधिक्य/ (-)कमी में निवल वृद्धि कमी	(-)226.00	(-)34.86	(-)6.18
5.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता से पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निवल आधिक्य/कमी (3-4)	(-)695.74	(-)787.87	(-)1612.96
6.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-)58.63	(-)197.52	(-)962.20

1.6.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमिततायें और प्रणालीगत कमियां

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

(i) मण्डल ने स्थाई परिसम्पत्तियों यथा स्थान, मात्रा मूल्य अधिष्ठान तिथि, मूल्य इस प्रभार आदि के ब्यौरे इंगित करते हुए परिसम्पत्तियों (केवल मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) की निर्धारित पंजियों का संधारण नहीं किया। परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका। परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया।

(ii) दोषपूर्ण सामग्रियां, मरम्मत योग्य न रही मर्दे तथा अपरम्परागत[#] शेष जिन्हें अन्त शेष में सम्मिलित करना निरन्तर जारी रखा गया के परिणामस्वरूप स्टॉक का 41.82 करोड़ रुपये अधिक मूल्यांकन किया गया।

(iii) मार्च 1999 के लिये नौ लेखाकरण इकाइयों (वीरसिंगपुर, बिलासपुर, मुरैना, देवास, समोर, भोपाल जबलपुर (सी.ए.यू.), मुख्यालय एवं सिधी) जिनकी नमूना जांच की गई थी, 1997-98 तथा इसके पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित बैंक मिलान विवरण पत्र ने 95.62 करोड़ रुपये की राशि का अन्तर दर्शाया।

* नियोजित पूंजी पर प्रतिफल राज्य विद्युत मण्डलों तथा परिवहन निगमों को छोड़कर निवल आधिक्य/कमी धन लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (घटायें पूंजीकृत ब्याज) प्रदर्शित करता है।

अपरम्परागत शेष नामे शेष के स्थान पर स्टॉक लेखे में शेष जमा प्रदर्शित करते हैं।

1.7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करने हेतु अनुशंसाये

सरकारी कम्पनियों को अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने पर भी 11 कम्पनियों* (कार्यशील 10, अकार्यशील 1) का टर्न ओवर तैयार अद्यतन लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये से कम था। यह भी कि एक सरकारी कम्पनी** (कार्यशील) निरन्तर पांच वर्षों से हानि उठा रही थी जिसमें निवल नकारात्मक निवल मूल्य की हानि हुई। खराब टर्न ओवर तथा निरन्तर हानि के परिप्रेक्ष्य में सरकार या तो उपरोक्त 12 कम्पनियों का निष्पादन सुधारें अथवा उनके बन्द करने पर विचार करें।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं तथा समीक्षाओं के उत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आई और स्थान पर ही निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रमुखों तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सूचित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रमुखों को छः सप्ताहों की अवधि के भीतर विभागों के सम्बन्धित प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करना होते है। 30 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित मार्च 2001 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 2330 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 6674 कण्डिकायें सितम्बर 2001 तक के अन्त तक निराकृत नहीं हुई। इनमें से 1768 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 4118 कण्डिकायें थी के उत्तर 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुए। 30 सितम्बर 2001 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण *परिशिष्ट-7* में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य पर प्रारूप कण्डिकायें एवं समीक्षाएँ सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र के रूप में तथ्य और आंकड़ों की पुष्टि तथा छः सप्ताहों के भीतर उन पर उनकी अभ्युक्तियां प्राप्त करने के लिये अग्रेषित की गई थी तथापि यह देखा गया कि जुलाई 2000 से जून 2001 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित *परिशिष्ट-8* में दिये अनुसार 37 प्रारूप कण्डिकाओं एवं तीन प्रारूप समीक्षाओं के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

* मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश आवास निर्माण निगम मर्यादित, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल), (रायपुर)(इन्दौर)(जबलपुर)(रीवा)(ग्वालियर), भविष्य निधि निवेश कम्पनी मर्यादित, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित तथा म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित (अकार्यशील)

* मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित

यह अनुशंसा की जाती है कि (क) कर्मचारी जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ प्रारूप कण्डिकाओं/ समीक्षाओं के निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार उत्तर देने में विफल रहे हैं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया विद्यमान होना सरकार सुनिश्चित करे, (ख) समयवद्ध अनुसूची के अनुसार हानि/ बकाया अग्रिमों/ अधिकभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्यति में पुनः सुधार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.9 सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

सितम्बर 2001 के अन्त में चर्चा हेतु बकाया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) और उनकी समीक्षाओं/ कण्डिकाओं की प्रस्थिति निम्नानुसार है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई समीक्षाओं एवं कण्डिकाओं की संख्या		चर्चा हेतु बकाया समीक्षाओं/ कण्डिकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कण्डिकायें	समीक्षायें	कण्डिकायें
1998-99	04	14	02	5
1999-2000	04	20	04	20

1.10 619-बी कम्पनियाँ

मध्यप्रदेश कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-बी के अधीन आने वाली मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र नाम से एक कम्पनी है जो अकार्यशील है। इस कम्पनी के उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूंजी के विवरण, अंशपूजी के माध्यम से निवेश, ऋण एवं अनुदान तथा सारांशित कार्यचालन परिणाम **परिशिष्ट-9** में दिये गये हैं।

अध्याय - 2

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के व्यावसायिक क्रिया कलाप

मुख्यांश

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में लघु उद्योगों के उन्नयन एवं उनके द्रुत विकास की सहायता हेतु 28 दिसम्बर 1961 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया।

(कंडिका 2.1)

कम्पनी ने 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान 1.84 करोड़ रुपये से 2.14 करोड़ रुपये तक लाभ अर्जित किया किन्तु 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 1.63 करोड़ रुपये एवं 2.18 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(कंडिका 2.1.1)

कम्पनी के क्रिया-कलाप वार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 1999-2000 तक समस्त पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के तकनीकी विभाग को हानि हुई।

(कंडिका 2.2)

कम्पनी ने भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड की कच्चा माल विभाग, सम्पदा एवं निर्माण विभागों को बन्द करने की अनुशंसा को क्रियान्वित नहीं किया।

(कंडिका 2.3)

पजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के लिए विस्तारित की गई विपणन सहायता योजना 0.5 प्रतिशत को दी गई जो कि दायित्वों की वसूली में विलम्ब, दरों को अन्तिम रूप न दिये जाने, ऊंची दरों का निर्धारण, से निष्प्रभावी रही।

(कंडिका 2.3.1.1 तथा 2.3.1.3)

2.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में लघु उद्योग के उन्नयन एवं उनके विकास में सहायता हेतु 28 दिसम्बर 1961 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- राज्य में लघु उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता, संरक्षण एवं उन्नयन उपलब्ध करवाना तथा उनको अपनी निर्माण एवं व्यापार पद्धतियों में अभिवृद्धि तथा सुधार हेतु सक्षम होने के लिए उनके व्यापार में उन्हें पूंजी, ऋण, तकनीकी एवं प्रबंधन सहायता उपलब्ध करवाना।
- सामग्रियों की सविरचना, निर्माण, संयोजन एवं आपूर्ति हेतु तथा लघु उद्योग इकाइयों को अन्य से उनकी आपूर्ति की व्यवस्था हेतु विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।
- लघु उद्योग इकाइयों हेतु औद्योगिक संस्थानों/ क्षेत्रों का निर्माण, संधारण एवं प्रशस्तन की व्यवस्था करना।
- लघु उद्योगों द्वारा वांछित अथवा निर्मित हार्डवेयर एवं उपकरण, यांत्रिकी सामानों का सौदा करना।

31 मार्च 2001 को कम्पनी के 10 विक्रय केन्द्र (राज्य के बाहर स्थित 3 सहित) * इन्डस्ट्रियल भण्डारग्रह, 6 कच्चा माल आगार, 1 उपकरण कक्ष, 3 परीक्षण प्रयोगशालाएं, 4 सिविल एंजिनियरिंग क्षेत्रीय कार्यालय थे *।

2.1.1 यह दृष्टिगत हुआ कि उपर्युक्त 5 वर्षों की अवधि के दौरान 4 प्रबंध संचालकों का बदला गया। उनकी कार्यवधि 11 माह से 21 माह तक रही। इस प्रकार प्रबंधन व कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्च स्तर पर बार-बार के परिवर्तन से आवश्यक दीर्घ कालीन योजना बनाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कम्पनी जिसने 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान क्रमशः 1.08 करोड़ रुपये, 1.84 करोड़ रुपये एवं 2.14 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था उसे 1998-99 में 1.63 करोड़ रुपये एवं 1999-2000 में 2.18 करोड़ रुपये (अनंतिम) की हानि हुई। इनके मुख्यतः प्रशासन व्यय में वृद्धि सहित विक्रय में कमी के कारण थी। 2000-2001 तक विगत पांच वर्षों तक कम्पनी के व्यापारिक क्रियाकलापों की दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2001 के दौरान नमूना जांच की गई जिसमें कम्पनी का मुख्यालय एवं इसकी 11 इकाइयां समाविष्ट थीं। इस प्रकार की गई नमूना जांच के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत हुए बिन्दुओं का निम्नांकित कड़िकाओं में वर्णन किया गया है

* ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर और भिलाई

2.2 क्रियाकलापवार बजट व्यवस्था

31 मार्च 2000 को समाप्त विगत पांच वर्षों के क्रियाकलापवार मूल/ संशोधित अनुमान तथा वास्तविक लाभ/हानि (कोष्ठकों में दर्शाए गए) **परिशिष्ट-10** में दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट-10 में दृष्टिगत होगा कि विगत सभी वर्षों हेतु समस्त क्रियाकलापों में वस्तुतः लाभ अथवा हानि बजट एवं संशोधित अनुमानों से अत्यंत भिन्न है: इससे सिद्ध होगा कि बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान वास्तविकता पर आधारित नहीं थे साथ ही कम्पनी ने भौतिक एवं वित्तीय दोनों ही क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों पर उचित नियंत्रण रखने हेतु वास्तविक व्यय तथा तदनुसूची अनुमानों में व्यापक भिन्नता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष दर वर्ष बजट अनुमान विगत वर्ष अथवा वर्तमान वर्ष के भाग (संशोधित बजट अनुमानों की स्थिति में) के वास्तविक व्ययों पर ध्यान दिए बिना ये पूर्णतः तदर्थ आधार पर तैयार किए गए।

कम्पनी ने केवल विक्रय केन्द्र क्रियाकलापों में विगत सभी 5 वर्षों में 14.30 लाख रुपये (1998-99) से 43.55 लाख रुपये (1995-96) तक लाभ अर्जित किया जबकि तकनीकी विभाग में उन समस्त वर्षों में इसे 11.40 लाख रुपये (1999-2000) से 29.93 लाख रुपये (1998-99) के मध्य हानि हुई। विपणन क्रियाकलापों (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समाविष्ट) से आय जो कि कम्पनी के लिए 1997-98 तक लाभ का एक मुख्य स्रोत था आगे के वर्षों में तेजी से गिरा जो मुख्यतः 1998-99 और 1999-2000 के दौरान व्यय में अननुपात वृद्धि के कारण तथा 1999-2000 के दौरान आय में कमी के कारण हानिप्रद क्रियाकलाप हो गए जैसा कि आगे कंडिका 2.3.1.2 में वर्णन किया गया है। क्रियाकलापवार निष्पादनों का आगामी कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

2.3 व्यापारिक क्रियाकलाप

"एशिया विकास बैंक सहायता प्राप्त सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत राज्य सरकार ने कम्पनी के क्रियाकलापों के अध्ययन एवं मूल्यांकन हेतु भारतीय स्टेट बैंक केपिटल मार्केट लिमिटेड को नियुक्त किया। भारतीय स्टेट बैंक केपिटल मार्केट लिमिटेड ने अपने प्रतिवेदन (जुलाई 1998) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित अनुशंसाएं कीं -

(i) कम्पनी की स्थापना के पीछे की विवेकशीलता का अभी भी औचित्य है तथा इसीलिए इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) बाजार एवं विक्रय केन्द्र क्रियाकलापों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं को परिचालन एवं स्थापना लागत तक शुल्क वसूल करते हुए आत्म निर्भर बनाया जाना चाहिए।

(iii) अन्य समस्त क्रिया कलाप अर्थात् कच्चा माल संभाग, सम्पदा एवं निर्माण संभाग तथा उपकरण कक्ष संभाग बन्द कर दिए जाने चाहिए।

कम्पनी ने अगस्त 2000 में राज्य सरकार को उपर्युक्त अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कम्पनी ने बताया कि कच्चा माल आगारों के नवीनतम कार्यकारी परिणामों पर विचार करते हुए उन्हें बन्द नहीं किया गया। सम्पदा एवं निर्माण संभागों को बकाया कार्य एवं भविष्य के कार्यों की प्रत्याशा में चालू रहने दिया गया तथा एक उपकरण कक्ष को बन्द करने का निश्चय किया गया। यह भी बताया गया कि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्हें व्यावसायिक रूप में परिचालित किए जाने हेतु नवीनीकृत किया जा रहा था। कच्चा माल आगार, सम्पदा एवं निर्माण संभाग के बन्द न किए जाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उन्हें बन्द करने की अनुशंसा इस तथ्य के आधार पर थी कि उदार परिदृश्य में कच्चे माल के विपणन की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा अन्य सरकारी संगठन औद्योगिक संस्थान निर्मित कर रहे थे।

भारतीय स्टेट बैंक
केपिटल मार्केट
लिमिटेड की
अनुशंसाओं का
क्रियान्वयन न किया
जाना

2.3.1 लघु उद्योग इकाइयों को विपणन सहायता

2.3.1.1 निम्नांकित तालिका में आयुक्त उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या तथा कम्पनी द्वारा विपणन सहायता प्रदत्त उद्योगों की संख्या के विवरण दिए गए हैं:-

वर्ष	आयुक्त उद्योग के पास पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या (संख्या में)	कम्पनी द्वारा सहायता प्रदत्त लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	कॉलम संख्या 2 से कॉलम संख्या 3 की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.
1995-96	377763	1848	0.49
1996-97	398630	1893	0.47
1997-98	422017	1886	0.45
1998-99	441455	1976	0.45
1999-2000	457796	1165	0.25

उपर्युक्त तालिका में यह दृष्टव्य है कि यद्यपि लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के विपणन का उत्तरदायित्व सरकार ने कम्पनी को सौंपा था तथापि कम्पनी ने 0.49 प्रतिशत (1995-96) एवं 0.25 प्रतिशत (1999-2000) तक पंजीकृत इकाइयों को विपणन सहायता दी।

यह बताया गया (सितम्बर 2001) कि राज्य की पंजीकृत लघु इकाइयों की कुल संख्या की कम्पनी से विपणन सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों से तुलना संभव नहीं थी क्योंकि कम्पनी सीमित

मदों का विपणन कर रही है तथा केवल उत्पाद वार तुलना संभव है। यह भी बताया गया कि विपणन सहायता योजना स्वैच्छिक योजना है। प्रबन्धमण्डल का प्रत्युत्तर इस तथ्य की दृष्टि से मान्य नहीं है कि कम्पनी के पास इसके द्वारा वांछित समस्त मदों का उत्पाद करने वाली लघु उद्योग इकाइयों की सूची नहीं है। कम्पनी ने लघु उद्योग इकाइयों के अभिवर्द्धन हेतु कभी भी उनकी उपयोगिता / सहयोग का आकलन नहीं किया।

2.3.1.2 भण्डार क्रय नियमावली (अप्रैल 1978) के अनुसार सरकारी विभागों को राज्य में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित 169 वस्तुओं का क्रय केवल इसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर कम्पनी के माध्यम से ही करना था। कम्पनी को अधिप्राप्त वस्तुओं के मूल्य की 3 प्रतिशत (दिसम्बर 1998 से कम कर 2 प्रतिशत की गई) राशि का कमीशन प्रभारों के रूप में वसूली करने की पात्रता थी। वस्तुओं की दरें विपणन समिति द्वारा निविदा प्रणाली के माध्यम से वार्षिक रूप में निर्धारित की गई तथा कम्पनी में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों से वार्षिक दर संविदा निष्पादित की गई।

निम्नांकित तालिका में 1999-2000 तक पांच वर्षों के दौरान किया गया विपणन व्यापार उस पर अर्जित निवल आय तथा हुए लाभ अथवा हानि सारांश में प्रस्तुत किए गए हैं :-

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(लाख रुपयों में)					
किया गया कुल व्यापार	16107.88	15620.79	18507.91	20691.62	10397.82
अर्जित आय	541.01	572.07	598.54	642.53	369.87
व्यय	362.53	432.01	473.38	753.91	570.14
लाभ(+)/ हानि(-)	(+)178.48	(+)140.06	(+)125.16	(-)111.38	(-)200.27

1998-99 तक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किए गए विपणन व्यापार में वृद्धि के साथ ही तत्संबंधी अर्जित आय में तदनुरूप वृद्धि के बावजूद वर्ष दर वर्ष लाभ कम होकर 1998-99 में हानि दर्ज हुई। यह इस तथ्य की परिचायक है कि कम्पनी कर्मचारियों एवं प्रशासन पर क्रियाकलापों एवं आय के अनुरूप व्यय नहीं कर रही थी। इसके साथ ही दिसम्बर 1998 से कमीशन प्रभारों में 3 प्रतिशत से कमी कर 2 प्रतिशत करने से भी 1998-99 और 1999-2000 के कार्यकारी परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.3.1.3 अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये :-

प्रत्यायोजित
शक्तियों से परे क्रय
आदेशों का जारी
किया जाना

(i) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार 20 लाख रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के क्रय आदेश जारी किये जाने के लिये प्रबंध संचालक की पूर्वानुमति अपेक्षित थी तथापि, 1996-97 और 1997-98 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में 20 लाख रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के कुल 123 प्रकरणों में 90.28 करोड़ रुपये के क्रय आदेश प्रबंध संचालक की पूर्वानुमति के बिना ही मुख्य महाप्रबंधक (विपणन) के द्वारा जारी किए गये थे। तथ्य ध्यान में आने तथा बोर्ड को सूचित (फरवरी 1999) किये जाने के बावजूद दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, तथा यदि कोई हानि हुई हो तो उसे सुनिश्चित करने के लिये अनियमितताओं की जाँच नहीं कराई गई। ऐसे आदेशों से संबंधित अभिलेख संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

प्राप्तियों की वसूली में
असामान्य विलम्ब के
फलस्वरूप 0.66 करोड़
रुपये के सेवा प्रभारों की
हानि

(ii) 1979-80 के बाद विभिन्न सरकारी विभागों से वसूली योग्य राशि मार्च 2000 को 9.84 करोड़ रुपये थी। अपने प्राप्तियों की वसूली में विलम्ब के कारण कम्पनी को 66.44 लाख रुपये के सेवा प्रभारों से वंचित रहना पड़ा।

भण्डार क्रय नियमावली
के विपरीत सरकारी
विभागों द्वारा प्रत्यक्ष
क्रय किए जाने के
कारण कम्पनी को 0.09
करोड़ रुपये के
संभावित राजस्व की
हानि

(iii) लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि कतिपय सरकारी विभाग कम्पनी की उपेक्षा कर आरक्षित वस्तुओं का प्रत्यक्ष क्रय कर रहे थे। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि कम्पनी ने सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले अनियमित क्रय को रोके जाने हेतु उचित पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ विकसित नहीं की। इसके साथ ही इस प्रकार की पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाने से इसने 2 प्रतिशत कमीशन के रूप में होने वाली संभावित 8.84 लाख रुपये की राजस्व हानि को बचा लिया होता जो कि अन्य प्रकार से मांगपत्र प्रस्तुत करने वाले विभागों से वसूली योग्य थे।

(iv) अंतःशिरा प्रवाही (आई.वी.फ्लूइड्स) क्रय के एक अन्य प्रकरण में जिसके लिए चार पक्षकारों को दर संविदा जारी की गई थी (अप्रैल 1997) 7.94 रुपये प्रति इकाई की दर को निश्चित किया गया उसके अंतर्गत दो पक्षकारों को कुल मिलाकर 76.31 लाख रुपये के आपूर्ति आदेश जारी किए गए। दिसम्बर 1997 में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कम्पनी को सूचित किया कि दर संविदा के अन्तर्गत वसूल किए गए 7.94 रुपये प्रति इकाई की तुलना में वे ही इकाइयाँ विभाग द्वारा सीधे प्रस्तुत क्रय आदेशों पर 5.94 रुपये प्रति इकाई की दर पर सामग्री की आपूर्ति कर रही थीं। परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों के संबंध में उनसे दर अन्तर की राशि को वसूल करने का निश्चय किया था (फरवरी 1998) तथापि उक्त इकाई से 5.53 लाख रुपये राशि की वसूली अभी भी की जानी थी (अप्रैल 2001)। यह भी दरों को निश्चित करने में एवं संविदा के अंतर्गत वसूली करने में कम्पनी की शिथिल कार्यवाही को सिद्ध करता है।

ठेका दिए जाने में
0.08 करोड़ रुपये
का अतिरिक्त व्यय
एवं अनुचित पक्षपात

(v) कम्पनी ने संजयगांधी अस्पताल रीवा के लिए आपूर्ति किए जाने हेतु पलंगों के नमूने की स्वीकृति से 45 दिनों के भीतर 3400 रुपये प्रति पलंग की दर पर 400 पलंगों की आपूर्ति हेतु मेसर्स अनिल इंजिनियरिंग वर्क्स पटना (न्यूनतम निविदाकर्ता) को क्रय आदेश दिया (जुलाई 2000)। नमूना जनवरी 2001 में स्वीकृत किया गया तथा आपूर्ति की वैध अवधि को 10 जून 2001 तक बढ़ाया गया। बढ़ाई गई आपूर्ति अवधि में पलंग आपूर्ति नहीं किए गए। कम्पनी ने आपूर्ति कर्ता को कारण बताओं सूचना दिए बिना 19 जून 2001 को उसका आदेश निरस्त कर दिया तथा उसी दिन 200 पलंगों की आपूर्ति हेतु तीसरे न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स युनाइटेड सर्जिकल इंडस्ट्रीज दिल्ली को एवं शेष 200 पलंगों को 28 जून 2001 को आपूर्ति करने हेतु 4459.30 रुपये की दर वाले (4694 रुपये— 5 प्रतिशत बट्टा) दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता की उपेक्षा करते हुए मेसर्स युनाइटेड सर्जिकल इंडस्ट्रीज नई दिल्ली को 5350 रुपये प्रति पलंग की दर का आपूर्ति आदेश दिया। कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 2001) कि विपणन समिति को गलत सूचना दी गई कि जिस आपूर्तिकर्ता ने तीसरी न्यूनतम दर प्रस्तुत की थी वह वस्तुतः दूसरी न्यूनतम दर का निविदाकर्ता था। जिसके परिणामस्वरूप दूसरे न्यूनतम दर निविदाकर्ता की उपेक्षा हुई तथा तीसरे न्यूनतम दर निविदाकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया गया। इसके फलस्वरूप 7.80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा मेसर्स युनाइटेड सर्जिकल इंडस्ट्रीज के पक्ष में अनुचित पक्षपात किया। प्रबंध मण्डल ने बताया (अक्टूबर 2001) कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

आरक्षित वस्तुओं की
दरें निश्चित न की
जाने के कारण
कम्पनी 0.12 करोड़
रुपये के सेवा प्रभार
से वंचित रही

(vi) अप्रैल 1998 से जुलाई 2000 के मध्य कम्पनी ने सरकारी विभागों को इकाइयों से सीधे 6.10 करोड़ रुपये की आरक्षित वस्तुओं के क्रय हेतु, 223 अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किए। प्रमाण पत्र जारी कर कम्पनी ने कम्पनी के माध्यम से क्रय आदेश दिए जाने पर वसूली योग्य होने वाला 12.20 लाख रुपये का कमीशन प्रभार छोड़ा। प्रत्युत्तर में यह बताया गया (मार्च 2001) कि केवल उन्हीं प्रकरणों में प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनमें कम्पनी ने दरें निश्चित नहीं की थी। वस्तुस्थिति यह रही की यदि आरक्षित वस्तुओं की दरें निश्चित करने में समय से कार्यवाही की गई होती तो कम्पनी ने केवल सरकारी क्रय की मितव्ययता ही सुनिश्चित नहीं की होती बल्कि उसने 12.20 लाख रुपये का सेवा प्रभार भी अर्जित किया होता।

कम्पनी ने निरीक्षण
किए बिना लघु
उद्योग इकाइयों से
1.53 करोड़ रुपये
मूल्य की सामग्री की
आपूर्ति हो जाने दी

(vii) कम्पनी द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार लघु उद्योग इकाइयों द्वारा आपूर्ति सामग्री का मांग प्रस्तुतकर्ता विभाग को इसकी आपूर्ति करने के पूर्व निरीक्षण करना होता है। तथापि अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि 1.53 करोड़ रुपये मूल्य के 74 प्रकरणों में कम्पनी ने अपने तकनीकी अनुभाग द्वारा निरीक्षण कराए बिना लघु उद्योग इकाइयों से सामग्रियों की आपूर्ति हो जाने दी तथा 32.04 करोड़ रुपये के 108 प्रकरणों में (इन्दौर संभाग 0.12 करोड़ रुपये तथा मुख्यालय 31.92 करोड़ रुपये) निरीक्षण की आवश्यकता की पूर्ति अभिलेखों से सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके साथ ही 28.25 लाख रुपये मूल्य के 7 प्रकरणों में विशिष्ट विवरणों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई तथा 66.38 लाख रुपये मूल्य के 11 प्रकरणों में आपूर्तियों में दृष्टिगत त्रुटियों को संबंधित इकाइयों द्वारा सुधारा गया बताया गया परन्तु संबंधित

मांग पत्र प्रस्तुत करने वाले विभागों से उनकी पुष्टि प्राप्त नहीं की गई। यह संबंधित लघु इकाइयों द्वारा की गई आपूर्तियों में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले परिवीक्षण का अभाव दर्शाता है।

2.3.2 विक्रय केन्द्रों का कार्य निष्पादन

31 मार्च 2000 को कम्पनी 10 विक्रय केन्द्र परिचालित कर रही थी जिनमें से तीन राज्य के बाहर स्थित है। विक्रय केन्द्र हस्तकला वस्तुओं तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का प्रेषण एवं तत्काल विक्रय दोनों आधार पर चादरें, सीड़ियां, दर्शनीय एवं चित्ताकर्षक वस्तुओं का विक्रय करते हैं। विक्रय केन्द्र राज्य सरकार के विभागों को 32 आरक्षित उत्पादों की आपूर्ति की व्यवस्था भी करते हैं।

2.3.2.1 1999-2000 तक पांच वर्षों तक विक्रय केन्द्रों का कुल क्रय-विक्रय तथा उनका विक्रय मूल्य एवं सकल लाभ निम्नांकित सारणी अनुसार है :-

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(लाख रुपयों में)					
कुल विक्रय	1003.58	1104.04	1390.76	1619.37	1471.24
विक्रय की लागत (अर्थात् क्रय तथा भण्डार की कमी को जोड़कर एवं अभिवृद्धि को कम करते हुए)	833.18	956.38	1,93.55	1418.06	1144.63
सकल लाभ (अन्तर)	170.40	147.66	197.21	201.31	326.61
विक्रय मूल्य से अंतर की प्रतिशतता	20.45	15.44	16.52	14.20	28.53

विक्रय केन्द्रों के लाभ के अंतर में भेद की प्रवृत्ति इसके अपने व्यापार के बजाय प्रेषण विक्रय पर अधिक विश्वास करने के कारण थी।

2.3.2.2 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान प्रेषण विक्रय एवं अपने व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय विवरणों के साथ विक्रय केन्द्र वार आय **परिशिष्ट-11** की सारणी में दर्शाए गए है।

परिशिष्ट-11 में परिलक्षित होगा कि :-

- मिलाई विक्रय केन्द्र के अलावा कम्पनी के अपने व्यापारिक वस्तुओं के कुल विक्रय की तुलना में प्रेषण विक्रय से इसका राजस्व (अर्थात् कमीशन) अधिक था। कम्पनी का राज्य में लघु उद्योग इकाइयों को सहायता करने एवं उनमें सुधार करने का मुख्य उद्देश्य निष्फल हो गया क्योंकि राज्य के बाहर निर्मित वस्तुएं भी प्रेषण आधार पर विक्रय की जा रही थी।

(ii) हैदराबाद विक्रय केन्द्र समीक्षागत संपूर्ण अवधि में हानि उठा रहा था।

(iii) भिलाई स्थित विक्रय केन्द्र विगत तीन वर्षों में अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 तक हानि उठाता रहा है।

(iv) विगत वर्ष अर्थात् 1999-2000 के दौरान भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं कलकत्ता में लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा।

प्रत्युत्तर में (मार्च 2001) यह बताया गया कि 2000-2001 में हैदराबाद में विक्रय केन्द्र बन्द करने का निर्णय लिया गया। तथ्य यह रहा कि लाभ के अंतर एवं लघु उद्योग इकाइयों को सुनीतिपूर्ण सहायता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को विक्रय केन्द्र क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए जैसी की भारतीय स्टेट बैंक केपिटल मार्केट लिमिटेड ने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी।

2.3.3 कच्चे माल की अधिप्राप्ति एवं संवितरण

2.3.3.1 कच्चे माल की अधिप्राप्ति एवं लघु उद्योग इकाइयों को उसके संवितरण के लिए 31 मार्च 2000 को कम्पनी के 6 आगार थे। आरंभ में इस्पात, पिग आयरन एवं पेराफिन वेक्स इत्यादि की की जाने वाली अधिप्राप्ति एवं उसका संवितरण इन मदों पर नियंत्रण उठा लिए जाने के कारण बन्द कर दिया गया। परिणामतः कम्पनी के लाभ में कच्चा माल आगारों का सहयोग कम हो गया जो सारांश में निम्नानुसार है :-

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(राशि लाख रुपये में)					
कच्चा माल आगारों का कुल विक्रय	2990.09	2269.29	2037.04	1493.37	1758.25
अर्जित आय	48.75	41.33	52.84	23.49	38.31
व्यय	35.30	38.41	42.03	40.42	35.79
निवल लाभ(+)/ हानि(-)	(+)13.45	(+)2.92	(+)10.81	(-)16.93	(+)2.52
कुल विक्रय से आय की प्रतिशतता	1.63	1.82	2.59	1.57	2.18

कम्पनी के लाभ में कच्चा माल आगारों का अल्प योगदान पर विचार करते हुए एवं नियंत्रण उठाए जाने के बाद के विपणन परिदृश्य के अंतर्गत क्रियाकलापों को जारी रखने का औचित्य न होना को ध्यान में रखते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक केपिटल मार्केट लिमिटेड द्वारा जुलाई 1998 में किए गए अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा के अनुसार आगारों को बंद करने का प्रयास करना चाहिए था यदि निरन्तर हानि उठाने वाले आगारों को तुरन्त बंद कर दिया गया होता तो कम्पनी ने 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ऐसे आगारों द्वारा उठाई गई 14.41 लाख रुपये की हानि को बचा लिया होता।

2.3.3.2 विभिन्न आगारों के कार्य निष्पादन की परस्पर तुलना से यह भी प्रकट हुआ कि भिलाई एवं इन्दौर के आगार क्रमशः 1995-96 से (कुल मिलाकर 13.73 लाख रुपये) एवं 1996-97 से (कुल मिलाकर 13.68 लाख रुपये) से निरन्तर हानि उठा रहे हैं जबकि केवल ग्वालियर आगार समस्त पांच वर्षों के दौरान लाभ (कुल मिलाकर 11.06 लाख रुपये) अर्जित कर रहा है।

2.3.4 तकनीकी सहायता दी जाना

लघु उद्योग इकाइयों को उत्पादों के निर्माण एवं परीक्षण में उन्हें तकनीकी सहायता दिए जाने हेतु कम्पनी ने इन्दौर, जबलपुर एवं भिलाई में एक-एक परीक्षण प्रयोगशाला एवं भोपाल में एक उपकरण कक्ष स्थापित किए। 1999-2000 तक के पांच वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि का विवरण निम्नांकित सारणी अनुसार है :-

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	परीक्षण प्रयोगशाला इन्दौर	(-)5.65	(-)9.01	(-)2.04	(-)6.72	(-)1.19
2.	परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई	(-)6.01	(-)1.99	(+)0.17	(+)0.19	(+)2.56
3.	परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर	(-)2.78	(-)4.69	(-)11.81	(-)11.93	(-)5.11
4.	भोपाल स्थित उपकरण कक्ष	(-)11.76	(-)13.67	(-)11.15	(-)11.47	(-)7.66
	योग	(-)26.20	(-)29.36	(-)24.83	(-)29.93	(-)11.40

भारतीय स्टेट बैंक
केपिटल मार्केट
लिमिटेड की
अनुसंशाओं को
क्रियान्वित न करना

उपर्युक्त तालिका में यह दृष्टिगत होगा कि 1997-98 से 1999-2000 तक के वर्षों का भिलाई स्थित परीक्षण प्रयोगशाला के अलावा समस्त अन्य इकाइयों ने विगत सभी पांच वर्षों में हानि उठाई। यदि भारतीय स्टेट बैंक केपिटल मार्केट लिमिटेड की अनुसंशा के अनुसार उपकरण इकाइयों को बंद करने एवं प्रयोगशाला परीक्षा प्रभारों को उचित रूप में संशोधित करने की कार्यवाही की गई होती तो कम्पनी ने 1999-2000 में हुई 11.40 लाख रुपये की हानि को बचा लिया होता। विभिन्न मदों के परीक्षण प्रभारों में अप्रैल 1996 में 15 से 25 प्रतिशत की, जुलाई 1998 में 20 से 25 प्रतिशत तथा पुनः अक्टूबर 1999 में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस प्रकार ऐसे संशोधनों से बढ़ा हुआ राजस्व इन्दौर एवं जबलपुर स्थित परीक्षण प्रयोगशालाओं को वित्तीय कार्यक्षम बनाने में पर्याप्त नहीं था।

प्रत्युत्तर में प्रबंध मण्डल ने हानि के कारण के रूप में तकनीकी प्रगति की सुविधा के अभाव के साथ यह बताया (मार्च 2001) कि इकाइयों को बन्द करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है।

2.3.5

संपदा एवं निर्माण संभाग

कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में से एक लघु उद्योग इकाइयों के लिए औद्योगिक संस्थानों/ क्षेत्रों का निर्माण, संधारण एवं व्यवस्थापन करना था। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने उपर्युक्त क्रियाकलाप नहीं किए परन्तु जनजाति विभाग, रेशम उत्पादन विभाग, इंडो जर्मन टूलरूम एवं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे अन्य सरकारी विभागों/ निकायों के लिए भवनों/ छात्रावासों का निर्माण किया। इस प्रकार कम्पनी लघु उद्योग इकाइयों के लिए औद्योगिक संस्थान के निर्माण के अपने उद्देश्य से विचलित हुई। कम्पनी ने इस क्रियाकलाप से 1997-98 के दौरान 60.67 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि बाद में 1998-99 और 1999-2000 में मुख्यतः उक्त वर्षों के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के मूल्य में कमी (1997-98 : 13.71 करोड़ रुपये, 1998-99 : 8.99 करोड़ रुपये, 1999-2000 : 6.83 करोड़ रुपये) के कारण क्रमशः 38.12 लाख रुपये एवं 40.06 लाख रुपये की हानि उठाई।

समीक्षागत अवधि के दौरान कम्पनी ने 45.72 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य (संशोधित मूल्य 52.06 करोड़ रुपये) के 216 निर्माण कार्य आरंभ किए जिनमें से 43.06 करोड़ रुपये मूल्य के 180 निर्माण कार्य पूर्ण किये तथा 5.04 करोड़ रुपये मूल्य के 36 निर्माण कार्य (निर्माण कार्य बंद कर दिए गए एक निर्माण कार्य सहित) प्रगत्याधीन थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नांकित चूकें प्रकट हुई जो निर्माण कार्यों में नियंत्रण के अभाव की परिचायक हैं :-

(i) पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों में से (फरवरी 1996 से नवम्बर 2000) 61 प्रकरणों में कम्पनी ने निक्षेप प्राप्तियों से 1.96 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जिसकी अभी वसूली की जानी है (मार्च 2001)।

(ii) 216 प्रकरणों में से 92 प्रकरणों में मुख्यतः समय व्यतीत हो जाने के कारण मूल निर्माण अनुमान राशि को 10.46 प्रतिशत से 190.77 प्रतिशत तक संशोधित कर बढ़ाया गया जो यह दर्शाता है कि निर्माण कार्यों का समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने में कम्पनी की विफलता के कारण संबंधित सरकारी विभागों को मूल्यवृद्धि के रूप में अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

(iii) पूर्ण हो चुके 180 निर्माण कार्यों में से 146 निर्माण कार्य (केवल तीन संभाग) एक माह से साठ माह के विलम्ब से पूर्ण किए गए। इसके साथ ही 12.60 करोड़ रुपये मूल्य के पूर्ण हुए 60 निर्माण कार्य संबंधित विभागों को 7 दिन से 1310 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किए गए। हस्तांतरण में विलम्ब हेतु पूछताछ किए जाने पर (अक्टूबर 2001) प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि विलम्ब संयुक्त निरीक्षण के दौरान कतिपया संशोधन किए जाने तथा भवनों में विद्युत एवं जल सुविधा उपलब्ध कराने के कारण था। संभागीय कार्यालय II के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि हितग्राहियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण में इंगित की गई त्रुटियों के सुधार के साथ ही

हितग्राहियों को कागज पत्रों के हस्तांतरण में उचित कार्यवाही न करने के कारण विलम्ब हुआ संभाग क्रमांक I के कागज पत्रों के हस्तांतरण की संवीक्षा में भी प्रकट हुआ कि हितग्राहियों में केवल अस्थाई आधार पर भवन प्राप्त किए थे जो नियमानुसार नहीं था। इसके साथ ही 1.61 करोड़ रुपये मूल्य के 7 प्रकरणों में यद्यपि दिसम्बर 1999 और मई 2001 के मध्य निर्माण कार्य पूर्ण हो गए थे तथापि आज दिनांक (अक्टूबर 2001) तक हितग्राहियों को भवन हस्तांतरण नहीं किए गए थे। यह कम्पनी द्वारा आरंभ किए गए निर्माण कार्यों में इसे पूर्ण किए जाने में तथा इसके द्वारा पूर्ण किए गए भवनों के हस्तांतरण में इसकी शिथिल कार्यवाही दर्शाता है।

ठेके के अनुसार शारित्त वसूली न किए जाने के परिणाम — स्वरूप 0.33 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि

(iv) 30 प्रकरणों में वर्षा के मौसम, जल एवं मजदूरों की कमी जैसे आधारों पर 11 सप्ताहों में 109 सप्ताहों तक की अवधि का विलम्ब हुआ जिसे उचित योजना बना कर टाला जा सकता था। इन प्रकरणों में एक ओर जहां निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण हितग्राही भवन के उपयोग से वंचित रहे वहीं दूसरी ओर ठेके के अनुसार ठेकेदारों से शारित्त वसूल न किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी को 33.49 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(v) इसी प्रकार निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 2.00 लाख रुपये से 5.00 लाख रुपये मूल्य के निर्माण कार्यों के लिए एक डिप्लोमाधारी यंत्री तथा 5.00 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों के लिए एक स्नातक यंत्री को लगाया जाना था। 15 प्रकरणों की नमूना जांच में यह दृष्टिगत हुआ कि न तो ठेकेदार ने कथित तकनीकी कर्मचारी को नियुक्त किया न निर्धारित 7.92 लाख रुपये राशि की शारित्त ही ठेकेदार पर आरोपित की पाई गई।

अनुबंध के प्रतिकूल 0.26 करोड़ रुपये का भुगतान

(vi) 26.26 लाख रुपये मूल्य के अन्य 22 प्रकरणों में (संपदा संभाग भोपाल संभाग II) अनुबंध के प्रतिकूल ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया गया। प्रत्युत्तर में यह बताया गया (मार्च 2001) कि संबंधित सहायक यंत्री की अनुशंसाओं पर अग्रिम भुगतान किए गए। प्रत्युत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंधों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार नहीं था।

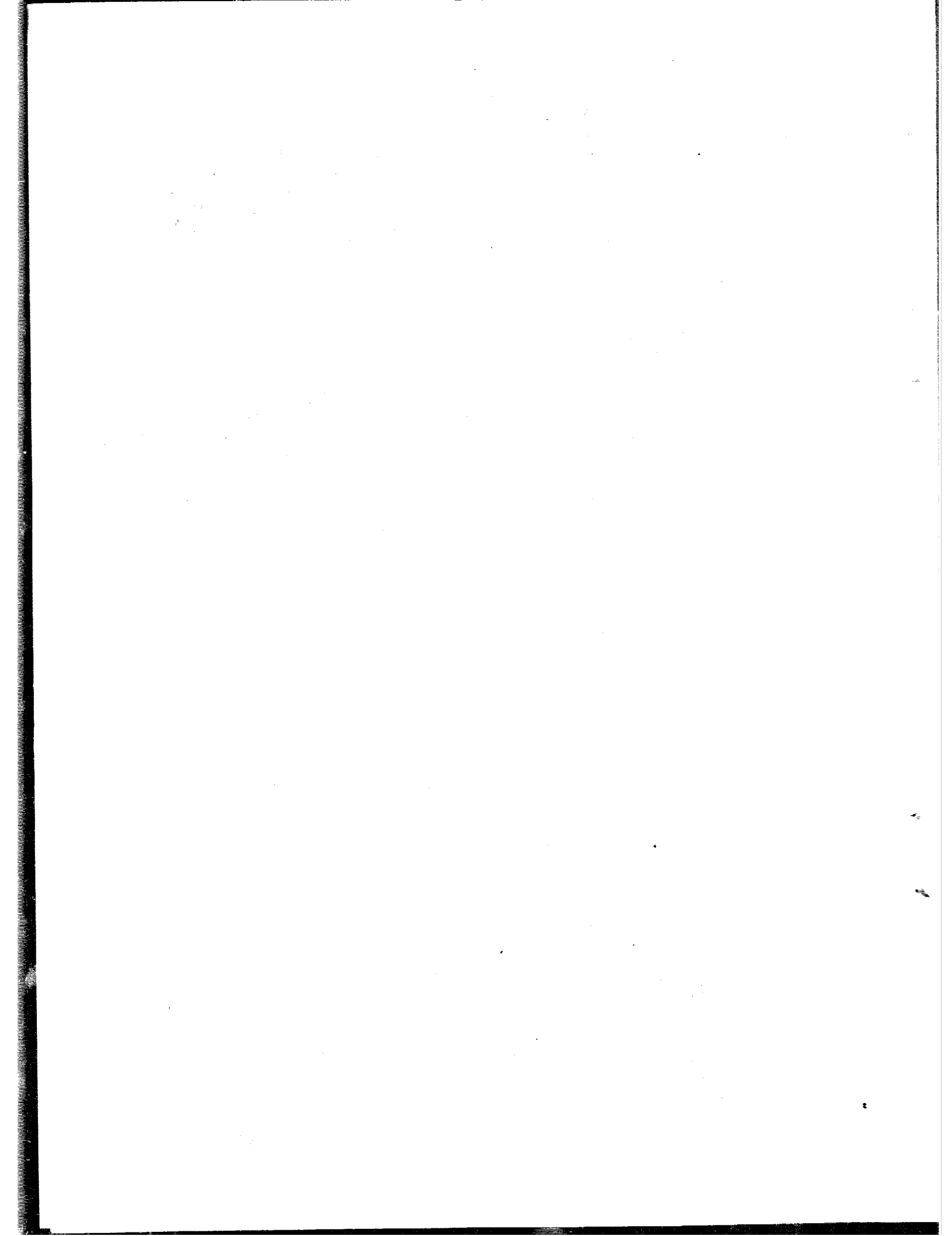
निर्धारित अभिलेख संचारित न करना

चार संभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि ठेकेदार खाता कार्य पंजी, स्थल पर सामग्री पंजी, कार्य आदेश पंजी, माप जांच पंजी तथा उपकरण संयंत्र पंजी इत्यादि जैसे निर्धारित अभिलेख संचारित नहीं किए गए थे। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा भुगतानों पर नियंत्रण रखने, ठेकेदारों से की जाने वाली वसूली इत्यादि में प्रबंध मण्डल द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित नहीं कर सका।

उपर्युक्त प्रकरण जुलाई 2001 में सरकार / कम्पनी की ओर भेजे गए, उनका उत्तर अग्राज है (अक्टूबर 2001)।

उपसंहार

कम्पनी अपना कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही। यह लघु उद्योग इकाइयों के नगण्य प्रतिशत (1999-2000 तक समस्त 5 वर्षों में आधा प्रतिशत से कम) को विपणन सहायता उपलब्ध करा सकी। लघु उद्योग इकाइयों के लिए औद्योगिक संस्थान निर्मित करने के बजाय यह वाणिज्यिक निर्माण क्रिया कलापों में संलग्न रही। जिनमें भी 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इसे हानि हुई। सामग्रियों पर से नियंत्रण उठा लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के कच्चा माल आगारों का औचित्य समाप्त हो गया है। कम्पनी के विक्रय केन्द्र भी प्रत्यक्ष विक्रय के बजाय मुख्यतः प्रेषण विक्रय में संलग्न रहे। अतः कम्पनी द्वारा कथित उद्देश्यों की अनुपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी को बंद करने के संबंध में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।



अध्याय-3

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में सामग्री व्यवस्थापन एवं भण्डार सूची नियंत्रण

मुख्यतः

मार्च 2000 को समाप्त विगत 5 वर्षों के दौरान मण्डल का ईंधन सहित सामग्री की अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय मण्डल के कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 34.87 प्रतिशत, 33.72 प्रतिशत, 36.12 प्रतिशत, 32.12 प्रतिशत एवं 27.08 प्रतिशत था।

(कंडिका 3.1)

रबी मौसम 2000-2001 के लिए ट्रांसफार्मरों हेतु आदेश दिये जाने में विलम्ब के साथ-साथ इनके प्रतिष्ठापन में भी हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 8.61 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.4.1.1)

टर्बो जनरेटर सेटों एवं अन्य संबंधित उपकरणों को काफी पहले अधिप्राप्त कर लिये जाने के परिणामस्वरूप 19.61 करोड़ रुपये तक की निधियां अवरुद्ध हो गईं।

(कंडिका 3.4.1.3(ख))

वर्तमान अग्निशमन प्रणालियों के अलावा 1.47 करोड़ रुपये मूल्य की दो अग्निशमन प्रणालियां 2 से 9 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी चालू नहीं की गईं।

(कंडिका 3.5.2.1 एवं 3.5.2.2)

3.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) मुख्यतः राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत अप्रैल 1957 में गठित किया गया।

मण्डल द्वारा विगत 1995-96 से 1999-2000 तक के पांच वर्षों के दौरान क्रय की गई भण्डार सामग्रियों (ईंधन सहित) का मूल्य क्रमशः 1367.23 करोड़ रुपये, 1657.01 करोड़ रुपये,

1972.01 करोड़ रुपये, 1962.25 करोड़ रुपये तथा 1924.25 करोड़ रुपये था जो मण्डल के कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 34.87 प्रतिशत, 33.72 प्रतिशत, 36.12 प्रतिशत, 32.12 प्रतिशत तथा 27.08 प्रतिशत था। सामग्री व्यवस्थापन एवं भण्डार सूची नियंत्रण के लिए सामग्री लागत एवं भण्डार सूची नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की योजना, अधिप्राप्ति, परिवहन, भण्डारण तथा उपयोग हेतु गहन देखभाल की आवश्यकता रहती है। भण्डार सामग्रियों के क्रय में लगने वाली बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रबंधन को यथेष्ट मात्रा एवं गुणवत्ता की सामग्रियों का उचित समय पर, वांछित स्थल पर तथा मितव्ययी मूल्यों पर एकसमान आगम बना रहना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.2 संगठनात्मक संरचना

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल छः सदस्यीय है और इसके प्रमुख एक अध्यक्ष होते हैं। उत्पादन तथा पारेषण एवं संवितरण शाखाओं के मुख्य क्रमशः सदस्य (उत्पादन) तथा सदस्य (पारेषण एवं संवितरण) होते हैं। भण्डार क्रय एवं भण्डार सूची नियंत्रण के क्रिया कलापों के समन्वय हेतु संबंधित मुख्य अभियंता तथा सहायक कर्मचारीगण उनके सहायक होते हैं। 31 मार्च 2001 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 क्षेत्रीय भण्डार एवं 18 उत्पादन भण्डार अवस्थित थे तथा प्रत्येक के प्रमुख एक अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री हैं।

3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में मण्डल के भण्डार सूची प्रबंधन की समीक्षा की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने 19वे प्रतिवेदन में अपनी अनुशंसाएं की (अक्टूबर 1999) जो नवम्बर 1999 में राज्य विधानसभा के पटल पर रखी गईं। उस पर की गई कार्यवाही की टिप्पणियों की अभी (सितम्बर 2001) प्रतीक्षा है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में "सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में कोयले की अधिप्राप्ति एवं खपत" पर भी एक समीक्षा प्रस्तुत की गई थी।

मार्च 2001 को समाप्त विगत 5 वर्ष के लिए मुख्य अभियंता (उत्पादन) एवं मुख्य अभियंता (पारेषण एवं संवितरण) के मुख्यालय तथा नौ क्षेत्रीय भण्डारों एवं दस उत्पादन भण्डारों को समावृत्त करने वाले अभिलेखों की यह समीक्षा दिसम्बर 2000 से जून 2001 के मध्य की गई। अभिलेखों की नमूना जांच के निष्कर्षों का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.4 सामग्री व्यवस्थापन

सामग्री व्यवस्थापन में सावधानी पूर्वक किया जाने वाला पूर्वानुमान, अधिप्राप्ति एवं सामग्री की खपत समाविष्ट है जिससे कि उनकी प्राप्ति, उपयोगकर्ता इकाइयों को उनके हस्तांतरण एवं भण्डार सूची धारण पर नियंत्रण करने के परिप्रेक्ष्य में सामग्री की आवश्यकता एवं अधिप्राप्ति एवं सूची धारण लागत न्यूनतम रखी जा सके।

3.4.1 क्रय प्रक्रिया

मण्डल के क्रय विनियम 1959 में भण्डारों की क्रय प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उत्पादन/पारेषण एवं संवितरण भण्डारों की वार्षिक आवश्यकता पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर में केन्द्रीय रूप में क्रय किए जाने हेतु क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मुख्यालय को प्रस्तुत करनी होती है। मुख्यालय में भण्डार हेतु समेकित मांगपत्र तैयार किए जाते हैं एवं स्वीकृति हेतु मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। 0.30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के समस्त क्रय निविदाएं आमंत्रित कर किए जाते हैं, 50 लाख रुपये तक के क्रय क्रय समिति की स्वीकृति पर किए जाते हैं, 50 लाख रुपये से अधिक एवं 75 लाख रुपये तक के क्रय सदस्य (वित्त) के परामर्श के साथ मण्डल के संबंधित पूर्णकालिक सदस्य की स्वीकृति पर किए जाते हैं, 75 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये तक के क्रय संबंधित पूर्णकालिक सदस्य द्वारा सदस्य (वित्त) एवं अध्यक्ष से परामर्श कर किए जाते हैं तथा 1 करोड़ रुपये से अधिक के क्रय समग्र मण्डल द्वारा किए जाते हैं। मण्डल ने भण्डार के क्रय, संधारण एवं उसे जारी करने हेतु "अनुदेश नियमपुस्तक" भी निर्धारित की है। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आपातिक प्रकृति के भण्डार स्थानीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

क्रय आदेश देने में दृष्टिगत कमियों को दर्शाने वाले प्रकरणों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

3.4.1.1 क्रय आदेश देने में विलम्ब

समय पर
ट्रांसफार्मर चालू न
किए जाने के
कारण 8.61
करोड़ रुपये के
संभावित राजस्व
की हानि

नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक रबी मौसम* में बढ़े हुए विद्युत भार को पूरा करने हेतु तुरन्त आपूर्ति के लिये छियत्तर 5 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव मण्डल के समक्ष रखा गया (अगस्त 2000)। ये ट्रांसफार्मर दिसम्बर 2000 तक चालू किए जाने थे। 76 ट्रांसफार्मरों से अनुमानित राजस्व 25.84 करोड़ रुपये (76 X 5 X 6.8) प्रतिवर्ष था। जबकि इनके क्रय पर कुल व्यय 8.97 करोड़ रुपये (76 X 11.80) था।

* नवम्बर से मार्च तक

दो माह के विलम्ब के उपरान्त मण्डल ने अक्टूबर 2000 और जनवरी 2001 के मध्य सुपुर्दगी समय तालिका के साथ 76 ट्रांसफार्मरों हेतु वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं को पुनरावृत्ति आदेश जारी किए (अक्टूबर/नवम्बर 2000)। ये ट्रांसफार्मर क्षेत्रीय भण्डार में दिसम्बर 2000 में प्राप्त हुए।

क्षेत्रीय भण्डार इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्रीय भण्डार इन्दौर ने आठ ट्रांसफार्मर क्षेत्रीय भण्डार बड़बाह को अंतरित किए, जबलपुर क्षेत्रीय भण्डार में प्राप्त सात ट्रांसफार्मर जनवरी और मार्च 2001 के मध्य उप संभागों को अंतरित किए गए जो यह दर्शाते हैं कि ट्रांसफार्मर रबी मौसम से पूर्व दिसम्बर 2000 तक चालू नहीं किए गए। यह भी दृष्टिगत हुआ कि क्षेत्रीय भण्डार में ट्रांसफार्मर प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी क्षेत्रीय भण्डार भोपाल में उनके प्रतिष्ठापन में एक माह से आठ माह तक का विलम्ब हुआ। प्रबंधन ने इस भाग में से ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन एवं रबी की फसल 2001 के दौरान इसके उपयोग के विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार ट्रांसफार्मरों के लिए आदेश प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण निश्चित उद्देश्य हेतु इनका उपयोग नहीं किया जा सका तथा प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व अर्जित नहीं किया जा सका। ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन में औसतन चार माह के विलम्ब के फलस्वरूप न्यूनतम आधार पर 8.61 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व की हानि हुई।

मण्डल ने बताया (जुलाई 2001) कि कार्यबल उपलब्ध न होने के कारण ट्रांसफार्मरों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उपलब्ध कार्यबल को राजस्व वसूली के कार्य में लगाया गया था। प्रत्युत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर रबी मौसम 2000-2001 के लिए अत्यावश्यक आधार पर अधिप्राप्त किए गए थे तथा उनका तत्काल उपयोग किया जाना चाहिए था।

3.4.1.2 सम्भाव्यता अध्ययन किए बिना एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति

सम्भाव्यता
अध्ययन किए
बिना 0.41
करोड़ रुपये
मूल्य के
ट्रांसफार्मरों की
अधिप्राप्ति

मण्डल ने एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों में आंतरिक हानियां कम करने की दृष्टि से परीक्षण के तौर पर इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एक योजना में भाग लिया (1994)।

योजना के अनुसार मण्डल को एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों और पारंपरिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता की तुलना करने की दृष्टि से एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों एवं पारंपरिक ट्रांसफार्मरों की अवस्था के संबंध में अध्ययन करना आवश्यक था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मूल्य में अंतर के लिये प्रति एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर 0.10 लाख रुपये का भुगतान मण्डल को किया जाना था।

382 एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की आदेशित मात्रा की तुलना में मण्डल ने 1998-99 में 1.09 करोड़ रुपये मूल्य में 193 एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अधिप्राप्त किए तथा इन ट्रांसफार्मरों की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए एवं गारंटी अवधि के दौरान उनकी विफलता दर भी अधिक होने (21.24 प्रतिशत) के कारण मण्डल ने शेष 189 एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों का आदेश निरस्त किया (अक्टूबर 1999)। मण्डल ने योजना के अंतर्गत बेलखेड़ा/ शाहपुरा में एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए (1998 एवं 1999)। तथापि पारंपरिक एवं एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों में ही पारेषण हानियों के परीक्षण हेतु विशिष्ट मीटरों के अभाव में अवस्था संबंधी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया।

मई 2000 तक गारंटी अवधि में 41 एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विफल हुए। मण्डल ने बताया (जून 2000) कि गारंटी अवधि में विफल 29 ट्रांसफार्मरों को मरम्मत हेतु फर्म ने पहले ही उठवा लिया था जिनमें से 15 ट्रांसफार्मर मरम्मत हेतु अभी भी फर्म के पास हैं।

इस प्रकार गलत योजना एवं संभाव्यता अध्ययन किए बिना इन ट्रांसफार्मरों के क्रय के परिणामस्वरूप एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों एवं पारंपरिक ट्रांसफार्मरों के क्रय मूल्य में अन्तर होने के कारण 41.06 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। उपर्युक्त राशि में से मण्डल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम क्षेत्र में उपयोग किए गए 191 एमॉरफस मेटल कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों हेतु 19.10 लाख रुपये के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पर दावा किया (जुलाई 1999) तथापि इस दावे के विरुद्ध अब तक (सितम्बर 2001) कोई राशि नहीं दी गई है। चूंकि मण्डल ने निर्धारित परीक्षण नहीं किया था अतः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से राशि प्राप्त होने की संभावनाएं अत्यधिक क्षीण हैं।

3.4.1.3 24.89 करोड़ रुपये तक की निधियों का अवरुद्ध होना

(क) क्षेत्रीय भण्डार देवलौद के अभिलेखों की नमूना जांच में दृष्टिगत हुआ कि मण्डल ने बाणसागर जल विद्युत परियोजना के लिए 5.28 करोड़ रुपये मूल्य के जनरेटर पोल असेंबली, रोटर, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर फेन असेंबली तथा अन्य विविध उपकरण अधिप्राप्त किए (जनवरी 1998)। यद्यपि भण्डार में उक्त सामग्रियां जनवरी 1998 में अधिप्राप्त की गईं तथापि जल विद्युत परियोजना (मार्च 2001) चालू नहीं की गई तथा सामग्री, स्थल पर पड़ी है। जिसके परिणामस्वरूप 5.28 करोड़ रुपये की निधियां अवरुद्ध हो गईं और परिणामतः 2.57 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में यह बताया गया (फरवरी 2001) कि मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा बाणसागर बांध का निर्माण न किए जाने के कारण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार बांध के निर्माण की प्रगति से उपर्युक्त क्रय का समकालन न होने के परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हो गईं।

अत्यधिक
पहले 19.61
करोड़ रुपये
मूल्य के टी.
जी. सेट्स एवं
अन्य सम्बद्ध
वस्तुओं का
क्रय

(ख) जून 1990 में मण्डल ने बाणसागर जल विद्युत परियोजना विद्युत गृह III के लिए 19.61 करोड़ रुपये मूल्य के टी जी उपकरण एवं सम्बद्ध अतिरिक्त वस्तुओं (20 मेगावाट X 3) की आपूर्ति हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली को एक क्रय आदेश जारी किया। उपकरण फरवरी 1993 तक प्राप्त हुआ तथा स्थल (साइट) हेतु जारी किया गया। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि तीन इकाइयों में से अभी तक एक भी चालू नहीं की गई तथा उनके लिए क्रय किया गया उपकरण बेकार पड़ा है (मार्च 2001)।

इसके साथ ही सत्यापन के दौरान (अगस्त 2000) उपकरण/ सामग्रियों में कमी जानकारी में आई तथा लापता मदों की आपूर्ति हेतु मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 1.91 करोड़ रुपये के क्रय आदेश जारी किये गये (मई 2001)। मण्डल ने लापता मदों के लिए अभी तक (सितम्बर 2001) उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया था।

इस प्रकार अनुचित योजना एवं परिवीक्षण के कारण मण्डल की बहुमूल्य निधियां 8 वर्षों से अधिक की अवधि तक अवरुद्ध रहीं। परिणामस्वरूप 20.59 करोड़ रुपये राशि तक ब्याज की हानि हुई साथ ही खोई हुई सामग्री पर 1.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.5 भण्डार सूची नियंत्रण

3.5.1 अधिकतम, न्यूनतम, पुनरादेश स्तर एवं मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण न किया जाना

मण्डल ने नवम्बर 1999 में सार्वजनिक उपक्रम समिति को आश्वस्त किया था कि भण्डार का अधिकतम, न्यूनतम एवं मितव्ययी पुनरादेश स्तर निर्धारित किया जावेगा तथापि आश्वासन के बावजूद मण्डल ने अब तक (मार्च 2001) ऐसा स्तर निर्धारित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप बिना किसी आवश्यकता के विभिन्न सामग्रियों का अधिक भण्डार जमा हो गया तथा मण्डल की मूल्यवान निधियां अवरुद्ध हो गईं, जैसा कि आगे की कड़िकाओं में विश्लेषण किया गया है।

3.5.2 तात्कालिक आवश्यकता के बिना/ से अधिक सामग्री की अधिप्राप्ति

3.5.2.1 अग्निशमन प्रणाली चालू न की जाना

अग्निशमन
उपकरण चालू न
किए जाने के
कारण 0.57
करोड़ रुपये के
ब्याज की हानि

जुलाई 1987 में कोरबा (पूर्व) हेतु 32.15 लाख रुपये मूल्य के अग्निशमन उपकरणों के क्रय का आदेश जारी किया गया। यद्यपि नवम्बर 1992 में भण्डार में सामग्रियाँ प्राप्त हो गईं तथापि मार्च 2001 तक ये चालू नहीं की गईं।

इसी प्रकार माचाडोली विद्युत गृह हेतु जुलाई 1997 में 46.14 लाख रुपये मूल्य के अग्निशमन उपकरण के क्रय हेतु आदेश जारी किया गया। मार्च 1999 में उपकरण प्राप्त होने के बावजूद इसे अब तक (मार्च 2001) चालू नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि उपरोक्त इकाइयों में निम्नांकित अग्नि बचाव प्रणालियाँ पहले ही संस्थापित कर दी गई थी :

- (क) मशीनों के लिए केन्द्रीयकृत सीओ 2 प्रणाली
- (ख) विभिन्न स्थलों पर रखे गए अग्नि परिशामक
- (ग) फायर टेंडर

उपर्युक्त प्रणाली के निरंतर परिचालन एवं नए उपकरण प्राप्त होने के उपरान्त दो से नौ वर्षों की अवधि के मध्य तक उन्हें चालू न किया जाना सिद्ध करता है कि परिचालनगत विद्यमान प्रणाली मण्डल की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए पर्याप्त थी तथा कोरबा एवं माचाडोली विद्युत गृहों के लिए क्रय किए गए 78.29 लाख रुपये मूल्य के उपर्युक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार मण्डल की 78.29 लाख रुपये राशि की निधियाँ दो से नौ वर्षों तक अवरुद्ध रहीं परिणामतः 57.24 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। उपकरण मंगाए जाने के बावजूद उन्हें चालू न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

3.5.2.2 अग्निशमन प्रणाली चालू न किए जाने के परिणामस्वरूप 68.58 लाख रुपये अवरुद्ध होना

आठ वर्षों के पश्चात्
भी 0.69 करोड़
रुपये मूल्य की अग्नि
शमन प्रणाली चालू
न की जाना

मण्डल ने एस.टी.पी.एस.सारणी में 47 ट्रांसफार्मरों तथा टरबाइन ऑयल टैंकों हेतु 81.37 लाख रुपये की कुल लागत पर अग्नि शमन प्रणाली की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के लिए मेसर्स माथर एण्ड प्लट लिमिटेड बम्बई को एक आदेश जारी किया (दिसम्बर 1986)। संरेखण, सिविल निर्माण कार्य, निर्माण, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने सहित संपूर्ण कार्य सितम्बर 1987 तक पूरा किया जाना था। सितम्बर 1988 एवं जुलाई 1992 के मध्य 72.65 लाख रुपये मूल्य

की सामग्री आपूरित की गई थी। जिसके विरुद्ध मण्डल ने मई 1989 और मार्च 1993 के मध्य 68.58 लाख रुपये का भुगतान किया।

पावर ग्रिड में अनवरत प्रवाह बनाए रखने के कारण उक्त ट्रांसफार्मरों की महत्वपूर्ण स्थिति हो जाने के कारण 15 दिनों के लिए उक्त तीन संयोजित ट्रांसफार्मरों को बंद करने में मण्डल की 1990 से असमर्थता के मुख्य कारणवश संपूर्ण प्रणाली अब तक स्थापित एवं चालू नहीं की जा सकी (जून 2001)। इस प्रकार बिना किसी योजना के अग्निशमन प्रणाली के प्रतिष्ठापन हेतु आदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप 68.58 लाख रुपये की राशि 8 वर्ष तक अवरुद्ध रही इसके अलावा महत्वपूर्ण अग्नि शमन सुविधा के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

3.5.2.3 एल टी स्विचटाइप केपेसिटर बैंकों की अधिप्राप्ति

0.18 करोड़ रुपये मूल्य के एल टी टाइप केपेसिटरों का अनावश्यक क्रय

1 अप्रैल 1998 को क्षेत्रीय भण्डार जबलपुर में एक 30 के वी आर स्विच टाइप केपेसिटर बैंक था। अप्रैल से जुलाई 1998 के दौरान 396 प्राप्त किए गए जिनमें से केवल 109 केपेसिटर बैंक अगस्त 1998 में जारी किए गए। यद्यपि भण्डार गृह में 288 केपेसिटर बैंकों का भण्डार था तथापि जुलाई 1999 में इसने 200 केपेसिटर बैंकों की आपूर्ति प्राप्त की जबकि 1999-2000 के दौरान इनकी कोई मात्रा जारी नहीं की गई, 2000-2001 के दौरान केवल 120 केपेसिटर बैंक जारी किए गए तथा 368 केपेसिटर बैंक शेष रहे। इस प्रकार जुलाई 1999 में 17.67 लाख रुपये में प्राप्त 200 केपेसिटर बैंकों का क्रय अनावश्यक था।

3.5.2.4 ए सी एस आर डोंग कण्डक्टर का क्रय

1.04 करोड़ रुपये मूल्य के ए सी एस आर डोंग कण्डक्टर का उपयोग न किया जाना

मुख्य अभियन्ता (भण्डार एवं क्रय) ने 33 किलोवोल्ट लाइनों को सुदृढ़ करने हेतु 1515 किलोमीटर ए सी एस आर डोंग कण्डक्टर की अधिप्राप्ति हेतु 7.15 करोड़ रुपये मूल्य के क्रय आदेश जारी किए (मार्च 1996)।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि उपर्युक्त में से 617.19 किलोमीटर एवं 234.52 किलोमीटर मात्रा क्रमशः क्षेत्रीय भण्डार भिलाई एवं उज्जैन में प्राप्त की गई। क्षेत्रीय भण्डारों ने सामग्रियों को संबंधित निर्माण उप संभागों को अंतरित किया। तथापि 4 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भिलाई एवं उज्जैन में 52.35 लाख रुपये तथा 51.68 लाख रुपये मूल्य के क्रमशः 118.66 किलोमीटर एवं 117.142 किलोमीटर कण्डक्टर का उपयोग नहीं किया गया। इसके परिणाम- स्वरूप निधियां अवरुद्ध हो गईं तथा परिणामतः 62.42 लाख रुपये तक ब्याज की हानि हुई।

3.5.2.5 तात्कालिक आवश्यकता के बिना ए सी एस आर मूस कण्डक्टर की अधिप्राप्ति

5.39 करोड़ रुपये मूल्य के ए सी एस आर मूस कण्डक्टरों का उपयोग न किया जाना

मण्डल ने ए सी एस आर मूस कण्डक्टर की आपूर्ति हेतु मेसर्स क्लेन एण्ड मार्शल्ल्स (एम एण्ड ई) लिमिटेड मद्रास को एक क्रय आदेश जारी किया (मार्च 1996)। 2650 किलोमीटर की कुल मात्रा में से क्षेत्रीय भण्डार सागर में अप्रैल 1998 में 5.39 करोड़ रुपये मूल्य का केवल 274.77 किलोमीटर मूस कण्डक्टर प्राप्त किया गया। इसमें से 273.77 किलोमीटर कण्डक्टर खुले प्रांगण में अब भी कण्डक्टर ड्रमों में पड़ा है (मार्च 2001)। चूंकि कण्डक्टर खुले प्रांगण में पड़े हैं तो उनकी चोरी एवं उनका क्षय होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

उपर्युक्त कण्डक्टर उपयोग में न लाए जाने के परिणामस्वरूप मण्डल की 5.39 करोड़ रुपये की निधियां अवरुद्ध हो गई तथा परिणामतः 2.40 करोड़ रुपये राशि के ब्याज की हानि हुई (मार्च 2001)।

प्रत्युत्तर में मण्डल ने बताया (मार्च 2001) कि उपर्युक्त मात्रा 400 के वी नागदा सरदार सरोवर लाइन हेतु कार्यपालन यंत्री (उच्चदाब निर्माण) रतलाम की ओर अंतरित कर दी गई (अगस्त 2000)। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2000 में अंतरण हेतु आदेशों के बावजूद मात्रा क्षेत्रीय भण्डार सागर में अभी भी (मार्च 2001) पड़ी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना किसी आवश्यकता के अधिप्राप्ति की गई थी।

3.5.2.6 उच्च दाब लाइनों के निर्माण हेतु लोहे की वस्तुएं (हार्डवेयर) एवं सहायक सामग्री का उपयोग न किया जाना

उच्च दाब लाइनों के निर्माण लिए लोहे की वस्तुओं (हार्डवेयर) एवं सहायक सामग्रियों का उपयोग न किया जाना

(क) मुख्य अभियंता (पारेषण एवं क्रय) जबलपुर द्वारा वर्ष 1995-96 में जारी किये गये छः क्रय आदेशों के विरुद्ध 1995-99 के दौरान क्षेत्रीय भण्डार जबलपुर में उच्चदाब लाइनों के निर्माण लिए 2.46 करोड़ रुपये मूल्य की लोहे की वस्तुएं (हार्डवेयर) एवं सहायक सामग्रियां प्राप्त की गई थी। 1995-96 से 2000-2001 के दौरान इन वस्तुओं का जारी किया जाना नगण्य था जिसके कारण मार्च 2001 के अंत में 1.98 करोड़ रुपये मूल्य का भण्डार बड़ी मात्रा में रखा हुआ था।

2000-2001 तक विगत पांच वर्षों के दौरान अधिक भण्डारण के परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रुपये तक की निधियां अवरुद्ध हो गई और परिणामतः 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1.49 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई। स्पष्ट है कि उच्चदाब लाइनों को बिछाने की उचित योजना/ उच्चदाब लाइनों के निर्माण हेतु अन्य आवश्यक मदों की अधिप्राप्ति के बिना सामग्री का क्रय किया गया।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय भण्डार इन्दौर एवं सागर में मार्च 2001 के अंत तक विगत पांच वर्षों से 1.21 करोड़ रुपये मूल्य की उच्चदाब लाइनों के निर्माण की मदें अनिर्गमित पड़ी रहीं।

ऐसी अवरुद्ध निधियों पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित परिहार्य ब्याज 90.75 लाख रुपये होता था।

3.5.2.7 पूर्ण संयोजित रोटर पोल कॉइल्स का परिहार्य क्रय

0.47 करोड़ रुपये
मूल्य की रोटर
पोल कॉइलों की
अधिक अधिप्राप्ति

बरगी जल विद्युत केन्द्र के संधारण संभाग में 15.9.95 को पांच प्रयोज्य एवं एक दोषपूर्ण कुल छः रोटर पोल कॉइल्स थे। सितम्बर 1995 में दो कॉइलों को बदला गया तथा तीन दोषपूर्ण कॉइलें मार्च 1996 में मरम्मत हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर भेजी गईं। अप्रैल 1996 में मण्डल ने बरगी जल विद्युत केन्द्र बरगी हेतु 35.55 लाख रुपये मूल्य के छः रोटर पोल कॉइलों का क्रय आदेश मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नागपुर को जारी किया। बरगी मुख्य भण्डार गृह में ये कॉइलें दिसम्बर 1997 में प्राप्त की गईं। संधारण संभाग ने अगस्त 1998 एवं मार्च 2000 प्रत्येक में एक के हिसाब से पुनः कुल दो कॉइलों का मांगपत्र प्रस्तुत किया। तथापि संधारण संभाग में पहले ही उपलब्ध छः कॉइलों के अतिरिक्त ये कॉइलें मार्च 2001 तक भण्डार में रखी गईं। मार्च 2001 तक संधारण संभाग में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से मरम्मत हुई तीन कॉइलें प्राप्त होने के उपरांत 47.40 लाख रुपये मूल्य की आठ कॉइलें (दो दोषपूर्ण सहित) भण्डार में थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भण्डार में चार पोल असेम्बली कॉइलें हैं। इस प्रकार रोटर पोल असेम्बली की अधिप्राप्ति का औचित्य नहीं था।

प्रत्युत्तर में यह बताया गया कि कॉइलें विफल हो जाने की स्थिति में किसी आपातक आवश्यकता को पूरा करने हेतु भण्डार में निश्चित स्तर तक कुछ वस्तुओं का रखा जाना आवश्यक होता है। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि किसी आपातक स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त भण्डार था तथा मण्डल ने भण्डार का कोई स्तर निर्धारित नहीं किया था। इस प्रकार 35.55 लाख रुपये में छः कॉइलों की अधिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं था।

आवश्यकता का
उचित निर्धारण
किए बिना 10.63
करोड़ रुपये मूल्य
की सामग्री की
अधिप्राप्ति

3.5.2.8 कोरबा (पूर्व) पी एच II एवं पी एच III भण्डार गृह में 10.63 करोड़ रुपये राशि की उंचे मूल्य की भण्डार सूची मर्दन फरवरी 2001 में दो से नौ वर्षों तक बिना जारी किये पड़ी रही। यह दर्शाता है कि मर्दन आवश्यकता के उचित निर्धारण के बिना क्रय की गई थीं। इस प्रकार से अवरुद्ध 10.63 करोड़ रुपये की निधियों पर परिहार्य ब्याज का भार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 1.59 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष संगणित हुआ।

0.78 करोड़ रुपये
मूल्य की
आवश्यकता से
अधिक सामग्री की
अधिप्राप्ति

3.5.2.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त 78.32 लाख रुपये मूल्य की मर्दन आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्त की गई तथा वे बेकार पड़ी थीं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	मद का विवरण	मात्रा	मूल्य (लाख रुपये में)	क्रय माह	ब्याज की हानि (लाख रुपये में)
1.	ई ओ टी क्रेन	संख्या 1	8.34	मार्च 1998	3.75
2.	आर्मर्ड केबल (4 कोर X 10 वर्ग मिलिमीटर)	10.262 किलोमीटर	10.05	1995	9.04
3.	स्टेटर वाइंडिंग बार (ऊपरी)	संख्या 10	21.90	जनवरी 1998	9.85
4.	फोर्सड पलो सक्शन ट्यूब	संख्या 1380	38.03	जनवरी 1997	22.82
			78.32		45.46

इस प्रकार 78.32 लाख रुपये की निधियां अवरुद्ध रहीं जिसके परिणामस्वरूप 45.46 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

3.6 भण्डार व्यवस्थापन

3.6.1 भौतिक सत्यापन

भण्डार गृहों में भण्डार की कमी का शेष 1995-96 में 0.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 4.07 करोड़ रुपये हो गया

उत्पादन भण्डार गृह के संबंध में मार्च 2000 को समाप्त विगत पांच वर्षों हेतु भण्डार सत्यापन उचित लेखे की स्थिति निम्नानुसार थी :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	लेखा कोड 22.810 (अधिक)				लेखा कोड 20.830 (कमी)			
	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान सृजन	वर्ष के दौरान निकासी	अंत शेष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान सृजन	वर्ष के दौरान निकासी	अंत शेष
1995-96	233.37	85.62	102.78	216.22	88.02	171.41	26.33	233.10
1996-97	216.69	21.97	21.01	217.66	265.10	84.79	133.23	216.66
1997-98	217.66	66.86	59.09	225.42	216.66	300.19	152.50	364.35
1998-99	225.42	72.79	132.49	165.73	364.35	153.37	110.72	407.00
1999-2000	165.73	1.39	39.72	128.79	407.00	28.87	88.26	347.61

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टव्य है कि कमी का अंत शेष 1995-96 में 2.33 करोड़ रुपये से बढ़कर यह 1998-99 में 4.07 करोड़ रुपये हो गया। भौतिक सत्यापन प्रणाली पर्याप्त नहीं थी तथा

परिवीक्षण/ पता लगाई गई कमी का समाधान समय से नहीं किया गया एवं निकासी की प्रगति अत्यंत धीमी थी। सामग्रियों की चोरी/ दुर्विनियोग की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

उत्पादन भण्डार गृह के भण्डार सत्यापन उद्यत की समीक्षा के दौरान दृष्टिगत प्रकरणों का आगे की कंडिकाओं में विश्लेषण किया गया है।

3.6.1.1 सीमेंट और इस्पात की कमी

0.27 करोड़ रुपये
मूल्य के सीमेंट की
कमी की वसूली न
की जाना

वर्ष 1999-2000 हेतु सिलपारा भण्डार गृह से संबंधित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में परिलक्षित हुआ कि 26.76 लाख रुपये मूल्य के 856.632 मीट्रिक टन सीमेंट एवं इस्पात आदि कम पाए गए। मण्डल ने प्रकरण की जांच हेतु एक कार्यदल गठित किया। हालांकि कार्यदल के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। यह भी दृष्टिगत हुआ कि 15 वर्षों से संभाग में इन भण्डार गृहों में भौतिक सत्यापन/ समाधान नहीं किया गया था। अतः दुर्विनियोग/ चोरी की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

3.6.2 13.34 करोड़ रुपये के 63 के.वी.ए. और 100 के.वी.ए. मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मरों का संचयन

मण्डल ने जुलाई 1998 में विभिन्न गैर सरकारी पक्षकारों से 63 के.वी.ए. एवं 100 के.वी.ए. ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु क्रमशः 10009 रुपये एवं 12274 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर पर संविदा जारी की। ठेका अप्रैल 2001 तक वैध था।

विभिन्न क्षेत्रीय भण्डारों पर उपलब्ध मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मरों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	ट्रांसफार्मरों की संख्या		मूल्य (करोड़ रुपये में)
1997-98	63 के.वी.ए.	494	1.78
	100 के.वी.ए.	171	1.40
1998-99	63 के.वी.ए.	529	0.87
	100 के.वी.ए.	319	0.54
1999-2000	63 के.वी.ए.	2100	4.27
	100 के.वी.ए.	848	1.53
2000-01	63 के.वी.ए.	4093	8.32
	100 के.वी.ए.	1894	5.02

13.34 करोड़ रुपये
के सुधारे गए
ट्रांसफार्मरों का
उपयोग न किया
जाना

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टव्य है कि दर संविदा (1997-98) के पूर्व 1.78 करोड़ रुपये एवं 1.40 करोड़ रुपये मूल्य के क्रमशः 63 के.वी.ए. के 494 तथा 100 के.वी.ए. के 171 मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर उपलब्ध थे। जुलाई 1998 में दर संविदा जारी किए जाने के उपरांत मार्च 2001 में इन ट्रांसफार्मरों की स्थिति 8.32 करोड़ रुपये के 63 के.वी.ए. के 4093 ट्रांसफार्मर एवं 5.02 करोड़ रुपये के 100 के.वी.ए. 1894 ट्रांसफार्मर थे। इस प्रकार 63 के.वी.ए. एवं 100 के.वी.ए. के ऐसे मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मरों में, जो अप्रयुक्त पड़े थे क्रमशः 828.54 प्रतिशत एवं 1107.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मण्डल ने इन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं परिवहन लागत पर 6.42 करोड़ रुपये का व्यय किया।

दूसरी ओर मण्डल ने वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान 72.40 करोड़ रुपये एवं 77.76 करोड़ रुपये के क्रमशः 63 के वी ए के 19238 तथा 100 के वी ए के 15980 ट्रांसफार्मरों का क्रय किया। मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए ट्रांसफार्मरों के क्रय को उचित रूप में कम किया जा सकता था तथा मण्डल की दुर्लभ निधियों का लाभपूर्ण स्थिति में अन्यत्र उपयोग किया जा सकता था।

3.6.3 मरम्मतयोग्य ट्रांसफार्मर का विक्रय

मण्डलने निविदा के माध्यम से बेकार एवं अतिरिक्त सामग्री के निर्वर्तन के संबंध में निश्चय किया (सितम्बर 1999) कि -

ट्रांसफार्मरों के विक्रय हेतु मण्डल के निश्चय का अनुपालन न किया जाना

(क) केवल ऐसे 25 के वी ए ट्रांसफार्मरों का निर्वर्तन किया जाना चाहिए जिनकी मितव्ययी रूप में मरम्मत नहीं की जा सकती। शेष का उपयोग उनकी मरम्मत के उपरांत निम्न दाब क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

(ख) काम न कर पा रहे 63 के.वी.ए. एवं 100 के वी ए ट्रांसफार्मर, जिनकी वाइंडिंग बदले जाने की आवश्यकता है, उनका निर्वर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तथा नए ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करने से बचने हेतु उनकी शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मण्डल ने उपर्युक्त निर्णय सितम्बर 1999 में लिया तथा उक्त निर्णय मुख्य अभियंता (भण्डार गृह) को 24.9.99 को प्राप्त हो गया था। तथापि यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्णय की अवहेलना कर गैर सरकारी पक्षकारों को जैसे हैं जहां हैं के आधार पर रद्दी माल की दर पर 63 के.वी.ए. के 3493 एवं 100 के वी ए के 1333 ट्रांसफार्मरों के विक्रय हेतु उसी दिनांक को निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई। भण्डार गृह विभाग ने ऐसे ट्रांसफार्मरों (63 के.वी.ए. एवं 100 के.वी.ए.) की पहचान हेतु जिनकी कि केवल वाइंडिंग बदले जाने की आवश्यकता थी कोई पहल नहीं की। इसके बजाय 63 के वी ए एवं 100 के वी ए के निर्धारित मूल्य के समस्त ट्रांसफार्मरों के लिए जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना के विरुद्ध विक्रय कर दिया गया।

3.6.4 मंदगति चलित/ अचल/ अप्रचलित/ मरम्मत न करने योग्य/ रद्दी माल भण्डार

3.6.4.1 अवरुद्ध भण्डार

विगत पांच वर्षों हेतु पारेषण एवं संवितरण भण्डार गृहों पर विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत भण्डार सूची संपत्ति निम्नानुसार थी :

1995-96 में
68.62 प्रतिशत
से बढ़कर
1999-2000 में
अवरुद्ध भण्डार
81.65 प्रतिशत
हो गया

(लाख रुपये में)

विवरण	31.3.96	31.3.97	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
मंद गति चलित	1038.44	1240.00	1020.64	603.90	1891.50
अति मंदगति चलित	3990.00	4268.00	5502.38	5765.00	4693.76
अचल मर्दे	1838.22	1748.92	1614.43	2039.94	2039.00
योग	6866.66	7256.92	8137.45	8408.84	8624.26
तीव्र गति चलित मर्दे	3111.10	2434.38	1545.60	2553.62	1938.49
वर्ष के अंत में वस्तु सूची भण्डार	9977.76	9691.30	9683.05	10962.46	10562.75
कुल भण्डार सूची भण्डार से मन्दगति चलित, अति मंदगति चलित तथा अचल मर्दों की प्रतिशतता	68.62%	74.88%	84.04%	76.71%	81.65%

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टव्य है कि कुल भण्डार सूची भण्डार की तुलना में अवरुद्ध भण्डार 1995-96 में 68.62 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 81.65 प्रतिशत हो गया।

3.6.4.2 रद्दी सामग्रियों का निर्वर्तन न होना

15.53 करोड़ रुपये मूल्य के रद्दी सामग्री का निर्वर्तन न होना

मण्डल ने आंतरिक राजस्व जुटाने हेतु गहन प्रयासों के साथ-साथ व्यय में अधिकतम मितव्यय हासिल करने की दृष्टि से अतिरिक्त आर्थिक उपाय लागू करने का निश्चय किया (जुलाई 1999)। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न क्षेत्रीय भण्डारों एवं विद्युत केन्द्रों पर उपलब्ध वाहनों इत्यादि की रद्दी एवं अप्रचलित सामग्रियों के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का त्वरित सत्यापन किया जाना था व इनके निर्वर्तन हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी थी। विगत चार वर्षों तक उपलब्ध रद्दी सामग्री का निर्वर्तन वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	(वित्तीय वर्ष के दौरान) निर्वर्तित सामग्री का मूल्य	अधिशेष
1996-97	1098.09	779.04	1877.13	638.09	1187.87
1997-98	1187.87	979.29	2167.16	1136.94	1030.22
1998-99	1030.22	1391.67	2421.89	1151.63	1270.26
1999-2000	1270.26	2063.86	3334.12	1781.34	1552.78
योग					5041.13
औसत					1260.28

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टव्य है कि विगत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 12.60 करोड़ रुपये की रद्दी सामग्री भण्डार गृह में पड़ी थी। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1.98 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

3.6.4.3 अप्रचलित/ अतिरिक्त भण्डार का निर्वर्तन न होना

अप्रचलित
भण्डार का 10
वर्ष से अधिक
तक निर्वर्तन न
होना

(क) भिलाई कार्यशाला के संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1998-99 के परीक्षण के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति कि अनुशंसाओं (अक्टूबर 1999) एवं मण्डल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद 25 लाख रुपये मूल्य की 32 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर एवं 56 मिलीमीटर आकार की एम एस प्लेटों का अब तक न तो उपयोग किया गया न उनका निर्वर्तन ही किया गया (मार्च 2001)।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त सिलपारा भण्डार गृह में 25.34 लाख रुपये की एवं सिरमौर परिचालन एवं संधारण भण्डार गृह में 23.39 लाख रुपये मूल्य की एम एस प्लेटें भी दीर्घ अवधि से अप्रयुक्त पड़ी थीं तथापि इसके उपयोग अथवा निर्वर्तन हेतु कार्यवाही की प्रतीक्षा थी (मार्च 2001)।

0.24 करोड़
रुपये मूल्य के
आयातित
इस्पात की
अधिक
अधिप्राप्ति

(ग) विद्युत गृह I के पेन स्टॉक हेतु इस्पात शेल/ लाइनिंग डाले जाने के लिए जापान से 3.54 करोड़ रुपये मूल्य की आयातित इस्पात प्लेटें (6884.144 मीटरिक टन) अधिप्राप्त की गईं (फरवरी 1984)। अधिप्राप्त 6884.144 मीटरिक टन में से 6415.059 मीटरिक टन इस्पात प्लेटों का 1990-91 और 1991-92 में उपयोग किया गया। 3.105 मीटरिक टन इस्पात प्लेटें अगस्त 1996 में सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र सारणी को जारी की गईं।

23.93 लाख रुपये की शेष 465.98 मीटरिक टन मात्रा मण्डल के पास 1984 से अप्रयुक्त पड़ी थी (जनवरी 2001)। परिणामस्वरूप मण्डल की निधियां अवरुद्ध रहीं और इसके साथ ही 61.02 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। मण्डल ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2001) कि शेष मात्रा भविष्य में अन्य कार्यों में उपयोग में लाई जावेगी। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि सामग्री 17 वर्षों से अधिक समय से व्यर्थ पड़ी है।

3.6.5 स्थल पर पड़ी अस्वीकृत वस्तुओं को न बदला जाना

0.29 करोड़
रुपये मूल्य की
अस्वीकृत
वस्तुओं को न
बदला जाना

मण्डल ने अस्वीकृत वस्तुओं को बदले जाने अथवा ऐसी वस्तुओं के विरुद्ध जमा कराए गए अग्रिमों को समायोजित करने हेतु परिवीक्षण के लिए प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रखा। लेखापरीक्षा में नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुए —

(क) कोरबा (पूर्व) की अस्वीकृत वस्तुओं की समीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि मार्च 1998 से भण्डार गृह में 28.66 लाख रुपये राशि की मूल्यवान अस्वीकृत वस्तुएं पड़ी थीं। मण्डल ने उनके विरुद्ध अग्रिम भुगतान भी किया था।

न तो आपूर्तिकर्ता (ब्ल्यू चिप एवं अन्य) ने वस्तुओं को बदला न मण्डल ने ही फर्म के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की। इसी प्रकार 16.96 लाख रुपये मूल्य की अन्य 31 मदें बदले जाने हेतु कोरबा (पश्चिम) में भी पड़ी थीं। ये मदें 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान अस्वीकृत की गई थीं। इन प्रकरणों में भी मण्डल ने अग्रिम भुगतान किया था।

(ख) अप्रैल 1996 में अधीक्षण यंत्री/ पी एच III ने मेसर्स ब्ल्यू चिप (I) कोरबा को स्टेटर कॉइलों के दो सेंटों की आपूर्ति का क्रय आदेश जारी किया। फर्म ने मार्च 1998 में सामग्रियों की आपूर्ति की जिसे भण्डार गृह ने अस्वीकृत कर दिया (मार्च 1998)। तथापि मण्डल ने फर्म को क्षतिपूर्ति बंधपत्र के विरुद्ध 0.10 करोड़ रुपये राशि का शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया (दिसम्बर 1998)। अस्वीकृत सामग्रियां फर्म को सितम्बर 1999 में वापस की गईं। मूल क्षतिपूर्ति बंधपत्र नकदीकरण हेतु क्षेत्रीय लेखा अधिकारी /कोरबा की ओर भेजा गया। परन्तु बंधपत्र की प्रतर्जनावधि समाप्त हो गई थी तथा उसे क्षेत्रीय लेखा अधिकारी ने वापस भेज दिया।

चूंकि न तो फर्म ने अस्वीकृत सामग्रियों को बदला न मण्डल क्षतिपूर्ति बंधपत्रों का नकदीकरण करा सका अतः मण्डल को 0.10 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उपसंहार

मण्डल ने भण्डार गृहों के न्यूनतम, अधिकतम, पुनरादेश स्तर एवं आपातिक स्तर निर्धारित करके प्रभावकारी भण्डार सूची नियंत्रण के उपाय नहीं किये। (क) क्रय से पूर्व आवश्यकता के उचित निर्धारण (ख) दोषपूर्ण सामग्रियों को बदलने (ग) अतिरिक्त सामग्रियों का समय-समय पर पता लगाए जाने व उनके शीघ्र निर्वर्तन हेतु कोई प्रणाली निर्धारित नहीं थी।

क्रय करने के पूर्व आवश्यकता का ठीक ठीक निर्धारण करने तथा अतिरिक्त सामग्रियों का पता लगाए जाने के साथ-साथ उनके शीघ्र निर्वर्तन हेतु मण्डल को तत्काल कोई प्रणाली लागू करना चाहिए।

विविध रुचिकर प्रकरण

4 क. सरकारी कम्पनियाँ

4 क.1. मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम मर्यादित

4 क.1.1 सह उद्यम कम्पनी में अलाभकारी निवेश

अंशों का समयानुकूल विनिवेश करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 8.84 करोड़ रुपए का अलाभकारी निवेश

प्राक्धान के
बावजूद विनिवेश
में विफलता के
परिणामस्वरूप
8.84 करोड़ रुपए
का अलाभकारी
विनिवेश हुआ

कम्पनी ने विभिन्न प्रणाली उपकरणों का भारत में निर्माण/विपणन व्यवसाय आरंभ करने हेतु मेसर्स फुजीत्सू ऑप्टेल लिमिटेड (फोटल) के नाम से सह उद्यम कम्पनी गठित करने के लिए मेसर्स फुजीत्सू लिमिटेड, जापान (प्रवर्तक) के साथ एक अनुबंध (मार्च 1994) सम्पादित किया। अनुबंध के अनुसार फोटल की 52 करोड़ रुपए की अंशपूँजी में फुजीत्सू द्वारा 31.72 करोड़ रुपए (61 प्रतिशत), कम्पनी द्वारा 8.84 करोड़ रुपए (17 प्रतिशत), आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड को 8.84 करोड़ रुपए (17 प्रतिशत) तथा विर्गो को 2.60 करोड़ रुपए (5 प्रतिशत) राशि अंशदानित करना थी। अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि कम्पनी प्रथमतः प्रवर्तक कम्पनी को प्रस्तावित करने के अलावा किसी अन्य को अपने अंशों का विक्रय नहीं करेगी। प्रवर्तक कम्पनी द्वारा इंकार करने की दशा में ही किसी अन्य पक्ष को अपने अंशों का विक्रय कर सकेगी, तथापि अंशों के हस्तांतरण/विक्रय हेतु कोई समयबद्धता निश्चित नहीं की गई थी। फुजीत्सू ऑप्टेल लिमिटेड (फोटल) ने अपने क्रियाकलाप 1994-95 में ही आरंभ कर दिए। कम्पनी ने मार्च 1995 से मई 1997 अवधि के दौरान 8.84 करोड़ रुपए का निवेश किया।

लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ (जून 2000) कि 1998-99 के दौरान सीमान्त लाभ प्राप्ति को छोड़कर आरंभ से ही फोटल भारी घाटे में चल रही थी। 31.3.2000 को संचित हानि 9.52 करोड़

रुपए तक पहुंच गई थी तथा 1999-2000 तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था, फिर भी फोटेल् के अलाभकारी कार्यचालन के बावजूद कम्पनी ने अंशों के पुनर्क्रय हेतु प्रवर्तन कम्पनी से संपर्क नहीं किया।

इस प्रकार अपने अंशों का समयानुकूल विनिवेश करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 8.84 करोड़ रुपए की अवरुद्धता रही तथा प्रतिवर्ष 1.06 करोड़ रुपए के ब्याज (12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से संगणित) की हानि हुई।

कम्पनी ने बताया (जून 2000) कि आयात शुल्कों में कटौती एवं शिथलीकरण तथा विश्वव्यापीकरण के तदपरिणामी प्रभार के कारण फोटेल् भारी हानियां उठा रही थी जिससे समग्र स्थिति ही बदल गई।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि फोटेल् पर शिथलीकरण के बुरे प्रभाव की जानकारी से अवगत होने के बाद भी कम्पनी ने अंशों का विनिवेश करने के कोई प्रयास नहीं किए।

प्रकरण सरकार को (जनवरी 2001) भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2001)।

4 क.2 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मध्यादित, भोपाल

4 क.2.1 मेसर्स हेग लिमिटेड, मंडीदीप से प्रीमियम राशि की वसूली न होना

उद्योग – कर्मशाला स्थापित करने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग न करने हेतु 7.84 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन एवं 1.18 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज की हानि

प्रचलित मूल्य पर 7.84 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि वसूल करने में कम्पनी की विफलता

मेसर्स हेग लिमिटेड (पट्टा धारक) को उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 100 एकड़ का एक औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किया गया था। पट्टाधारक द्वारा लगभग 60 एकड़ भूखंड का औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाए जाने के कारण दुरुपयोग का नोटिस दिए जाने के बाद मार्च 1996 में भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा पट्टा विलेख का परिसमापन कर दिया गया था। पट्टाधारक ने कम्पनी के अध्यक्ष को पट्टा विलेख समाप्ति के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी (अप्रैल 1996)।

कम्पनी ने यह पाया (जनवरी 1997) कि सरकार ने पट्टाधारक को केवल 1452 वर्गमीटर के क्षेत्र पर आवासीय भवन निर्मित करने की अनुमति दी थी जबकि पट्टाधारक ने 60 एकड़ भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के बजाय अन्य के लिए किया। औद्योगिक प्रयोजन के बजाय अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने के एवज में 30 रुपए प्रति वर्गफुट का प्रीमियम अधिघोषित किया था। तदनुसार पट्टाधारक से वसूली योग्य राशि 7.84 करोड़ रुपए संगणित की गई। कम्पनी अध्यक्ष ने मत व्यक्त किया कि प्रीमियम दरें अपेक्षाकृत बहुत अधिक थीं और यह प्रस्तावित किया कि आवासीय परिसर आदि हेतु उपयोग में लाई जा रही भूमि की दरों का अंतिम रूप से निपटारा करने के लिए कम्पनी को मामला राज्य सरकार तक उठाना चाहिए। कम्पनी अध्यक्ष ने पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश अस्थाई रूप से वापस लिया (जनवरी 1997)। संयुक्त भूमापन करने पर यह पाया गया (फरवरी 2001) कि पट्टाधारक के पास 100.88 एकड़ भूमि का कब्जा था। मामला फरवरी 2001 में अर्थात् लगभग 4 वर्ष व्यतीत होने के बाद राज्य सरकार तक उठाया गया। इस संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है।

इस प्रकार पट्टाधारक से प्रचलित दरों पर प्रीमियम वसूली में कम्पनी की विफलता तथा मामला राज्य सरकार को विलम्बित रूप से प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप 7.84 करोड़ रुपए राशि पर 1.18 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के ब्याज (15 प्रतिशत वार्षिक की दर से संगणित) की हानि हुई।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2001) कि आवासीय प्रयोजनों हेतु औद्योगिक भूमि के उपयोग का विषय एक नीतिगत मामला है जो समूचे राज्य की औद्योगिक भू संपदा पर प्रभावकारी होगा, अस्तु प्रीमियम के मुद्दे पर निर्णय सरकार को लेना चाहिए। प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औद्योगिक प्रयोजन के अलावा अन्य प्रायोजन हेतु उपयोग के लिए दरें पूर्व में ही सरकार द्वारा अधिघोषित की गई हैं तथा सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रत्याशा में लंबित राशि उक्त पट्टाधारक से वसूल की जानी चाहिये थी।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2001)।

4 क.3 मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित

4 क.3.1 नरसिंहगढ़ में चर्मशोधन कारखाना स्थापित करने में अलाभकारी निवेश

कार्यक्षम निस्सारण उपचारी संयंत्र स्थापित करने में कम्पनी की विफलता के परिणाम स्वरूप चर्मशोधन शाला का उत्पादन रुका रहा जिससे 1.00 करोड़ रुपए का व्यय अधिकांशतः अलाभकारी रहा

कार्यक्षम निस्सारण उपचारी संयंत्र के बिना चर्म शोधन शाला की स्थापना में 1.00 करोड़ रुपये का अधिकांशतः अलाभकारी निवेश

राज्य सरकार ने गांधीग्राम, नरसिंहगढ़ में एक चर्मशोधन कारखाना स्थापित करने हेतु 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान 77.00 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की थी। कम्पनी ने वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान कुल 1.00 करोड़ रुपए की राशि (मय अनुदान) सिविल निर्माण कार्यों पर (84.60 लाख रुपए) तथा संयंत्र एवं मशीनरी पर (15.57 लाख रुपए) व्यय की जिसमें परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर प्रति वर्ष 60,000 की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित 1.29 करोड़ रुपए मूल्य के वार्षिक उत्पादन के साथ वैट ब्लू टैनीरी स्थापित करना परिकल्पित थी। यद्यपि चर्मशोधन इकाई के परियोजना प्रतिवेदन में 3 लाख रुपए की लागत से कार्यक्षम निस्सारण उपचारी संयंत्र स्थापित करना अवधारित था तथापि चर्मशाला में उत्पादन आरंभ करने के पूर्व इसका प्रतिष्ठापन नहीं किया गया जिसके लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं थे। चर्मशाला के उत्पादन क्रियाकलाप मई 1997 से आरंभ हुए तथा मार्च 1999 को समाप्त दो वर्षों का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता का वस्तुतः 2.77 प्रतिशत (1998-99) एवं 5.48 प्रतिशत (1997-98) के मध्य रहा।

चर्मशोधन शाला के उत्पादन क्रियाकलाप दिसंबर 1998 से स्थगित थे क्योंकि औद्योगिक अवशिष्ट एवं केमीकल आदि के निस्सारण हेतु कार्यक्षम निस्सारण उपचारी संयंत्र का स्थापन नहीं हुआ था जैसा कि उद्योग विभाग, भोपाल ने आक्षेपित (अगस्त 1998) किया था। इकाई बंद होने से 1.00 करोड़ रुपए का समग्र निवेश अवरुद्ध रहा तथा अधिकांशतः अलाभकारी सिद्ध हुआ। एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त कम्पनी ने निस्सारण उपचारी संयंत्र प्रतिष्ठापित करने हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया (दिसंबर 1999)। कम्पनी ने खुली निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के कुछ संगठनों से संपर्क किया किन्तु अभी तक (सितम्बर 2001) किसी भी संगठन को कार्य नहीं सौंपा गया है।

इस प्रकार 1.00 करोड़ रुपए राशि का समूचा निवेश अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा।

मामला कम्पनी/सरकार को मार्च 2001 ने भेजा गया था, उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2001)।

4 क.4 मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित

4 क.4.1 निर्यात पैकिंग साख अग्रिमों की वसूली न होना

पूर्व अग्रिम के विरुद्ध माल लदान अस्वीकार हो जाने की जानकारी होते हुए भी कम्पनी ने अग्रिम राशि जारी की तथा चैक नगदी संग्रह हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किए परिणामस्वरूप 0.74 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई

तेल निकली हुई खली के निर्यात हेतु निर्यात पैकिंग साख सुविधाएं देते हुए कम्पनी ने मेसर्स जगमानक सोलवेन्ट एक्सट्रैक्शन संयंत्र, सीहोर (विक्रेता) के साथ एक अनुबंध (22 नवम्बर 1997) सम्पादित किया। तदनुसार कम्पनी ने 500 मीटरिक टन (± 5 प्रतिशत) खली जनवरी 1998 में जहाज लदानकर निर्यात करने की संविदा (दिसंबर 1997) सम्पादित की। अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूति एवं मूल निर्यात संविदा तथा/अथवा विदेशी क्रेताओं द्वारा खोले जाने वाले साख पत्र प्रस्तुत करने के विरुद्ध विक्रेता को निर्यात मूल्य की 90 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी करने की व्यवस्था थी। अनुबंध के अनुसार विक्रेता ने 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की (14 दिसंबर 1997) तथा 80 लाख रुपए मूल्य की 3.07 एकड़ शहरी भूमि कम्पनी के पक्ष में बंधक रखी। विक्रेता ने 90 प्रतिशत अग्रिम जारी करने हेतु 44.49 लाख रुपए का एक पश्च दिनांकित चैक भी प्रस्तुत किया (16 दिसंबर 1997) जिसके एवज में कंपनी ने 42.58 लाख रुपए का निर्यात पैकिंग साख अग्रिम जारी किया (17 दिसंबर 1997)। विक्रेता ने 488.960 मीटरिक टन मात्रा की खली सिंगापुर निर्यात करने हेतु जामनगर बंदरगाह को रवाना की जो कम प्रोटीन एवं उच्च आर्द्रता के कारण समाशोधन एवं अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा अमान्य (15 जनवरी 1998) कर दी गई।

कम्पनी ने 510 मीटरिक टन खली के निर्यात हेतु विक्रेता के साथ एक और संविदा (2 जनवरी 1998) सम्पादित की।

प्रथम अग्रिम राशि की वसूली किए बिना दूसरा अग्रिम जारी करने के परिणामस्वरूप 0.74 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई।

इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी कि पूर्ववर्ती माल लदान अस्वीकार कर दिया गया है तथा प्रथम अग्रिम की वसूली किए बिना ही कंपनी ने 506.940 मीटरिक टन खली रवाना करने के लिए 44.02 लाख रुपए के पश्च दिनांकित चैक (20 जनवरी 1988) के विरुद्ध 42.12 लाख रुपए का दूसरा अग्रिम जारी किया (19 जनवरी 1998)। इस चैक को बाद में दिनांक 20 जुलाई 1998 के दूसरे

चैक से परिवर्तित किया गया। किन्तु यह मालवाही यान भी रवाना नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्ववर्ती समान तथ्यों के आधार पर इसे अस्वीकार (21 जनवरी 1998) कर दिया गया। संबिदा/साख पत्र कालातीत हो गया (31 जनवरी 1998)। अस्वीकृत माल जामनगर बंदरगाह पर पड़ा रहा और समुद्री चक्रवात (जून 1998) के कारण नष्ट हो गया। कालातीत हो जाने के कारण जोखिम बीमा कर्ताओं ने भी बीमा दावा अमान्य कर दिया। यह उल्लेख करना भी युक्ति संगत होगा कि पक्षकार द्वारा भेजे गए दोनों चैक 4449105 दिनांक 20 जनवरी 1998 तथा 4402000 दिनांक 20 जुलाई 1998 क्रमशः 12 जून 1998 तथा 16 दिसंबर 1998 को नकदी संग्रहण हेतु विलंब से प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुतीकरण पर उक्त चैक अनादरित हो गए।

कम्पनी ने 5.00 लाख रुपए की बैंक गारंटी वापस ले ली तथा 92.70 लाख रुपए की वसूली योग्य राशि के विरुद्ध कुल 18.95 लाख रुपए के अन्य पुनर्भुगतान प्राप्त किया (दिसंबर 2000) जबकि 73.75 लाख रुपए (बैंक प्रभार एवं ब्याज सहित) की शेष राशि बकाया रही।

उक्त तथ्य की ओर इंगित किए जाने पर (जून 2000) कंपनी ने बताया (जून 2000) कि बैधानिक कार्यवाही आरंभ करने तथा बंधक रखी गई भूमि कम्पनी के पक्ष में संहत करने हेतु पक्षकार को नोटिस तामील किया गया है (7 मई 1999)। तथापि इसका अंतिम निष्कर्ष अभी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2000)।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती अग्रिम राशि के सम्मुख माल लदान प्रेषण अस्वीकृत हो जाने के तथ्य की जानकारी के बाद भी दूसरी अग्रिम राशि जारी की गई जो न्यायोचित नहीं था तथा नकदीकरण हेतु चैक अनावश्यक विलम्ब से प्रस्तुत करना पक्षकार के अनुचित लाभ पहुंचाने की श्रेणी में आता है।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2001)।

4 क.5 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित

4 क.5.1 आर्थिक सहायता की वसूली न होना

चूककर्ता इकाइयों से
आर्थिक सहायता
राशि वसूली में
विफलता के परिणाम
स्वरूप सरकार को
0.56 करोड़ रुपये
की हानि

चूककर्ता इकाइयों से आर्थिक सहायता राशि वसूली में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को 0.56 करोड़ रुपए की हानि

केन्द्रीय औद्योगिक आर्थिक सहायता योजना 1971 तथा राज्य निवेश आर्थिक सहायता योजना 1981 एवं 1989 के अधीन कंपनी ने उद्योगों को आर्थिक सहायता राशि संवितरित की थी। योजना की शर्त के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देने वाली इकाइयों से आर्थिक सहायता राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य थी। लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ (फरवरी 1996) कि 1991 से 1994 की अवधि में कंपनी ने 56.48 लाख रुपए की राशि 7 औद्योगिक इकाइयों को संवितरित की जो अपना उत्पादन आरंभ करने से 5 वर्ष के भीतर बंद हो गई। आर्थिक सहायता राशि 5.57 लाख रुपए के ब्याज के साथ वसूली योग्य हो गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक प्रकरण में आर्थिक सहायता (2.25 लाख रुपए), इकाई के बंद हो जाने के उपरान्त दी गई थी तथा 3 प्रकरणों में (31.00 लाख रुपए), इकाइयां आर्थिक सहायता राशि भुगतान के 3 माह के अंदर ही बंद हो गई थी। ऐसी चूककर्ता इकाइयों से आर्थिक सहायता राशि की वसूली न होने के परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी प्रकार कंपनी ने उन इकाइयों से भी 2.52 करोड़ रुपए (1974 एवं 1990 के संवितरित) की वसूली नहीं की थी जो 5 वर्ष के भीतर बंद हो गई थीं।

इस प्रकार कार्यचालन के पांच वर्ष के भीतर बंद हो जाने वाली इकाइयों से आर्थिक सहायता राशि की वसूली करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को 56.48 लाख रुपए की परिहार्य हानि के साथ ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उसका उद्देश्य विफल हो गया।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2001) कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन इकाइयों के मामले में भी जिन्हें पूर्व में आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी, अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है।

मामला सरकार/कंपनी को मार्च 2001 में भेजा गया था, उनके उत्तर अप्राप्त हैं (सितंबर 2001)।

4 क.5.2 परिहार्य अनुग्रह अनुदान भुगतान

लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण कम्पनी ने अधिक लाभ दर्शाए जिसके परिणामस्वरूप 0.19 करोड़ रुपए राशि के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 की उप धारा (3) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित अपनी लेखा पुस्तकों का संधारण उपार्जन के आधार पर करना होता है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 620 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने निर्देशित किया है (सितंबर 1990) कि उद्योगों के संवर्धन एवं विकास में संलग्न कम्पनी के संबंध में अधिनियम की धारा 209 की उप धारा 3 के प्रावधान आय के लेखाकरण के संदर्भ में लागू नहीं होंगे। तदनुसार कम्पनी ने अपनी पुस्तकें आय के विषय में रोकड़ आधार पर तथा व्यय के विषय में उपार्जन आधार पर अर्थात् मिश्रित लेखाकरण प्रणाली में संधारित की हैं।

लेखाकरण नीति में परिवर्तन
के कारण 0.19 करोड़ रुपए
के अनुग्रह अनुदान का
भुगतान किया गया

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (सितम्बर 2000) कि लेखा वर्ष 1996-97 से कम्पनी ने मिश्रित (हाईब्रिड) लेखाकरण प्रणाली बंद कर दी तथा आयकर अधिनियम 1961 में इस आशय के संशोधन कि लेखे या तो रोकड़ आधार पर अथवा उपार्जन आधार पर संधारित किए जाने चाहिये, कम्पनी ने आय एवं व्यय दोनों के संबंध में लेखाकरण की रोकड़ आधारित प्रणाली अपनाई। यदि कम्पनी लेखाकरण की मिश्रित प्रणाली जारी रखती तो उसे 7.02 करोड़ रुपए की हानि दर्शाना पड़ती। तथापि लेखाकरण प्रणाली में परिवर्तन के कारण 1996-97 में कम्पनी ने 2.58 करोड़ रुपए का लाभ प्रदर्शित किया और 18.57 लाख रुपए राशि के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया।

यदि कम्पनी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के पालन में मिश्रित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर अपनी लेखा पुस्तकें संधारित करना जारी रखती तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान टाला जा सकता था क्योंकि मिश्रित लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष के दौरान उसे हानि हुई थी। यहां यह उल्लेख करना यथासंगत होगा कि लेखाकरण नीति में परिवर्तन करना बाध्यकारी नहीं था और यदि वैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया तो आयकर अधिनियम 1961 के संशोधन के पालन में सुसंगत खुलासा होता।

मामला सरकार/कम्पनी को भेजा गया था (जनवरी 2001), उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2001)।

4 क.6 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित

4 क.6.1 विनिवेश निर्णय में विलम्ब के कारण हानि

निवेशित कम्पनी की कमजोर वित्तीय स्थिति की जानकारी होने के बाद भी अंशों के विनिवेश में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप निवेश राशि में 0.44 करोड़ रुपए तक की क्षति हुई

विनिवेश निर्णय
में विलम्ब के
कारण विनिवेश
में 0.44 करोड़
रुपए की क्षति
हुई

एक संयुक्त क्षेत्र कम्पनी मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का प्रवर्तन मैसर्स शक्ति इन्सुलेटेड वायर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुम्बई के सहयोग से मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित (कंपनी) द्वारा वर्ष 1972 में किया गया था। कम्पनी ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स की अंशपूँजी में 73.35 लाख रुपए निवेश किये जो कि प्रदत्त पूँजी का लगभग 22 प्रतिशत है। सह प्रवर्तक मैसर्स आर.के.एस. कॉपर एण्ड एलॉयज लिमिटेड 2.22 करोड़ रुपए (62 प्रतिशत) की अंश धारक है। मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का अपनी स्थापना (1972) से ही लगातार हानियों के कारण मामला औद्योगिक वित्त एवं पुनर्गठन बोर्ड को भेजा गया था तथा उसे अप्रैल 1996 में पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया था। कम्पनी के निदेशक मंडल ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अंशों का विनिवेश करने का निश्चय किया (मार्च 1998) तथा इसके लिए प्रबंध निदेशक को आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया था। संपर्क करने पर सह प्रवर्तक पुस्तक मूल्य पर पुनर्विक्रय के आधार पर अंश क्रय करने हेतु सहमत हो गए। तदनुसार अंश धारिता का मूल्यांकन मैसर्स ए.सुराना एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकान्टेन्ट्स से करवाया गया (सितंबर 1998) जिसने 10 रुपए के अंश को 5.94 रुपए पर मूल्यांकित किया (सितंबर 1998)। इस आधार पर 73.35 लाख रुपए के कुल अंश निवेश की तुलना में कम्पनी की प्राप्ति पात्रता 43.57 लाख रुपए थी।

तदनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल ने यथोचित मूल्य प्राप्त करने हेतु अंशों का मूल्यांकन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट लिमिटेड से पुनः कराने का निर्णय लिया (25 सितंबर 1998)। अंशों के पुनर्मूल्यांकन पर भारी व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विचार त्याग दिया गया। अंशों का विनिवेश अभी तक (सितंबर 2001) नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा की जांच में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 1999 को वार्षिक चिट्ठे के आधार पर अंशों का विश्लेषित मूल्य "निरंक" था। यदि कंपनी ने अपने अंशों का विनिवेश सितम्बर 1998 में ही कर दिया होता तो उसे 43.57 लाख रुपए की प्राप्ति हो सकती थी। प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2001) कि सह प्रवर्तक द्वारा अंशों के पुनर्क्रय के निरंतर प्रयास किए जाते रहे जो मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा हानि उठाए जाने के कारण सफल नहीं हो सके। उत्तर धार्य नहीं है

क्योंकि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए कम्पनी को अंशों का विनिवेश सितम्बर 1998 में ही कर देना चाहिए था जब इनका मूल्यांकन 5.94 रुपए प्रति अंश पर किया गया था।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2001)

4 क.7 मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित

4 क.7.1 मूंग एवं सोयाबीन के विक्रय पर हानि

मूंग एवं सोयाबीन की अधिप्राप्ति में विवेकपूर्ण समझबूझ के अभाव के परिणामस्वरूप विक्रय निपटान पर 0.29 करोड़ रुपए की हानि

कम्पनी ने सितम्बर 1998 में अपने जिला कार्यालयों (खरगौन एवं खंडवा) को मूंग का वाणिज्यिक क्रय एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत किया था। अक्टूबर 1998 से जनवरी 1999 तक की अवधि के दौरान खरगौन जिला कार्यालय ने 1300 रुपए से 2187 रुपए प्रति क्विंटल तथा खंडवा ने 1502 रुपए से 1831 रुपए प्रति क्विंटल की विभिन्न दरों के मध्य मूंग क्रय की थी। उक्त दोनों जिला कार्यालयों द्वारा क्रय की गई मूंग की कुल मात्रा 2468.98 क्विंटल थी जिसका औसत मूल्य 1862.24 रुपए प्रति क्विंटल था तथा लदान क्रय व्ययों, ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों सहित औसत क्रय मूल्य 2085.15 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कुल क्रय लागत मूल्य 51.48 लाख रुपए था।

संपूर्ण मूंग की मात्रा 1335 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सितम्बर 1999 के दौरान मेसर्स गणेश ट्रेडर्स, शाजापुर को 32.96 लाख रुपए में विक्रय कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप 18.52 लाख रुपए की हानि हुई।

एक अन्य प्रसंग में कंपनी ने अपने खंडवा कार्यालय को अधिकतम 900 रुपए प्रति क्विंटल की सीमा तक, के औसत मूल्य 870 रुपए प्रति क्विंटल पर 5000 क्विंटल, सोयाबीन क्रय करने की अनुमति (नवंबर 1998) दी थी। जिला प्रबंधक, खंडवा ने इस क्रय पर न्यूनतम 5 प्रतिशत लाभ का आश्वासन दिया था। नवम्बर 1998 से जनवरी 1999 अवधि के दौरान 811 रुपए से 870 रुपए प्रति क्विंटल की विभिन्न दरों पर कुल 8281.51 क्विंटल का क्रय किया गया। जिला कार्यालय द्वारा विक्रय एवं वितरण उपरिव्ययों सहित औसत क्रय मूल्य 990.41 रुपए प्रति क्विंटल संगणित किया गया।

मूंग एवं सोयाबीन के विक्रय पर
0.29 करोड़ रुपए की हानि

जहां 861 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 3181.51 क्विंटल मात्रा 27.39 लाख रुपए में 22 अप्रैल 1999 को मेसर्स इंडियन स्पेशलीटिज फेड लिमिटेड, बिलासपुर को विक्रय कर दी गई वहीं 5100 क्विंटल की शेष मात्रा 873 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 44.52 लाख रुपए में 28 अप्रैल 1999 को मेसर्स भास्कर एक्साइल्स लिमिटेड भोपाल को विक्रय की गई। कम्पनी को इसके विक्रय निपटान पर 10.11 लाख रुपए (82.02 – 71.91 लाख रुपए) की हानि उठाना पड़ी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसंबर 1999) कि मूंग/सोयाबीन की ऊँची दरों पर खरीद के कारण हानि हुई। यह भी देखा गया कि अधिक तादाद ऊँची दरों के समय एवं कम तादाद नीची दरों के समय खरीदी गई।

उक्त मामले सरकार/कम्पनी को मार्च 2001 में भेजे गए थे, उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2001)।

4 क.8 मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित, भोपाल

4 क.8.1 जैतपुरा गांव में सालर वोल्टेज विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

संघटन प्रभाव का अध्ययन किए बिना कम्पनी ने रूपांकन में परिवर्तन अनुमोदित किया तथा ग्रिड वोल्टेज सुनिश्चित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 3.69 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ

कम्पनी ने जैतपुरा गांव, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) में 100 के डब्लू पी (उच्चतम) श्रेणी का एक सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र स्थापित (नवम्बर 1999) किया था। इस प्रतिष्ठापन का उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ग्रिड में कम वोल्टेज को शक्ति प्रदान करना था तथा भारतीय परिस्थितियों में प्रतिष्ठापन, कार्यचालन एवं संधारण से सोलर विद्युत संयंत्र का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करना था।

3.69 करोड़ रुपए
का निवेश अंशतः
निष्फल रहा

कार्य का ठेका मेसर्स टाटा बी.पी. सोलर इंडिया लिमिटेड, बेंगलूर को 3.59 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सौंपा गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2000) कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से वास्तविक ग्रिड वोल्टेज सुनिश्चित किए बिना 360 वोल्ट से 475 वोल्ट की ग्रिड वोल्टेज के कार्यचालन हेतु संयंत्र एवं विद्युत अनुकूलन इकाई का अभिकल्पन किया गया था। ठेकेदार द्वारा आकृति में परिवर्तन का सुझाव दिया जो कंपनी ने स्वीकार करते हुए संशोधित विशिष्टि के अनुरूप कार्य का निष्पादन किया गया था। परियोजना 3.69 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई जिसमें से 2.00 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में गैर पारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त हुई थी।

2.68 लाख इकाई (1.34 लाख इकाई X 2 वर्ष) के पूर्व सम्मत निम्नतम आशवासित उत्पादन की तुलना में कार्यरम्भ तिथि से सितम्बर 2001 (24 माह) तक संयंत्र केवल 2.05 लाख इकाई का ही विद्युत उत्पादन कर सका। उल्लेखनीय है कि ग्रिड की वोल्टेज शक्ति को अंतिम सीमा तक बढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया जो महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि प्रणाली के रूपांकन में परिवर्तन तथा ग्रिड वोल्टेज में उतार चढ़ाव जो 270 वोल्ट से 345 वोल्ट के मध्य रहा, के कारण विद्युत उत्पादन में कमी हुई तथा ग्रिड की वोल्टेज शक्ति बढ़ाने में संयंत्र अंतिम छोर तक विफल रहा।

ग्रिड वोल्टता का वास्तविक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता तथा संयंत्र पर संघटन प्रभाव का परीक्षण किए बिना आकृति में परिवर्तन अनुमोदित करने के परिणामस्वरूप 3.69 करोड़ रुपए का व्यय आंशिक निष्फल रहा। प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि ग्रिड का वास्तविक वोल्टेज विस्तार कम्पनी के नियंत्रण में नहीं था। यह भी बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिससे 1.34 लाख इकाई प्रतिवर्ष का न्यूनतम आशवासित विद्युत उत्पादन प्राप्त करने में संयंत्र को सहायता मिल सकेगी। उत्तर से संयंत्र के गलत प्रतिष्ठापन की स्वीकारोक्ति प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त दो सदस्यीय तकनीकी समिति ने मत व्यक्त किया (सितम्बर 2000) कि संयंत्र का अभीष्ट आधारभूत उद्देश्य विफल रहा क्योंकि संयंत्र अभीष्ट वोल्टेज क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सका।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2001)।

4 क.9 ऑप्टिकल टेलीकम्यूनिकेशन्स मर्यादित

4 क.9.1 तैयार फाइबर गुणवत्ता मानक स्तर एवं असमान लंबाई के कारण अस्वीकार हो जाने से परिहार्य हानि

दोषपूर्ण उत्पादन पद्धति सुधारने में विफलता के परिणामस्वरूप 6.28 करोड़ रुपए राशि की सामग्री अस्वीकृत होने से परिहार्य हानि

अवमानक सामग्री
अस्वीकृत होने के
परिणामस्वरूप
6.28 करोड़ रुपए
की परिहार्य हानि

ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली सहायक सामग्री एवं कल पुर्जों का निर्माण करने की दृष्टि से ऑप्टिकल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (कम्पनी) ने ऑप्टिकल फाइबर केबिल एवं ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण करने हेतु टैकनालाजी एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेसर्स फरुकावा इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जापान के साथ 25 जुलाई 1986 को तकनीकी सहयोग का अनुबंध किया था।

ऑप्टिकल फाइबर की निर्माण-पद्धति में कंपनी दो विधियों यथा मोडीफाइड केमीकल वेपोर डिपोजीशन तथा वेपार फेस एक्सियल डिपोजीशन का प्रयोग करती है। ऑप्टिक फाइबर के निर्माण में मुख्य कच्चे माल के रूप में सिलिकोन टेट्रो क्लोराइड ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तकनीकी सहयोग अनुबंध के अनुसार निर्मित उत्पादन अनुबंध की अनुसूची "ख" में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप होगा। ऑप्टिकल फाइबर इकाई अक्टूबर 1990 में ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन हेतु आरंभ की गई थी, जिसका उपभोग ऑप्टिकल फाइबर केबिल का निर्माण करने के लिए स्वयं के लिए प्रयुक्त होना था। मार्च 1999 को समाप्त 6 वर्षों की अवधि के दौरान यह पाया गया कि तैयार फाइबर की काफी मात्रा अपेक्षित लंबाई में असमान होने तथा गुणवत्ता मानकों जैसा कि दूरसंचार विभाग ने विशिष्टीकृत किया था, के अनुरूप न होने के कारणों से अस्वीकृति करना पड़ी जिसके विवरण निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं:

वर्ष	ऑप्टिकल फाइबर का कुल उत्पादन (कि.मी.)	लंबाई असमानता के कारण अस्वीकृत (कि.मी.)	गुणवत्ता मानकों के आधार पर अस्वीकृत (कि.मी.)	कुल अस्वीकृति	अस्वीकृति का प्रतिशत	प्रति कि.मी. दर (रुपए)	अस्वीकृति की कुल राशि (लाख रुपयों में)
1993-94	30532.30	2015.708	1701.00	3716.708	12.17	2379.71	88.45
1994-95	37061.40	1755.48	1957.69	3713.17	10.02	2242.32	83.26
1995-96	52750.99	1498.42	6987.856	8486.276	16.08	1633.36	138.61
1996-97	58503.84	1392.08	3111.882	4503.962	7.70	1901.52	85.64
1997-98	39087.90	1277.50	4063.803	5341.303	13.67	2298.49	122.77
1998-99	27831.21	717.1	2944.38	3661.48	13.16	2983.50	109.24
							627.97

यह देखा गया कि 1993-94 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान 7.70 से 16.08 प्रतिशत के मध्य अस्वीकृति रही जिसका मूल्य 6.28 करोड़ रुपए था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विदेशी सहयोगी कम्पनी के साथ हुए तकनीकी अनुबंध में लंबाई की असमानता एवं गुणवत्ता मानकों के संबंध में अस्वीकार्यता का कोई उल्लेख नहीं था। प्रबंधन ने इतनी भारी मात्रा में अस्वीकृति के कारणों का कंपनी के वृद्ध वित्तीय हितों में विश्लेषण भी नहीं किया था (दिसंबर 2000) और न ही कम्पनी अस्वीकृत फाइबर की इतनी भारी मात्रा का विक्रय करने हेतु क्रेता ढूढ़ने में समर्थ रही (अक्टूबर 2001)।

इस प्रकार निर्माण विधि के दौरान यथोचित नियंत्रण के अभाव के कारण कम्पनी को 6.28 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई जो अनुबंध में ऐसे किसी उपबंध के न होने से सहयोगी कम्पनी से वसूल भी नहीं की जा सकी।

प्रबंधन का उत्तर था (दिसंबर 2000) कि उत्पादन असमानता 18.65 प्रतिशत तक सामान्य थी। यह भी बताया गया कि अस्वीकृत सामग्री के लिए क्रेता ढूंढने में कम्पनी असमर्थ थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) विदेशी सहयोगी कम्पनी के साथ हुए अनुबंध में माल की अस्वीकार्यता का प्रावधान नहीं था तथा (ii) कम्पनी ने न तो इस मामले को उनके साथ उठाया और न ही उत्पादन पद्धति में सुधार के कोई गंभीर प्रयास ही किए।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2001)।

4 ख. सांविधिक निगम

4 ख.1 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4 ख.1.1 अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नवीनीकरण न होना

वैधता अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न होने के परिणामस्वरूप 0.15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय

वैधता अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न होने के परिणामस्वरूप 0.15 करोड़ रुपए की हानि।

पेट्रोलियम नियमावली 1976 के नियम 149 के अनुसार डिपो अधिकारियों को अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आवेदन पत्र अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के एक माह के अंदर विलम्ब शुल्क भुगतान के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि डिपो प्रबंधक ने अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 1998) जिसकी अवधि दिसंबर 1997 में समाप्त हो चुकी थी। अनुज्ञप्ति अधिकारियों ने आवेदन दिसम्बर 1999 में यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण संभव नहीं है तथा पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति की वैधता स्वयंमेव समाप्त हो चुकी है। डिपो अधिकारियों ने तीन माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त पुनः 13 अप्रैल 2000 को नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन किया। अधिकारियों ने 20 अप्रैल 2000 को अनुज्ञप्ति जारी की।

लेखापरीक्षा में यह परिलक्षित हुआ (अगस्त 2000) कि 1 जनवरी 1998 से 20 अप्रैल 2000 तक वैध अनुज्ञप्ति के अभाव में आगार प्रबन्धकों ने अनाधिकृत रूप से डीजल आवश्यकता की पूर्ति 12.48 लाख लीटर तक अंशतः भारतीय तेल निगम, विशाखपटनम से की। शेष आवश्यकता पूर्ति 9.24 लाख लीटर की मात्रा तक 14.80 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत से स्थानीय बाजार से की गई। इस प्रकार वैधता अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु डिपो अधिकारियों द्वारा आवेदन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 14.80 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार/निगम को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2001)।

4 ख.2 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

4 ख.2.1 पनबिजली परियोजना में 14.56 करोड़ रुपए की निधियों का अवरोधन

पनबिजली विद्युतगृहों के आरंभ/चालू न होने के कारण मंडल की 14.56 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध रहीं

मंडल ने अभी तक 8 लघु/सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया है जो योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) के दौरान अनुमोदित की थीं। मंडल ने 19.35 करोड़ रुपए की लागत से (1990-91 से 1998-99 के दौरान स्थापित) 6 परियोजनाएं पूर्ण की थीं। शेष दो परियोजनाओं यथा चंबल एवं कोरबा (पश्चिम) का निर्माण कार्य परियोजना आरंभ होने की निर्धारित तिथि से 11 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्णता हेतु प्रतीक्षित है। 4.31 करोड़ रुपए लागत की दो परियोजनाएं यथा रुद्री इकाई I एवं II (72.46 लाख रुपए) तथा मोरंद इकाई I, II, व III (3.59 करोड़ रुपए) जो क्रमशः नवम्बर 1990 तथा मार्च 1991 में स्थापित की गई थी, ने क्रमशः 1995-96 तथा अक्टूबर 1994 में (इकाई I एवं II) कार्यचालन बंद कर दिया।

तालिका (परिशिष्ट-(12)) आठ लघु/सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं की अनुमानित/वास्तविक लागत, निर्धारित/वास्तविक आरंभ तिथि, अनुमानित एवं वास्तविक विद्युत उत्पादन आदि दर्शाती है।

(i) स्थापित इकाइयों की पूर्णता में असाधारण विलम्ब हुआ। विलम्बित समय के कारण मोरंद इकाई I से 76 माहों (भीमगढ़ विद्युत गृह) के मध्य रही जिसके परिणामस्वरूप अनेक बाधाएँ उत्पन्न किये गये विद्युतगृह के संबंध में परियोजना लागत वृद्धि 31.64 लाख रुपए से 276 करोड़ रुपए तक मध्य रही। मंडल ने विलंब हेतु कारणों में विद्युत गृह के स्थान में परिवर्तन, संचयन की अनिच्छा में विलम्ब, स्थल पर सुगम्यता का अभाव, परियोजना अनुमोदन में विलम्ब इत्यादि विवरित किया।

(ii) छः संयंत्रों ने अपनी कार्यचालन अवधि के दौरान 1370.76 लाख इकाइयों का अनुमानित प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में केवल 86.30 लाख इकाइयों का ही उत्पादन किया जो अनुमानित उत्पादन का वस्तुतः केवल 6.30 प्रतिशत ही औसत उत्पादन था। अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन की संयंत्रवार प्रतिशतता 0.74 (रुद्री) से 9.01 (समनुड) प्रतिशत के मध्य रही।

(iii) परियोजना की अधिक पूंजीगत लागत के कारण 0.83 रुपए (1990-91) से 1.82 रुपए (1996-97) प्रति इकाई की दर से औसत विक्रय प्राप्ति की तुलना में अकेले व्याज प्रभार ही 9.57 रुपए से 120.76 रुपए प्रति इकाई के मध्य रहा।

(iv) दो परियोजनाएं जो पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्यचालन नहीं कर रही थीं तथा दो परियोजनाएं जो अभी पूर्ण होना थीं, का नीचे उल्लेख किया गया है:

(क) मोरंद लघु पनबिजली विद्युतगृह का चालू न होना

विद्युतगृह का कार्यचालन न होने के कारण 3.59 करोड़ रुपए की निधियों का अवरोधन

मेसर्स ज्योति लिमिटेड ने प्रतिवर्ष 4.850 मेगा किला वाट की परियोजित उत्पादन क्षमता का समय 1990-91 के दौरान 3.59 करोड़ रुपए की कुल लागत से मोरंद लघु पनबिजली विद्युतगृह का निर्माण एवं प्रतिष्ठापन किया था। उक्त परियोजित उत्पादन की तुलना में मंडल ने मोरंद लघु पनबिजली के दौरान विद्युतगृह चालू रखने हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा की प्रत्याशित उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष केवल 21.71 लाख इकाइयों के उत्पादन की परिकल्पना की थी। संयंत्र की अवधि के दौरान सफलतापूर्वक कार्यचालन के उपरान्त मोरंद पनबिजली विद्युतगृह को दिसंबर 1993 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युतमंडल ने को सौंपा गया। विद्युतगृह में कार्यारंभ (1990-91) से 1996-97 तक 151.97 लाख इकाई के अनुमानित उत्पादन की तुलना में केवल 20.74 लाख इकाइयों (14 प्रतिशत) का ही उत्पादन हुआ था। कम उत्पादन के कारणों में संयंत्र का दुरुस्त रहना, बाधाएँ जानना, संदर्शक यानों आदि का अवोधित होना बताया गया।

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन (जून 1994) में नहर मोड़ों के खुलने पर मलवा एकत्रीकरण, अनुपयुक्त सामग्री को हटाने हेतु पूर्व में ही ट्री रैक उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में सुझाए अनुसार पर्याप्त निवारक उपायों के अभाव के कारण इकाई I एवं III बाढ़ में जलमग्न हो गई (अक्टूबर 1994)। इकाई II जो चालू स्थिति में थी, वह भी टर्बाइन की चालन मशीनरी में क्षति के कारण 30 दिसंबर 1996 से बंद हो गई। उक्त इकाइयां अक्टूबर 1994 (इकाई I एवं III) तथा दिसंबर 1996 (इकाई II) से अप्रयुक्त होकर पड़ी हुई हैं।

मंडल ने विद्युतगृह का चालन एवं संधारण करने हेतु उसे किसी निजी पक्षकार को हस्तांतरित करने (जनवरी 1996) का निर्णय किया। विद्युतगृह को कार्यचालन स्थिति में बनाए रखने के उद्देश्य से मंडल ने विद्युत गृह की सभी तीनों इकाइयों जो 5-6 वर्षों से कार्यचालन में न रहने के कारण गम्भीर रूप से अक्रियाशील हो गई थीं की विशेष मरम्मत हेतु दिसंबर 1998 से दिसंबर 1999 तक 27.10 लाख रुपए के आदेश जारी किये। मरम्मत एवं सुधार कार्य पर व्यय किए जाने के बाद भी विद्युतगृह अभी तक (मार्च 2001) पुनः चालू नहीं हो सका है। केवल इकाई II ही, जनरेटर की वाइंडिंग में शार्टसर्किट के कारण ट्रिप होने के पूर्व 13.12.2000 से 23.12.2000 तक विद्युत की 9570 इकाइयों का उत्पादन कर सकी।

इस प्रकार विद्युतगृह के यथोचित संधारण न होने के कारण मंडल को 2.17 करोड़ रुपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई क्योंकि प्राथमिक वार्षिक उत्पादन के संदर्भ में अपेक्षित विद्युत उत्पादन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मंडल ने सुरक्षा एवं निगरानी कर्मियों तथा संधारण कार्य हेतु तैनात कर्मचारियों को पांच से छः वर्ष तक वेतन एवं अन्य संबंधित परिलाभ देने पर 1.07 करोड़ रुपए राशि का व्यय भी किया, जबकि विद्युतगृह कार्यक्षम स्थिति में नहीं था।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2000) कि लघु/सूक्ष्म पनबिजली विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य सभी संभावित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना था तथा इनके निर्माण से केवल लाभ प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं था और इनका स्थापन एक नवीन संकल्पना भी थी। उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं है कि पनबिजली विद्युत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत नहीं आती और यह कि विद्युतगृह इकाइयों का अक्टूबर 1994 से कार्यचालन न होने के कारण विद्युतगृह निर्माण का अभीष्ट उद्देश्य विफल रहा है।

(ख) रुद्री सूक्ष्म पनबिजली विद्युतगृह

मैसर्स ज्योति लिमिटेड, बड़ोदा द्वारा जिसे परियोजना कार्य 72.46 लाख रुपए की लागत से सौंपा गया था, परियोजना की दो इकाइयां क्रमशः मार्च 1990 तथा नवम्बर 1990 में चालू की गई थीं तथा मैसर्स भिलाई स्पात संयंत्र महानदी पोषण नहर के पानी का उपयोग कर रही थी और रुद्री

सूक्ष्म पनबिजली परियोजना का निर्माण भिलाई स्पात संयंत्र से छोड़े गए पानी, स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के उपरान्त, पर आधारित एक सिंचाई नहर पर किया गया था।

रुद्री सूक्ष्म पनबिजली विद्युतगृह का कार्यनिष्पादन मंडल द्वारा इसे अधिग्रहीत करने के समय (मई 1994) से ही संतोषजनक नहीं था। 1992-93 से 1994-95 में इसके वाणिज्यिक कार्यचालन के आरंभ से ही केवल 26690 इकाइयों का उत्पादन हुआ जबकि प्रत्याशित उत्पादन (परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार) 36.54 लाख इकाइयों का था।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा मेसर्स ज्योति लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध की उपधारा 15 क अनुसार संयंत्र मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा नियत भार एवं तापमान प्रसार पर 72 घंटे तक निरंतर चालू रहने के उपरान्त स्वीकार किया जाएगा तथा बेरिंगों का दोलन, जनरेटर, टर्बाइन और अन्य मुख्य उपकरण सापेक्षित सीमाओं के अंदर होने चाहिए। संयंत्र अस्थायी रूप से 21.5.1993 को हस्तांतरित किया गया तथा संयंत्र को 6.5.1994 को अंतिम रूप से अधिग्रहीत किया गया। अनन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व किए गए चालन परीक्षण के दौरान संयंत्र 100 प्रतिशत नियत भार पर नहीं चल रहे थे। निरंतर निर्बाध एवं सफलतापूर्वक चालन के बिना अंतिम अधिग्रहण भी प्रभावित हुआ। इस प्रकार मंडल ने पर्याप्त परीक्षण किए बिना ही संयंत्र का अधिग्रहण किया।

पनबिजली विद्युतगृह का
कार्यचालन न होने के
कारण 0.72 करोड़ रुपए
की निधियों का अवरोधन

मेसर्स भिलाई स्पात संयंत्र ने 1995 में वैकल्पिक जल स्रोतों का अन्तरण किया और सिंचाई नहर का पानी अपने उपयोग हेतु सुरक्षित रखा। फलस्वरूप रुद्री सूक्ष्म पनबिजली विद्युतगृह 1995-96 से अक्रियाशील स्थिति में है जिसके परिणामस्वरूप 72.46 लाख रुपए तक की पूंजी अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त 1994 से 2001 तक सुरक्षा कर्मियों का भुगतान व्यय 19.04 लाख रुपए संगणित किया गया।

(ग) कोरबा सूक्ष्म पनबिजली विद्युत परियोजना (1 ग 850 किलोवाट) के चालू होने में विलम्ब

कोरबा ताप विद्युत केन्द्र की वापसी नहर से पानी का उपयोग करते हुए कोरबा में एक सूक्ष्म पनबिजली परियोजना (कोरबा सूक्ष्म जल विद्युत गृह) के निर्माण हेतु मंडल ने परियोजना प्रतिवेदन (अगस्त 1983) अनुमोदित किया था जिसका निर्माण कार्य विद्युतगृह का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के समय प्रगत्याधीन था। मंडल की प्रत्याशा थी कि कोरबा सूक्ष्म जलविद्युतगृह निर्माण कार्य कोरबा ताप विद्युत केन्द्र के चालू होने के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। कोरबा ताप विद्युत केन्द्र की सभी चारों इकाइयों का कार्यारंभ मार्च 1986 तक हो गया था।

विद्युतगृह के चालू होने में
विलंब के कारण 3.82
करोड़ रुपए की निधियों
का अवरोधन

कोरबा जलविद्युतगृह का परियोजना प्रतिवेदन योजना आयोग ने 1985-86 में अनुमोदित किया था। उक्त जलविद्युत गृह का निर्माण कार्य 1.76 करोड़ के संविदा मूल्य पर मार्च 1989 तक

(संविदा के 24 माह के भीतर) पूर्ण होने की प्रत्याशा के साथ मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड, कलकत्ता (फरवरी 1987) को दिया, मेसर्स एल एण्ड टी ने सूचित किया (अक्टूबर - नवम्बर 1987) कि मूल रूप से दिए गए स्थल पर विद्युतगृह का निर्माण संभव नहीं है क्योंकि वापसी नहर के जलागार (सीलपिट) से पानी विद्युतगृह के प्रस्तावित स्थल पर अत्यधिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न कर रहा था। मंडल ने वापसी नहर के बाएं किनारे की ओर स्थल का परिवर्तन कराते हुए विद्युतगृह का निर्माण करने हेतु एक संशोधित विन्यास (लेआउट) अनुमोदित किया (नवंबर 1988)। सिंचाई विभाग से उचित स्वीकृति के उपरांत (अप्रैल 1989) मेसर्स एल एण्ड टी ने अप्रैल 1989 में परियोजना पर कार्य आरंभ किया जो 24 माह के भीतर (मई 1991) पूर्ण किया जाना था। नवीन स्थल पर 850 मेगा वाट की बढ़ाई गई क्षमता के साथ सूक्ष्म पनबिजली विद्युत परियोजना के निर्माण का संविदा मूल्य 2.39 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया (दिसंबर 1993)। अप्रैल 1989 में आरंभ हुआ कार्य अभी तक (मार्च 2001) पूर्ण नहीं किया गया है। मार्च 2000 तक मंडल ने परियोजना पर 3.82 करोड़ रुपए का व्यय किया था। जनवरी 2000 में परियोजना की लागत 4.83 करोड़ रुपए तक संशोधित की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाए गए अत्यधिक विलंब के कारण निम्नानुसार थे:

1. कोरबा ताप विद्युत केन्द्र की पूर्ववर्ती इकाई के मार्च 1986 में चालू होने की जानकारी के बाद भी कार्यक्षमता का विश्लेषण किए बिना मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड को कार्य सौंपा गया (फरवरी 1987) जिसके परिणामस्वरूप लेआउट में संशोधन के साथ ही कार्य आरंभ होने में 26 माह का विलंब हुआ।
2. मेसर्स एल एण्ड टी ने विद्युतगृह का निर्माण 1995 में पूर्ण किया तथापि जलाशय का निर्माण अपूर्ण होने के कारण विद्युतगृह चालू करने हेतु पानी उपलब्ध नहीं था। जलाशय का निर्माण मंडल द्वारा दिसंबर 1992 में आरंभ किया गया तथा 1.34 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2000 में पूर्ण किया गया। जलाशय के निर्माण में विलंब (7 वर्ष) ठेकेदारों का बारबार परिवर्तन होने के कारणों से था।
3. मूल परियोजना संविदाकार मेसर्स एल एण्ड टी ने जलाशय की पूर्णता के बाद भी परियोजना को आरंभ करने हेतु आज तक स्थल पर लघु सिविल निर्माण कार्य / विद्युत एवं संधारण कार्य की पूर्णता के लिए संसाधनों को गतिमान नहीं बनाया। परियोजना का कार्य चालन करने के लिये मेसर्स एल एण्ड टी ने 1.14 करोड़ रुपए के अनुमान प्रस्तुत किए।

इस प्रकार अयथार्थ योजनाकरण के कारण मंडल को 2.44 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय करना पड़ा। इसके साथ ही आठ वर्ष से भी अधिक समय तक 3.82 करोड़ रुपए की राशि अवरोधित रही।

(घ) चम्बल सूक्ष्म पनबिजली परियोजना की पूर्णता में विलंब

विद्युतगृह के कार्यचालन में विलंब के कारण 6.43 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध रही

मंडल ने वृहद परियोजना आधार पर प्रत्येक 600 किलोवाट की तीन इकाइयों के लिए 4.86 करोड़ रुपए के संविदा मूल्य पर मेसर्स फलोवेल लिमिटेड को चम्बल सूक्ष्म पनबिजली परियोजना का कार्य सौंपा था (दिसंबर 1987)। कार्य को 27 माह के भीतर (अर्थात् मार्च 1990 तक) पूर्ण करना था। परियोजना लागत को 9.96 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया था (जून 1997)। मंडल ने नवम्बर 1999 तक 6.43 करोड़ रुपए का व्यय किया। तथापि परियोजना अभी तक (मार्च 2001) पूर्ण नहीं हुई है, इसके कारण थे — ठेकेदार को स्थल के हस्तांतरण में विलम्ब (13 माह), सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलम्ब (6 माह), ठेकेदार को भुगतान जारी करने में विलम्ब (24 माह) तथा संपन्न किये गये कार्य हेतु लंबित देयकों का भुगतान न होने के कारण सितम्बर 1991 से दिसंबर 1993 तक ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया जाना।

इस प्रकार संविदाकृत बंधनकारी दायित्वों को पूर्ण करने में मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप 6.43 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध रहने के साथ ही 5.10 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि हुई।

4 ख.2.2 कार्यस्थल एवं रूपांकन सौंपने में विलम्ब के कारण 0.54 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय

ठेकेदार को कार्यस्थल एवं रूपांकन सौंपने में विलम्ब के कारण मंडल को 0.54 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंहपुर स्थित संयंत्र क्षेत्र के अंदर इकाई I एवं II में कोयला वहन संयंत्र के सिविल निर्माण कार्यों का ठेका 2.85 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत मूल्य पर मेसर्स भागीरथ इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोचीन को सौंपा गया था (अप्रैल 1990)। उक्त कार्य वर्षा मौसम सहित 18 माह में अर्थात् अप्रैल 1992 तक पूर्ण करना था। कार्य पूर्ण करने की संशोधित समय सीमा दिसंबर 1995 होने के साथ ही कार्य क्षेत्र में विस्तार के कारण संविदा मूल्य नवम्बर 1993 में 3.15 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। मंडल द्वारा कार्यस्थल एवं रूपांकन उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण संशोधित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो सका। 2.94 करोड़ रुपए मूल्य का निर्माण कार्य निष्पादित करने के उपरान्त ठेकेदार ने स्थल चयन की असुनिश्चितता और उसके द्वारा वहन किए गए भारी स्थापना व्यय के कारण दिसंबर 1995 से आगे कार्य को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की। अपूर्ण रहे 21.15 लाख रुपए के कार्य का मूल्य दरों में संशोधन, लागत वृद्धि आदि को दृष्टिगत रखते हुए 56.00 लाख रुपए तक पुनर्निर्धारित किया गया (अप्रैल 1996)।

कार्यस्थल एवं रूपांकन
सौंपने में विलंब के
कारण 0.54 करोड़ रुपए
का अतिरिक्त व्यय हुआ

शेष रहे सिविल निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु मंडल ने 21 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त ठेका राजकरनसिंह तिवारी को 90.70 लाख रुपए के मूल्य पर (15.70 लाख रुपए की स्पात खिड़कियां प्रदाय करने एवं लगाने के अतिरिक्त कार्य के मूल्य सहित) दिया (सितम्बर 1997)। इस प्रकार कार्य स्थल हस्तांतरण करने में विलम्ब, मूल ठेकेदार को रूपांकन उपलब्ध कराने तथा शेष रहे कार्य का ठेका अन्य ठेकेदार को देने में विलंब के परिणामस्वरूप बाद वाले ठेके की राशि एवं अपूर्ण छोड़े गए कार्य तथा स्पात खिड़कियों के प्रदाय और उन्हें लगाने हेतु अतिरिक्त व्यय के मध्य अंतर की राशि के रूप में 53.87 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

तथ्य की ओर इंगित किए जाने पर मंडल ने उत्तर दिया (सितम्बर 1998) कि स्थल की सफाई करने के बजाय विद्युतगृह के चालन को प्राथमिकता दी गई थी तथा सिविल निर्माण कार्यों हेतु रूपांकन साथ साथ सौंपे गए थे जबकि निर्माण कार्य प्रगत्याधीन थे, जिसके परिणामस्वरूप विलंब हुए। यह भी बताया गया कि कार्यस्थल से कोयला उठाने में विभागों और संविदाकारी अभिकरणों के मध्य परस्पर समन्वय आवश्यक है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है और यह मनगढ़न्त प्रतीत होता है क्योंकि कार्यस्थल की समाशोध्य सीमा तथा सिविल निर्माण हेतु रूपांकन जारी करने की आवश्यकता से मंडल भलीभांति परिचित था। अस्तु कार्यारम्भ के शुरु में ही तदनुसार समयोचित पूर्णता तिथि निर्धारित की जा सकती थी।

4 ख.2.3 माल भाड़ा भुगतान के दोषपूर्ण उपबंध के कारण 0.83 करोड़ रुपए की हानि

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ऊंची दरों पर अधिक भुगतान के कारण हानि

आपूर्ति आदेश में दोषपूर्ण
उपबंध के कारण 0.83
करोड़ रुपए की हानि

मंडल ने वर्ष 1996-97 से 1998-99 हेतु वितरण ट्रान्स्फार्मरों की अधिप्राप्ति हेतु जून 1996 से जनवरी 1999 के दौरान एस.एस.आई. व अन्य आपूर्तिकर्ताओं को न्यूनतम प्रस्तावित मूल्य पर अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वनिवेदित मूल्यों पर इस आशय के साथ आपूर्ति आदेश दिया कि प्रति ट्रान्सफार्मर औसत भाड़ा मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर सुपुर्दगी हेतु 500 रुपए और 800 रुपए के मध्य देय होगा जो ट्रान्सफार्मरों की श्रेणियों पर आधारित देय होगा।

एस.एस.आई. इकाइयों ने 11262 वितरण ट्रान्स्फार्मरों का प्रदाय मंडल के स्थानीय क्षेत्र भंडार पर 10 कि.मी. और 15 कि.मी. के मध्य दूरी से स्थानीय स्तर पर किया। मंडल ने 99.67 लाख रुपए के भाड़ा प्रभारों का भुगतान किया जो वास्तविक आधार पर सीमित करने के बजाए औसत भाड़ा आधार पर संगणित किया गया था। मंडल के अपने अभिलेख के अनुसार 10 से 15 ट्रान्स्फार्मरों की वहन क्षमता के साथ प्रति ट्रक प्रति किलोमीटर संगणित किया गया भाड़ा 15 रुपए प्रति

ट्रान्सफार्मर से अधिक नहीं बनता। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इतनी ही संख्या में ट्रान्सफार्मर का परिवहन स्थानीय स्तर पर केवल 16.90 लाख रुपए की भाड़ा राशि से किया जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2001) कि यहां तक कि भोपाल से बिलासपुर, जयपुर से बिलासपुर तथा जयपुर से रायपुर तक की लम्बी दूरी की आपूर्तियों के लिए भी मंडल 800 रुपए प्रति ट्रान्सफार्मर की अधिकतम राशि का भुगतान करता रहा है और इस प्रकार बचत को स्थानीय आपूर्तियों के अधिक व्यय से प्रतिसन्तुलित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंडल द्वारा प्रस्ताव आदेश इस प्रकार दिया जाता कि आपूर्तिकर्ता निकटतम क्षेत्र भंडार पर सुपुर्दगी देता जिससे इतनी लम्बी दूरी के परिवहन से बचा जा सके।

4 ख.2.4 एक निजी न्यास से भूमि के बाजार मूल्य की वसूली न होने के कारण 7.06 लाख रुपए के ब्याज की हानि

मंडल भूमि के पुनर्धिकार प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने में विफल रहा जिससे 0.40 करोड़ रुपए का बाजार मूल्य वसूल नहीं हुआ, साथ ही 0.07 करोड़ की तदपरिणामी ब्याज हानि हुई।

गैस पीड़ितों की सहायतार्थ दो वर्ष हेतु निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के प्रयोजन से मंडल ने भोपाल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को एक औषधालय के निर्माण हेतु बिना कोई औपचारिक अनुबंध किये 760 वर्गमीटर भूमि हस्तांतरित (1986) की थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने उक्त भूमि पर 12.28 लाख की लागत से 1988 में एक औषधालय का निर्माण किया। तथापि मंडल ने भूमि का पुनर्धिकार प्राप्त करने के लिए दिसंबर 1996 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

राज्य सरकार ने चाहा (जनवरी 1997) कि बाजार मूल्य की प्रतिपूर्ति के एवज में उपकरणों सहित औषधालय भवन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सीधे ही भोपाल चिकित्सालय न्यास को हस्तान्तरित करना चाहिए। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने मंडल को 12.28 लाख रुपए के मूल्य पर औषधालय भवन देने का प्रस्ताव रखा। मंडल ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका भोपाल में स्वयं का पुराना औषधालय भवन था। अस्तु भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने मंडल की सहमति के बिना औषधालय भोपाल चिकित्सालय न्यास को 18,500 रुपए के मासिक किराए पर दिया (जून 1998) तथा 0.07 करोड़ रुपए किराया (जून 1998 से सितम्बर 2001) वसूल किया। मंडल ने अन्त में निश्चय किया (सितम्बर 1999) कि भूमि 5000 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से 40.35 लाख रुपए में भोपाल चिकित्सालय न्यास को दी जाए क्योंकि यह एक निजी न्यास था और उनके द्वारा भवन का स्थाई रूप से उपयोग किया जाना था।

मंडल ने भोपाल चिकित्सालय न्यास को 40.35 लाख रुपए राशि की देयताओं के देयक भेजे (3 जुलाई 2000) किन्तु भुगतान अभी तक (जून 2001) प्राप्त नहीं हुआ है।

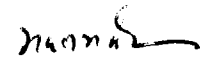
भूमि का मूल्य वसूल न होने के कारण 0.07 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई

इस प्रकार दो वर्ष की समयावधि समाप्ति के उपरान्त भूमि का तत्काल पुनर्धिकार प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने में मंडल की विफलता और तत्पश्चात प्रकरण सितंबर 1999 में निर्णीत करने के परिणामस्वरूप 40.35 लाख रुपए की वसूली न होने के साथ ही 7.06 लाख रुपए राशि के ब्याज की तदपरिणामी हानि हुई।

मामला मंडल/सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2001)।

ग्वालियर

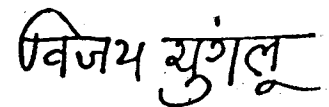
दिनांक: 09 FEB 2002



(मदन मोहन निम)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) I,
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली

दिनांक: 18 FEB 2002

(विजयकृष्ण शृंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

(कड़िका. 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2 एवं 1.3.2 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजटाधीन प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2001 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3 (क) से 4 (घ) में आंकड़े लाख रुपयों में)

क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम		साल 2000-2001 के अंत में प्रदत्त भुक्ति										साल 2000-2001 के अंत में अर्जित अक्षय	
		राज्य सरकार				केन्द्र सरकार		सार्वजनिक		योग		योग	
		3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (घ)	4 (ङ)
1.	2.												
क.	सरकारी कर्मियों												
	कार्यशील												
(क)	कृषि एवं संबद्ध												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उत्थान विकास निगम मर्यादित	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.15	--	107.16	1000.1 (1000.1)
	योग (क)	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.15	--	107.16	1000.1 (1000.1)
(ख)	इलेक्ट्रिक												
2.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रिक निगम मर्यादित	1511.67	--	--	--	1511.67	--	479.04	2.36	2048.65	720.81	1000.1 (1181)	
3.	म.प्र. नियोक्त निगम मर्यादित	80.25	--	--	--	80.25	--	--	--	--	--	--	
4.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	267.75	--	--	--	267.75	--	479.04	2.36	1048.06	110.81	122.1 (0.90:1)	
	योग (ख)	1859.67	--	--	--	1859.67	--	479.04	2.36	1048.06	110.81	122.1 (0.90:1)	
(ग)	इलेक्ट्रिक												
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रिक विकास निगम मर्यादित	2191.25	--	--	--	2191.25	--	--	--	--	--	--	
6.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रिक विकास निगम मर्यादित	--	--	1500.00	897.71	2397.71	--	--	472.21	3175.42	3175.42	132.1 (113:1)	
	योग (ग)	2191.25	--	1500.00	897.71	4588.96	--	--	472.21	3175.42	3175.42	0.69:1 (0.59:1)	

(घ)	वस्त्र	१ (क)	२ (ख)	३ (ग)	४ (घ)	५ (ङ)	६ (च)	७ (छ)	८ (ज)	९ (झ)	१० (झ)	११ (ञ)	१२ (ट)	१३ (ठ)	१४ (ड)	१५ (ण)	१६ (त)	१७ (थ)	१८ (द)	१९ (ध)	२० (न)	२१ (प)	२२ (फ)	२३ (ब)	२४ (भ)	२५ (म)	२६ (य)	२७ (र)	२८ (ल)	२९ (व)	३० (श)	३१ (ष)	३२ (स)	३३ (ह)	३४ (र)	३५ (ल)	३६ (व)	३७ (श)	३८ (ष)	३९ (स)	४० (ह)	४१ (र)	४२ (ल)	४३ (व)	४४ (श)	४५ (ष)	४६ (स)	४७ (ह)	४८ (र)	४९ (ल)	५० (व)	५१ (श)	५२ (ष)	५३ (स)	५४ (ह)	५५ (र)	५६ (ल)	५७ (व)	५८ (श)	५९ (ष)	६० (स)	६१ (ह)	६२ (र)	६३ (ल)	६४ (व)	६५ (श)	६६ (ष)	६७ (स)	६८ (ह)	६९ (र)	७० (ल)	७१ (व)	७२ (श)	७३ (ष)	७४ (स)	७५ (ह)	७६ (र)	७७ (ल)	७८ (व)	७९ (श)	८० (ष)	८१ (स)	८२ (ह)	८३ (र)	८४ (ल)	८५ (व)	८६ (श)	८७ (ष)	८८ (स)	८९ (ह)	९० (र)	९१ (ल)	९२ (व)	९३ (श)	९४ (ष)	९५ (स)	९६ (ह)	९७ (र)	९८ (ल)	९९ (व)	१०० (श)	१०१ (ष)	१०२ (स)	१०३ (ह)	१०४ (र)	१०५ (ल)	१०६ (व)	१०७ (श)	१०८ (ष)	१०९ (स)	११० (ह)	१११ (र)	११२ (ल)	११३ (व)	११४ (श)	११५ (ष)	११६ (स)	११७ (ह)	११८ (र)	११९ (ल)	१२० (व)	१२१ (श)	१२२ (ष)	१२३ (स)	१२४ (ह)	१२५ (र)	१२६ (ल)	१२७ (व)	१२८ (श)	१२९ (ष)	१३० (स)	१३१ (ह)	१३२ (र)	१३३ (ल)	१३४ (व)	१३५ (श)	१३६ (ष)	१३७ (स)	१३८ (ह)	१३९ (र)	१४० (ल)	१४१ (व)	१४२ (श)	१४३ (ष)	१४४ (स)	१४५ (ह)	१४६ (र)	१४७ (ल)	१४८ (व)	१४९ (श)	१५० (ष)	१५१ (स)	१५२ (ह)	१५३ (र)	१५४ (ल)	१५५ (व)	१५६ (श)	१५७ (ष)	१५८ (स)	१५९ (ह)	१६० (र)	१६१ (ल)	१६२ (व)	१६३ (श)	१६४ (ष)	१६५ (स)	१६६ (ह)	१६७ (र)	१६८ (ल)	१६९ (व)	१७० (श)	१७१ (ष)	१७२ (स)	१७३ (ह)	१७४ (र)	१७५ (ल)	१७६ (व)	१७७ (श)	१७८ (ष)	१७९ (स)	१८० (ह)	१८१ (र)	१८२ (ल)	१८३ (व)	१८४ (श)	१८५ (ष)	१८६ (स)	१८७ (ह)	१८८ (र)	१८९ (ल)	१९० (व)	१९१ (श)	१९२ (ष)	१९३ (स)	१९४ (ह)	१९५ (र)	१९६ (ल)	१९७ (व)	१९८ (श)	१९९ (ष)	२०० (स)	२०१ (ह)	२०२ (र)	२०३ (ल)	२०४ (व)	२०५ (श)	२०६ (ष)	२०७ (स)	२०८ (ह)	२०९ (र)	२१० (ल)	२११ (व)	२१२ (श)	२१३ (ष)	२१४ (स)	२१५ (ह)	२१६ (र)	२१७ (ल)	२१८ (व)	२१९ (श)	२२० (ष)	२२१ (स)	२२२ (ह)	२२३ (र)	२२४ (ल)	२२५ (व)	२२६ (श)	२२७ (ष)	२२८ (स)	२२९ (ह)	२३० (र)	२३१ (ल)	२३२ (व)	२३३ (श)	२३४ (ष)	२३५ (स)	२३६ (ह)	२३७ (र)	२३८ (ल)	२३९ (व)	२४० (श)	२४१ (ष)	२४२ (स)	२४३ (ह)	२४४ (र)	२४५ (ल)	२४६ (व)	२४७ (श)	२४८ (ष)	२४९ (स)	२५० (ह)	२५१ (र)	२५२ (ल)	२५३ (व)	२५४ (श)	२५५ (ष)	२५६ (स)	२५७ (ह)	२५८ (र)	२५९ (ल)	२६० (व)	२६१ (श)	२६२ (ष)	२६३ (स)	२६४ (ह)	२६५ (र)	२६६ (ल)	२६७ (व)	२६८ (श)	२६९ (ष)	२७० (स)	२७१ (ह)	२७२ (र)	२७३ (ल)	२७४ (व)	२७५ (श)	२७६ (ष)	२७७ (स)	२७८ (ह)	२७९ (र)	२८० (ल)	२८१ (व)	२८२ (श)	२८३ (ष)	२८४ (स)	२८५ (ह)	२८६ (र)	२८७ (ल)	२८८ (व)	२८९ (श)	२९० (ष)	२९१ (स)	२९२ (ह)	२९३ (र)	२९४ (ल)	२९५ (व)	२९६ (श)	२९७ (ष)	२९८ (स)	२९९ (ह)	३०० (र)	३०१ (ल)	३०२ (व)	३०३ (श)	३०४ (ष)	३०५ (स)	३०६ (ह)	३०७ (र)	३०८ (ल)	३०९ (व)	३१० (श)	३११ (ष)	३१२ (स)	३१३ (ह)	३१४ (र)	३१५ (ल)	३१६ (व)	३१७ (श)	३१८ (ष)	३१९ (स)	३२० (ह)	३२१ (र)	३२२ (ल)	३२३ (व)	३२४ (श)	३२५ (ष)	३२६ (स)	३२७ (ह)	३२८ (र)	३२९ (ल)	३३० (
-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्र.	विवरण	१ (रु.)	२ (रु.)	३ (रु.)	४ (रु.)	५ (रु.)	६ (रु.)	७ (रु.)	८ (रु.)	९ (रु.)	१० (रु.)
ग. अकार्यशील कर्माभियां											
(क)	बृत्ति एवं वेतन										
1.	म.प्र. उपकरण विभाग निमित्त मजदूरी	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--
2.	म.प्र. राज्य ईगरी प्रिण्टिंग निमित्त मजदूरी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--
(ख)	उद्योग										
3.	म.प्र. सड़क विकास निमित्त मजदूरी	154.29	--	--	--	154.29	--	--	4.00	--	0.03:1 (0.03:1)
4.	म.प्र. फिसल विकास निमित्त मजदूरी	103.84	--	--	--	103.84	--	--	--	--	--
	योग (ख)	258.13	--	--	--	258.13	--	--	4.00	--	0.02:1 (0.02:1)
(ग)	निर्माण										
5.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निमित्त मजदूरी	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--
	योग (ग)	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--
(घ)	वित्त प्रबंध										
6.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निमित्त मजदूरी	27.25	--	15.67	--	42.92	--	--	--	--	--
	योग (घ)	27.25	--	15.67	--	42.92	--	--	--	--	--
	महायोग ग	1377.67	--	15.67	--	1393.34	--	--	4.00	--	0.0:1 (0.0:1)
	योग (क + ख + ग)	65634.63	5179.38	9495.12	3948.24	77082.84	200.20	24699.53	103820.88	207733.50	577834.87 788568.37 (10.31:3)

टिप्पणी:- उन कंपनियों जिन्होंने वर्ष 2000-2001 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है (किस संख्या क-5, 6, 12 एवं ख-3) को छोड़कर आंकड़े अनतिथि हैं और कंपनी द्वारा दिये गये अनुसार हैं। यह भी कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने वर्ष 2000-2001 के लिए कोई आंकड़े नहीं भेजे हैं। पिछले वर्ष (1999-2000) के आंकड़े ही अंगीकृत किये गये हैं।

2000-2001 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घवर्धि ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।

(a) इनमें बंध पत्र, ऋण पत्र, इण्टर कारपोरेट क्षेत्र जमाएं आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य का समायोजन किया गया है।

400 लाख रुपए का ऋण राज्य सरकार द्वारा अंशपंजी में परिवर्तित कर दिया गया है।

(कंडिका. 1.2.3, 1.2.4, 1.2.4.1.1, 1.2.5, 1.3.4 एवं 1.3.5 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों, जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(स्तम्भ 7 से 12 तक के आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुसंधान परियोजना का नाम	निगम का नाम	निगम की स्थापना	लेख की वर्ष	वर्ष जिससे संश्लेषण की शुरुआत	निगम का नाम (+) (-)	अवधि (वर्ष)	प्रारंभिक वर्ष	अंतिम वर्ष	निगम का नाम (+) (-)	निगम का नाम (+) (-)	निगम का नाम (+) (-)	निगम का नाम (+) (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(क)	वृद्धि एवं संरक्षण												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	म.प्र.	21-03-1969	1998-99	2000-2001	(+37.32)	--	329.50	(-65.23)	741.57	(+70.11)	9.45	02
(ख)	योग (क)					(+37.32)	--	329.50	(-65.23)	741.57	(+70.11)	9.45	
2.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	11-04-1961	1997-98	2000-2001	(-346.36)	--	1511.67	(-1795.92)	1682.51	(-120.59)	--	03
3.	म.प्र. निर्यात निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	14-02-1977	1998-2000	2000-2001	(+12.16)	--	80.25	(+502.90)	583.15	(+12.94)	2.22	01
4.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-12-1961	1998-99	2000-2001	(-158.85)	(-12.50)	267.75	(+779.32)	1006.22	(-158.59)	--	02
(ग)	योग (ख)					(-493.05)		1859.67	(-513.70)	3271.88	(-266.24)	--	--
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रिक निगम विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	18-11-1983	2000-2001	2001-2002	(-125.49)	-	2191.25	(+697.62)	1481.41	(-125.16)	-	-
6.	ओरेल टेलिकम्युनिकेशन मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	23-12-1988	2000-2001	2001-2002	(-1239.06)	-	2396.71	(-7007.36)	6456.18	(-1068.26)	-	-
(घ)	योग (ग)					(-1364.55)	-	4587.96	(-6309.74)	7937.59	(-1193.42)	-	-
7.	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	27-11-1970	1997-98	2001-2002	(+2803.05)	-	685.95	(-2057.17)	5401.26	(+3171.37)	58.72	03
(ङ)	योग (घ)					(+2803.05)	-	685.95	(-2057.17)	5401.26	(+3171.37)	58.72	-
8.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	ग्राम उद्योग विभाग	18-11-1981	1996-97	2000-2001	(-26.86)	-	89.16	(-117.38)	2013.28	(-26.83)	-	04
(च)	योग (ङ)					(-26.86)	-	89.16	(-117.38)	2013.28	(-26.83)	-	-

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्र.	वर्ग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(अ)	बन														
9.	म.प्र. राज्य बन विकास निगम मर्यादित	बन	24-07-1975	1999-2000	2000-2001	(+78.89	-	1636.24	(+218.22	12021.42	(+79.09	0.66	01		
	योग (अ)					(+78.89	-	1636.24	(+218.22	12021.42	(+79.09	0.66			
(ब)	खन														
10.	म.प्र. राज्य खन निगम मर्यादित	खनिज संसाधन	19-01-1962	1996-97	2002-2001	(+33.47	-	219.59	(-255.66	(-31.80	(+38.79	-	04		
	योग (ब)					(+33.47	-	219.59	(-255.66	(-31.80	(+38.79	-	-		
(क)	निर्माण														
11.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	गृह (पुलिस)	31-03-1981	1999-2000	2001-2002	(-141.91	-	200.00	(-324.72	3335.68	(-141.86	-	01		
	योग (क)					(-141.91	-	200.00	(-324.72	3335.68	(-141.86	-	-		
(ख)	क्षेत्र विकास														
12.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (मोपाल)	वाणिज्य एवं उद्योग	16-10-1987	2000-2001	2001-2002	(+63.29	-	135.01	(+159.84	294.85	(+68.52	23.24	-		
13.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (रायपुर)	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2000-2001	(+277.37	-	160.00	(+197.75	493.08	(+280.08	56.80	01		
14.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (इन्दौर)	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2001-2002	(+51.11	-	165.00	(+276.59	431.05	(+51.28	11.90	01		
15.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (जबलपुर)	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2000-2001	(+40.63	-	133.12	(+74.27	1080.37	(+170.29	15.76	01		
16.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (सीमा)	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2001-2002	(-17.44	-	80.00	(-462.12	7.96	(-5.44	-	01		
17.	म.प्र. औ. केन्द्र विकास निगम मर्यादित (वाल्मिकी)	वाणिज्य एवं उद्योग	28-05-1985	1999-2000	2000-2001	(+42.37	-	75.00	(+67.36	168.34	(+49.84	29.61	01		
	योग (ख)					(+457.33	-	748.13	(+313.29	2475.65	(+614.57	24.82	-		
(ग)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-09-1994	1995-96	1999-2000	(-10.11	-	30.00	(-12.92	360.18	(-1.12	-	05		
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	29-09-1994	1997-98	2000-2001	(-956.26	-	900.00	(-84.65	4604.70	(-891.06	-	03		
	योग (ग)					(-966.37	-	930.00	(+71.73	4964.88	(-892.18	-	-		
(घ)	सार्वजनिक वितरण														
20.	म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नागरिक आपूर्ति	03-04-1974	1998-99	2001-2002	(+195.87	-	1200.00	(+740.05	6873.49	(+1373.94	19.99	02		
	योग (घ)					(+195.87	-	1200.00	(+740.05	6873.49	(+1373.94	19.99	-		

(क)	पर्यटन	पर्यटन	24-05-1978	1996-97	2001-2002	(+)	2133.09	(-)	862.45	2192.84	(+)	16.87	0.77	04
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित					(+)	13.45	-						
	योग (ब)					(+)	13.45	-						
(ड)	वित्त प्रबंध													
22.	दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	वित्त	04-12-1926	1998-99	2000-2001	(+)	30.57	-						02
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	13-09-1965	1998-99	2000-2001	(+)	35.78	-						02
	योग (ड)					(+)	66.35	-						
(इ)	विविध													
24.	म.प्र. राज्य ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	ऊर्जा विभाग	25-08-1982	1999-2000	2000-2001	(+)	273.05	-						01
	योग (इ)					(+)	273.05	-						
	योग क					(+)	419.94	-						
ख	सांख्यिक निगम													
1.	म.प्र. राज्य विद्युत नंदल परिवहन	ऊर्जा	01-04-1957	1999-2000	2001-2002	(-)	137130.11	-						01
2.	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21-02-1962	1999-2000	2001-2002	(-)	6351.47	-						01
3.	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-06-1955	2000-2001	2001-2002	(+)	202.49	-						-
4.	म.प्र. राज्य मण्डार गृह निगम	खान एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	19-02-1958	1999-2000	2001-2002	(+)	491.94	-						01
	योग ख					(-)	142787.15	-						-
	महायोग (क + ख)					(-)	142367.21	-						-
ग	अकार्यशील कम्पनियाँ													
(क)	कृषि													
1.	म.प्र. उदकहन सिंचाई निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	13-07-1976	1988-89	2001-2002	(-)	12.69	-						12
2.	म.प्र. राज्य डैयरी विकास निगम मर्यादित	कृषि	22-03-1975	2000-2001	2001-2002	चूंकि 01.04.1983 से सभी परिसंपत्तियाँ एवं दाखिल मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ द्वारा ले ली गई हैं अतः लाभ हानि नहीं तैयार किये गये।								
	योग (क)					(-)	12.69	-						-
(ख)	उद्योग													
3.	म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित	ग्रामोद्योग विभाग	25-11-1981	1993-94	1999-2000	(+)	33.87	-						07
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	सांस्कृतिक विभाग	16-12-1981	2000-2001	2001-2002	चूंकि दिसंबर 1998 से कंपनी स्वीडिश रुप से बद हो गई है अतः लाभ-हानि खाते नहीं तैयार किये गये।								
	योग (ख)					(+)	33.87	-						-
(ग)	निर्माण													
5.	म.प्र. शेतु निर्माण निगम मर्यादित	लोक निर्माण विभाग	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-)	112.99	-						11
	योग (ग)					(-)	112.99	-						-

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वार्षिक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(घ)	वित्त प्रबंध												
6.	म.प्र. पर्यावरणी राज विस्तार एवं ग्रामीण विकास विभाग	30-03-1981	1995-96	2001-2002	(+)2.36	-	42.92	(+)18.62	(+)62.52	(+)2.36	3.77		05
	योग (घ)				(+) 2.36	-	42.92	(+) 18.62	(+)62.52	(+)2.36	3.77		-
	योग ग				(-)988.85	-	1207.00	(-)772.63	(+)461.84	(-)988.43	--	--	--
	महायोग (क+ख+ग)				(-)142456.06	--	75094.14	(-)95145.68	864123.08	(-)36004.26	--	--	--

(क) नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) एवं कार्य बालन पूंजी. उन वित्तपोषी कंपनियों/निगमों को छोड़कर जहां नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी स्वतंत्र अर्थात् निधियों, बचत पत्रों, जमाओं एवं उधारियों (युनित्स सहित) के प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष के योग के औसत के रूप में परिगणित की जाती है, प्रदर्शित करती है।

(ख) नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर व्याज निवल लाभ में जोड़ा गया है। हानि से घटाया गया है जैसा कि लाभ/हानि लेख में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-3

(कांडिका. 1.2-2 एवं 1.3.2 में सदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, दायित्वों का छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूर्णी में परिवर्तन तथा मार्च 2001 के अन्त तक प्राप्त आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तंभ 3 (क) से 7 में आंकड़े लाख रुपये में)

क्र.सं.	सामंजसित क्षेत्र के एकात्मिक का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान					वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां								वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता का अंशपूर्णी में परिवर्तन	अन्य प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता का अंशपूर्णी में परिवर्तन		
		निर्यात सहायता	प्राप्त सहायता	अन्य	योग	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां						
1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)	5 (च)	6	7
क	कार्यशील सरकारी कंपनियां																		
(क)	कृषि एवं संबद्ध																		
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	227.50 (6.00)	172.23 (-)	-	399.73 (6.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	227.50 (6.00)	172.23 (-)	-	399.73 (6.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	उद्योग																		
2	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	- (15.79)	-	-	(15.79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ख)	- (15.79)	-	-	(15.79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4(क)	4(ख)	4(ग)	5(क)	5(ख)	5(ग)	6	7
(ग)	इथकरवा एवं इस्तातिल्य											
3.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं इथकरवा विकास निगम मर्यादित	- (69.02)	- (428.74)	- (497.76)	-	950.00 (429.46)	-	950.00 (429.46)	-	-	-	-
	योग (ग)	- (69.02)	- (428.74)	- (497.76)	-	950.00 (429.46)	-	950.00 (429.46)	-	-	-	-
(घ)	वन											
4.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	- (40.00)	32.00 (-)	32.00 (40.00)	-	2000.00 (7987.99)	-	2000.00 (7987.99)	-	-	-	-
	योग (घ)	- (40.00)	32.00 (-)	32.00 (40.00)	-	2000.00 (7987.99)	-	2000.00 (7987.99)	-	-	-	-
(ङ)	निर्माण											
5.	मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	-	-	-	-	8750.54 (2467.37)	-	8750.54 (2467.37)	-	-	-	-
	योग (ङ)					8750.54 (2467.37)	-	8750.54 (2467.37)	-	-	-	-
(च)	क्षेत्र विकास											
6.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित (भोपाल)	- (100.00)	-	- (100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित (जबलपुर)	-	-	-	-	- (290.44)	-	- (290.44)	-	-	-	-
8.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित (रायपुर)	-	104.79	104.79	22.61	-	-	22.61	-	-	-	-
9.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित (रीवा)	-	-	-	-	171.29 (100.00)	-	171.29 (100.00)	-	-	-	-

10.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित (इन्दौर)	-	(520.18)	-	(520.18)	-	-	680.00 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (घ)	-	104.79 (520.18)	-	104.79 (620.18)	22.61	851.29 (390.44)	873.90 (390.44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास																
11.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम मर्यादित	-	-	-	-	-	3567.10 (745.08)	3567.10 (745.08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	-	(120.00)	-	(120.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ङ)	-	(120.00)	-	(120.00)	-	3567.10 (745.08)	3567.10 (745.08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज)	सार्वजनिक वितरण																
13	म.प्र. राज्य नगरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	9536.63	266.67	-	9803.30 (-)	2500 (2058.00)	-	2500 (2058.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (झ)	9536.63	266.67	-	9803.30	2500 (2058.00)	-	2500 (2058.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ)	पर्यटन																
14	म.प्र. राज्य विकास निगम मर्यादित	-	30.00 (258.67)	-	30.00 (429.05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ञ)	(170.38)	30.00 (258.67)	-	30.00 (429.05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ञ)	वित्त प्रबंध																
15.	म.प्र. राज्य उद्योग विकास विभाग	-	50.89	-	50.89	(1842.50)	-	(1842.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ट)	-	50.89	-	50.89	(1842.50)	-	(1842.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

[illegible]

*
कालम ३ (क) से ३ (घ) तक कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया अनुदान एवं कालम ४ (क) से ४ (ड) तक कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया गारंटिया दराति हैं।

1999-2000 की मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की जानकारी।

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

कार्यकारी वित्तीय निगम			
1. अन्यदायक सार्वजनिक विद्युत वितरण			
विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
क. देयताएं			
अंशपूजी	710.00	710.00	231.15
सरकार से ऋण	1615.08	1833.39	1930.91
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बंध पत्रों सहित)	4100.91	4801.82	5309.14
आरक्षित निधियां एवं अधिव्यय	1211.21	1352.14	3.92
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3403.61	4703.51	6914.46
योग क	11040.81	13400.86	14389.58
ख. परिसंपत्तियां			
सकल स्थाई परिसंपत्तियां	7309.23	7765.18	9119.28
घटायें मूल्य ह्रास	3143.95	3562.09	4119.16
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	4165.28	4203.09	5000.12
पूँजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य	2721.61	3181.64	2682.40
अल्प-निर्णयन मूल्य	174.32	1.19	1.41
चालू परिसंपत्तियां	3930.48	5655.04	6310.78
निवेश	44.39	355.18	392.51
वित्तीय व्यय	4.73	4.72	2.36
योग ख	11040.81	13400.86	14389.58
(ग) नियोजित पूँजी*	7413.76	8336.26	7078.84
2. अन्यदायक सार्वजनिक वित्तिय निगम			
क. देयताएं			
पूँजी, पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	182.37	182.37	182.37
सरकारी (वित्त)	23.50	23.00	22.50
	20.66	20.66	20.66
निधियां ^S	536.13	536.77	542.40
अपार दायित्व तथा अन्य चालू देयताएं (प्रावधानों सहित)	364.03	445.52	514.07
योग क	1126.69	1208.32	1282.00
ख. परिसंपत्तियां			
सकल ब्लॉक	606.34	605.84	608.52
घटायें मूल्य ह्रास	66.81	66.98	67.72
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	539.53	538.86	540.80
पूँजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य (वित्त की लागत मूल्य सहित)	4.30	4.72	14.33
निवेश	0.12	0.12	0.12
चालू परिसंपत्तियां : ऋण तथा अग्रिम	152.64	153.69	152.31
संचित हानियां	430.10	510.93	574.44
योग ख	1126.69	1208.32	1282.00
ग नियोजित पूँजी[#]	332.44	251.75	193.37

** नियोजित पूँजी निवल स्थाई परिसंपत्तियां (प्रगत्याधीन पूँजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूँजी प्रदर्शित करती है। कार्यचालन पूँजी परिगणित करते समय अस्थायित्व मूल्य के तत्त्व तथा निवेश चालू परिसंपत्तियों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

S मूल्यह्रास निधियों सहित

नियोजित पूँजी निवल स्थाई परिसंपत्तियां (प्रगत्याधीन पूँजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूँजी प्रदर्शित करती है।

3. मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम			
विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
क. देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	86.28	88.08	88.08
शेयर आयदेन राशि	-	-	-
आरक्षित निधियां तथा अन्य आरक्षित निधियों एवं आधिक्य	10.65	10.49	10.33
उधारियां:			
(i) बंध पत्र तथा ऋण पत्र	249.38	241.13	256.38
(ii) सांविधिक जमा	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	116.62	121.05	114.30
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	3.00	5.50	-
(v) शेयर पूंजी के ऋण			
क. राज्य सरकार	1.73	1.73	1.73
ख. भारतीय औद्योगिक केन्द्र	1.74	1.74	1.74
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	-	-	-
अन्य देयताएं एवं प्राक्धान	89.45	80.38	2.77
योग क	558.85	550.10	475.33
ख. परिसंपत्तियां			
रोकड़ तथा बैंक शेष	44.09	26.10	11.86
निवेश	3.55	3.50	3.45
ऋण तथा अग्रिम	349.29	369.22	309.17
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	10.18	10.08	10.49
अन्य संपत्तियां	10.13	5.14	6.33
विविध व्यय	141.61	136.06	134.03
योग ख	558.85	550.10	475.33
ग. नियोजित पूंजी*	441.00	469.56	471.14
4. मध्य प्रदेश राज्य अप्पहारगृह निगम			
विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
क. देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	8.80	8.80	8.80
पूंजी के विरुद्ध अग्रिम	-	-	-
आरक्षित निधियां एवं आधिक्य	42.68	46.86	50.34
उधारियां			
सरकारी	1.14	0.86	0.75
अन्य	16.50	28.01	32.89
व्यापार दायित्व तथा चालू देयताएं (प्राक्धानों सहित)	11.83	13.92	11.91
योग क	80.95	98.45	104.73
ख. परिसंपत्तियां			
सकल ब्लॉक	84.87	100.88	107.84
घटाएं : मूल्य ह्रास	22.34	25.90	29.05
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	62.53	74.98	78.79
पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य	3.58	3.38	3.35
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	14.84	20.09	17.56
योग ख	80.95	98.45	104.73
नियोजित पूंजी	69.12	84.53	92.82

* नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी के स्थान पर ऋण, बीज धन ऋण, आरक्षित निधियां (उनको छोड़कर जो देश के निधियों पर है और बाह्य निवेशों से समर्पित हैं) बंध पत्र जमा तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) के प्रारम्भिक ऋण शेषों के योग का माध्य प्रदर्शित करती है।

परिशिष्ट-5

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

ग. कार्यचालन परिसर निगम				
क्र.सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	4733.33	4821.66	5450.72
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता	875.51	1723.65	313.11
	योग	5608.84	6545.31	5763.83
2.	राजस्व व्यय (पूँजीगत निवल व्यय)	4413.52	4983.41	5521.27
3.	वर्ष हेतु सकल आधिक्य (+)/घाटा (-) (1+2)	1195.32	1561.90	242.56
4.	पिछले वर्ष का समायोजन	(-)27.27	(-)319.21	(-)30.66
5.	वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिक्य (+)/घाटा (-) (3+4)	1168.05	1242.62	211.90
6.	विनियोग			
	(क) मूल्य ह्रास (घटायें पूँजीगत)	455.20	475.06	613.99
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	204.53	216.90	227.91
	(ग) अन्य वन्ध पत्रों, अंशों आदि पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	606.26	708.51	1017.82
	(घ) ऋण पर कुल ब्याज तथा प्रभार (ख+ग)	810.79	925.41	1245.73
	(ङ) घटायें पूँजीगत ब्याज	220.44	274.71	276.52
	(च) राजस्व की प्रभारित निवल ब्याज (घ+ङ)	590.35	650.70	969.21
	(छ) कुल विनियोग (क+च)	1045.55	1125.76	1583.20
7.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता के के लेखांकन से पूर्व आधिक्य (+) घाटा (-) (5-6 (छ) -1 (ख))	(-)753.01	(-)1606.72	(-)1684.41
8.	निवल आधिक्य (+) घाटा (-) (5-6 (छ))	122.50	116.93	(-)1371.30
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाम*	712.85	767.63	(-)402.09
10.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाम का प्रतिशत	9.62	9.21	--
घ. कार्यचालन परिसर निगम				
क्र.सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
	परिचालन			
	(क) राजस्व	182.74	199.82	219.15
	(ख) व्यय	226.77	257.18	268.91
	(ग) आधिक्य (+) घाटा (-)	(-)44.03	(-)57.36	(-)49.76
	गैर परिचालन			
	(क) राजस्व	3.40	3.62	4.60
	(ख) व्यय	25.74	27.08	18.35
	(ग) आधिक्य (+) घाटा (-)	(-)22.34	(-)23.46	13.75
	योग			
	(क) राजस्व	186.14	203.44	223.75
	(ख) व्यय	252.51	284.26	287.26
	(ग) आधिक्य (+) घाटा (-)	(-)66.37	(-)80.82	(-)63.51
	पूँजी एवं ऋणों पर ब्याज	25.74	22.51	14.36
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाम *	(-)40.63	(-)58.31	(-)49.15

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाम निवल आधिक्य/घाटा एवं लाभ तथा हानि लेखों को प्रभारित कुल ब्याज (घटायें पूँजीगत ब्याज) प्रदर्शित करता है।

3.	मध्यप्रदेश राज्य वित्त विभाग			
	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	आय			
	(क) ऋण पर ब्याज	43.02	47.47	45.69
	(ख) अन्य आय	2.50	3.53	2.44
	योग 1	45.52	51.00	48.13
2.	व्यय			
	(क) दीर्घ कालीन ऋणों पर ब्याज	28.90	41.17	32.60
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	-	-	4.03
	(ग) अन्य व्यय	11.77	9.13	9.48
	योग 2	40.67	50.30	46.11
3.	कर पूर्व लाभ (1-2)	4.85	0.70	2.02
4.	कर हेतु प्रावधान	-	-	-
5.	अन्य विनियोग	-	4.84	-
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि *	4.85	5.54	2.02
7.	भुगतान योग्य लाभांश	33.99	41.38	47.29
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	33.75	41.87	34.62
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	7.7	8.9	7.3
4.	मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम			
	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1. आय				
	(क) भण्डार गृह प्रभार	26.58	30.38	35.05
	(ख) अन्य आय	0.81	0.79	0.83
	योग 1	27.39	31.17	35.88
2. व्यय				
	(क) स्थापना प्रभार	12.94	15.34	16.65
	(ख) अन्य व्यय	10.71	12.89	14.74
	योग 2	23.65	28.23	31.39
	कराधान के पूर्व लाभ (+) / हानि (-)	3.74	2.94	4.49
	4. अन्य विनियोग @	2.30	2.23	3.76
	5. लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.80	0.71	0.73
	6. वर्ष के लिये लाभांश	0.70	0.70	0.73
	7. नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	5.11	5.53	7.93
	8. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	7.39	6.54	8.54

* विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को दर्शाता है।

@ इसमें पूर्व वर्षों के समायोजन समाहित नहीं हैं।

परिशिष्ट-6

(कड़िका 1.2.4.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्य निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क. कार्यशील सांविधिक निगम

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

क्र.सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
	अधिष्ठापित क्षमता	----(एम डब्ल्यू)----		
(क)	ताप	2967.500	2967.500	3387.500
(ख)	जल	848.255	850.655	873.155
(ग)	गैस	--	-	-
(घ)	अन्य	--	-	-
	योग	3815.755	3818.155	4260.655
	सामान्य अधिकतम मांग	5113.000	5445.000	5665.000
	उत्पादित विद्युत	----(एम के डब्ल्यू एच)----		
(क)	ताप	17117.552	17107.063	19305.509
(ख)	जल	2323.870	2850.587	2507.163
(ग)	गैस	--	-	-
(घ)	अन्य	--	-	-
	योग	19441.422	20551.650	21812.672
	घटाएं: अनुवर्गी खपत	--	--	--
(क)	ताप	1689.269	1713.698	1878.637
	(प्रतिशत)	(9.87)	(9.68)	(9.73)
(ख)	जल	7.539	9.530	9.773
	(प्रतिशत)	(0.33)	(0.30)	(0.33)
(ग)	गैस	--	--	--
	(प्रतिशत)	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	(प्रतिशत)	--	--	--
	योग	1696.808	1723.228	1888.410
	(प्रतिशत)	(8.73)	(8.38)	(8.66)
	निवल उत्पादित विद्युत	17744.614	18828.422	19924.260
	क्रय की गई विद्युत:	12741.364	14230.201	14510.147
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	30485.978	33058.623	34434.407
	विक्रीत विद्युत	24651.849	26658.609	23546.856
	पारेषण तथा वितरण हानियाँ	5834.129	6400.014	10887.551
	भार तत्व (प्रतिशत)	66.32	68.18	69.47
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों का प्रतिशत	19.14	19.36	31.62
	विद्युतीकरण ग्रामों/नगरों की संख्या	67959	68259	68346
	विद्युतीकरण पम्प सेटों/कूओं की संख्या	1229016	1274873	1298108
	उपकेन्द्रों की संख्या	171801	187850	

2000-2001				
	पारेषण/वितरण लाइन (कि.मी. में)			
(क)	उच्च/मध्यम विद्युत दाब	243147	246323	249436
(ख)	निम्न विद्युत दाब	354503	362683	367268
	संबद्ध भार (मेगावाट में)	9987	10222	10163
	उपभोक्ताओं की संख्या	7626632	7975714	8141900
	कर्मचारियों की संख्या	97253	97265	97394
	उपभोक्ता/कर्मचारियों का अनुपात	78:1	82:1	84:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	956.07	1067.85	1128.640
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय का प्रतिशत	21.66	21.52	20.44
	विक्रीत यूनिट	(एम के डब्ल्यू एच)		
(क)	कृषि	9679.324	11714.304	9644.452
	(विक्रीत कुल यूनिटों की तुलना में हिस्सा प्रतिशत)	(39.26)	(43.94)	(40.96)
(ख)	औद्योगिक	8643.051	8163.545	7880.881
	(विक्रीत कुल यूनिटों की तुलना में हिस्सा प्रतिशत)	(35.06)	(30.62)	(33.47)
(ग)	वाणिज्यिक	692.279	739.722	777.710
	(विक्रीत कुल यूनिटों की तुलना में हिस्सा प्रतिशत)	(2.81)	(2.7)	(3.30)
(घ)	घरेलू	4044.834	4353.201	3551.984
	(विक्रीत कुल यूनिटों की तुलना में हिस्सा प्रतिशत)	(16.41)	(16.33)	(15.08)
(ङ)	अन्य	1592.361	1687.837	1691.829
	(विक्रीत कुल यूनिटों की तुलना में हिस्सा प्रतिशत)	(6.46)	(6.33)	(7.18)
	योग	24651.849	28658.609	23546.856
		(पैसे पर के डब्ल्यू एच)		
(क)	राजस्व (सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता छोड़कर)	192	181	231
(ख)	व्यय	197	205	300
(ग)	लाभ (+)/हानि (-)	(-)05	(-)24	(-)69
(घ)	सरकार से मांगी गई औसत आर्थिक सहायता (रुपयों में)	0.36	0.65	0.13
(ङ)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	0.24	0.24	0.41
2. व्यापक सार्वजनिक परिवहन निगम				
	धारित वाहनों की औसत संख्या	2238	2159	2236
	मार्ग वाहनों की औसत संख्या	1778	1643	1691
	वाहनों का उपयोग का प्रतिशत	79	76	76
	कर्मचारियों की संख्या	21635	21500	20155
	कर्मचारी वाहन अनुपात	9.66:1	9.95:1	9.01:1
	वर्ष के अंत में वरिचालन भागों की संख्या	1478	1478	1395
	मार्ग किलो मीटर	281953	281953	212517
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क)	सकल	1735.97	1846.51	1866.21

* राजस्व व्यय में मूल्यह्रास सम्मिलित हैं परंतु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

क्र.सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
(ख)	प्रभावी	1701.73	1811.27	1816.94
(ग)	निष्क्रीय	34.24	35.24	49.27
	सकल किलोमीटर की तुलना में निष्क्रीय किलोमीटरों का प्रतिशत	2	2	3
	प्रति बस प्रति दिन के औसत किलोमीटर	244	273	268
	प्रति किलोमीटर परिचालन राजस्व (पैसे)	1093.66	1066.11	1231.46
	पिछले वर्ष की आय (प्रतिशत) की तुलना में			
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1483.59	1518.10	1581.03
	लाभ (+)/हानि (-) प्रति किलोमीटर पैसे	(-)389.93	(-)451.99	(-)349.57
	परिचालित आगारों की संख्या	56	56	57
	प्रति लाख किलोमीटर पर कार्य बंग की औसत संख्या	11.25	1.13	0.99
	प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.16	0.17	0.5
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	642.44	653.84	674.27
	अधिवस अनुपात	72.60	69.42	74
	प्रति लीटर परिचालित किलोमीटर:		-	-
(क)	डीजल तेल		-	-
(ख)	इंजन तेल		-	-
	वर्ष के अंत में समावेशित स्थानों की संख्या से आबद्ध भंडारण क्षमता (लाख टनों में)	312	318	324
(क)	स्वगोदाम	11.16	11.92	12.78
(ख)	किराए के गोदाम	3.18	2.75	4.05
(ग)	योग	14.34	14.67	16.83
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त औसत भण्डारण क्षमता (लाख टन में)	12.96	13.22	14.70
	उपयोग का प्रतिशत	85	83	86
	प्रतिमीटरिक टन प्रति वर्ष औसत आय (रुपयों में)	211.44	235.80	244.10
	प्रति मीटरिक टन प्रति वर्ष औसत व्यय (रुपयों में)	183.96	214.92	215.06

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन पत्र	63	16.92	25	6.85	19	4.70
प्राप्त आवेदन पत्र	449	130.42	319	105.08	308	160.02
योग	512	147.34	344	111.93	327	164.72
स्वीकृत आवेदन पत्र	372	101.71	276	83.05	250	107.96
निरस्त/वापस किये गये/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	115	38.78	49	24.18	51	49.45
वर्ष के अंत में अंशित आवेदन पत्र	25	6.85	19	4.70	24	7.31
संवितरित ऋण	-	60.48	-	71.95		73.71
वर्ष के अंत में बकाया ऋण *	-	498.17		522.51		540.47
वर्ष के अंत में वसूली हेतु आधिदेय राशि		118.94		134.35		139.39
(क) मूल धन		30.82		25.42		20.26
(ख) ब्याज						
योग		149.76		159.77		159.65

* ब्याज सहित

	1999-2000		2000-2001		2000-2001	
	पद	राशि	पद	राशि	पद	राशि
वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में निहित राशि	236	102.15	347	147.47		अनुपलब्ध
योग	236	102.15	347	147.47		अनुपलब्ध
कुल बकाया ऋणों की तुलना में अधिवेशों की वृद्धि का प्रतिशत		30.06		30.58		29.54

परिशिष्ट-7

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (आई. आर.) दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विभाग का नाम		लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जिससे कंडिकाएं लंबित हैं
1.	ऊर्जा	04	1850	4951	1985-88
2.	परिवहन	01	356	1068	1986-97
3.	उद्योग एवं वाणिज्य	13	57	250	1986-87
4.	खनन संसाधन	01	05	22	1994-95
5.	जनजाति कल्याण विभाग	01	04	20	1994-95
6.	पर्यटन विभाग	01	07	43	1987-88
7.	गृह विभाग	01	07	51	1990-91
8.	ग्रामोद्योग	02	13	55	1986-87
9.	कृषि विभाग	01	08	63	1990-91
10.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	01	03	11	1998-99
11.	वन विभाग	01	03	25	1997-98
12.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	02	10	85	1992-93
13.	वित्त विभाग	01	07	30	1998-99
	योग	30	2330	6674	

परिशिष्ट-8

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाएं / समीक्षाएं जिनके लिये उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है की स्थिति

दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	ऊर्जा	22	2	2000-2001
2.	वसिहतन	01	--	01/2001
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	10	01	2000-2001
4.	पर्यटन	01	--	01/2001
5.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03	--	03/2001
	योग	37	03	

परिशिष्ट-9

(कांडिका 1.10 में संदर्भित)

619 बी कंपनी के नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं सारांशीकृत कार्यचालन परिणाम दर्शानेवाला विवरण पत्रक

(कॉलम 5 से 19 की संख्या लाख रुपयों में)

				केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और उसकी कंपनियां		राज्य सरकार		राज्य सरकार की कंपनियां		केन्द्र सरकार और	
--	--	--	--	---------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	------------------	--

* कोष्टक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं। 1989-90 के उपपान्त के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। परिसमापक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही उच्च न्यायालय में विचारधीन है।

परिशिष्ट-10

(संदर्भ कंडिका 2.2 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड में 31 मार्च 2000 को समाप्त विगत पांच वर्षों हेतु क्रियाकलापवार मूल/संशोधित अनुमान लाभ तथा वास्तविक लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
		(लाख रुपयों में)				
I.	विपणन सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय					
क	मूल बजट अनुमान	113.23	233.24	231.59	237.62	306.13
ख	संशोधित बजट अनुमान	167.33	219.63	313.16	391.82	(19.07)
ग	वास्तविक	178.48	140.06	125.16	(111.38)	(200.27)
II.	विक्रय केन्द्र					
क	मूल बजट अनुमान	2.29	(22.87)	23.37	8.83	27.22
ख	संशोधित बजट अनुमान	4.24	5.47	22.90	20.62	13.19
ग	वास्तविक	43.55	24.54	42.10	14.30	30.72
III.	कच्चा माल आगार					
क	मूल बजट अनुमान	(15.15)	(4.69)	(13.30)	(11.87)	(27.79)
ख	संशोधित बजट अनुमान	(7.90)	(15.72)	(14.72)	(24.80)	(18.44)
ग	वास्तविक	13.45	02.92	10.81	(16.93)	2.52
IV.	सम्पदा एवं निर्माण विभाग					
क	मूल बजट अनुमान	(13.26)	(21.12)	(2.51)	(4.37)	(10.16)
ख	संशोधित बजट अनुमान	(35.73)	13.12	5.93	(87.93)	(124.31)
ग	वास्तविक	(10.41)	45.67	60.67	(38.12)	(40.06)
V.	तकनीकी विभाग					
क	मूल बजट अनुमान	(24.75)	(45.33)	(41.62)	(46.89)	(45.53)
ख	संशोधित बजट अनुमान	(29.55)	(37.37)	(38.62)	(36.83)	(26.98)
ग	वास्तविक	(26.20)	(29.36)	(24.83)	(29.93)	(11.40)

परिशिष्ट-11

(कांडिका 2.3.2.2 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के 1999-2000 तक के पांच वर्षों के कार्यचालन परिणाम दर्शानेवाला विवरण पत्रक

(राशि लाख रुपयों में)
(कोष्ठक की राशि लाभ/हानि (-) दर्शाती है)

(कोटक की राशि लाभ / हानि (-) दर्शाती है)										
विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
भोपाल	50.03	44.47 (2.20)	114.06	34.80 (5.45)	122.86	51.33 (8.05)	130.26	65.04 (13.03)	77.56	53.04 (5.61)
बिलाई	6.66	19.12 (0.70)	9.31	22.69 (6.91)	6.43	22.61 (-)(0.41)	7.79	22.33 (-)(0.27)	5.29	24.96 (-)(0.77)
ग्वालियर	176.91	18.30 (13.80)	139.28	19.89 (8.49)	231.71	31.75 (16.62)	359.18	23.68 (25.41)	305.45	32.68 (20.87)
इंदौर	110.17	28.07 (7.55)	244.16	29.16 (19.13)	184.75	34.56 (12.65)	153.01	38.50 (8.36)	129.13	73.49 (10.19)
जबलपुर	41.88	8.31 (0.23)	59.18	9.13 (0.94)	100.94	19.66 (5.72)	115.37	18.15 (5.79)	91.99	36.12 (1.58)
रायपुर	41.02	6.97 (2.96)	25.93	10.02 (1.41)	57.26	10.94 (4.28)	46.48	11.51 (2.28)	13.60	15.86 (-)(1.82)
रीवा	48.17	3.31 (0.03)	92.92	2.34 (3.74)	65.77	5.38 (1.02)	64.52	5.86 (0.62)	90.63	14.31 (2.63)
मध्यप्रदेश के बाहर										
कराकला	25.24	81.88 (8.37)	31.38	44.94 (8.49)	21.25	75.23 (3.61)	30.42	76.95 (5.25)	31.51	55.17 (3.26)
हैदराबाद	2.25	5.95 (-)(4.48)	7.52	7.50 (-)(2.75)	13.94	9.15 (-)(2.37)	3.00	9.08 (-)(2.07)	0.91	12.58 (-)(3.91)
दिल्ली	124.93	214.37 (25.28)	174.84	92.90 (16.25)	138.49	214.13 (5.72)	300.15	178.80 (22.95)	285.49	238.58 (24.47)
योग	627.26	430.75 (56.64)	898.58	233.31 (68.06)	943.91	543.69 (10.00)	1210.27	449.90 (84.55)	1031.55	1031.55

क. प्रेषण विक्रय पर कमीशन दर्शाता है।

ख. अपनी व्यापारिक वस्तुओं का कुल क्रय विक्रय दर्शाता है।

परिशिष्ट-12

(कांडिका ख. 2.1 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की आठ लघु/सूक्ष्म पनबिजली विद्युत परियोजनाओं से संबंधित अनुमानित/ वास्तविक लागत, स्थापन की निर्धारित /वास्तविक तिथि, विद्युत का अनुमानित/वास्तविक उत्पादन आदि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	पनबिजली परियोजना का नाम (क्षेत्र/ जिले/ बाट)	लागत (लाख रुपये में)	प्रति कि.मी. लागत (लाख रुपये में)	की.मी. लागत (लाख रुपये में)	स्थापन की तिथि	अनुमानित (रुपये में)	वास्तविक (रुपये में)	विद्युत उत्पादन (किलोवाट घंटे)	वास्तविक उत्पादन (किलोवाट घंटे)	अनुमानित (रुपये में)	वास्तविक (रुपये में)	अनुमानित (रुपये में)	वास्तविक (रुपये में)
		अनुमानित	वास्तविक		निर्धारित	वास्तविक							
1.	दुर्ग जिले में रुंदी (प्रत्येक 100 कि.वा. की 2 इकाइयां)	40.82	72.46	31.64	दिसंबर 1988	मार्च 1990 एवं नवंबर 1990	15 एम व 22 एम	1992-93 से 1994-95	36.54	0.27	1440 (1992-93) से 14490 (1993-94)	0.74	120.76
2.	होशंगाबाद जिले में मोरठ (प्रत्येक 335 कि.वा. की 3 इकाइयां)	181.10	359.00	177.90	यूनिट-I- अगस्त 89 यूनिट-II- नव. 89 यूनिट-III- फर. 90	मार्च 1990 दिसं. 1990 अप्रैल 1991	7 एम 13 एम 15 एम	1990-91 से 1994-95 एवं 1996-97 एवं 2000-2001	291.00	20.74	9570 (2000-2001) से 897410 (1993-94)	7.13	18.17
3.	बेतूल जिले में सांगुडा (प्रत्येक 500 कि.वा. की 2 इकाइयां)	369.00	432.52	63.52	जनवरी 1992	मार्च 1996	49 एम	1995-96 से 2000-2001	433.38	39.04	24600 (1999-2000) से 1402500 (1997-98)	9.01	9.97
4.	सिवनी जिले में तिलवारा (250 कि.वा. की 1 इकाई)	113.24	145.06	31.82	जुलाई 1991	जनवरी 1997	66 एम	1996-97 से 2000-2001	76.44	1.93	5540 (1998-99) से 95140 (1996-97)	2.52	56.37
5.	सिवनी जिले में जलालपुर में चारगांव (800 कि.वा. की एक इकाई)	268.98	307.70	38.72	जुलाई 1991	फरवरी 1997	67 एम	1996-97 से 2000-2001	186.96	3.51	4140 (1998-99) से 196571 (1996-97)	1.88	65.75
6.	सिवनी जिले में भीमागढ़ (प्रत्येक 1200 कि.वा. की 2 इकाइयां)	343.19	618.72	275.53	जुलाई 1992	अक्टूबर 1998	76 एम	1997-98 से 2000-2001	346.44	20.81	5486 (1997-98) से 853902 (1999-2000)	6.01	17.84
7.	मुरैना जिले में चम्बल (प्रत्येक 600 कि.वा. की 3 इकाइयां)	200.98	642.51	441.53	मार्च 1990	--	--	अपूर्ण	--	--	--	--	--
8.	बिलासपुर जिले में कोरवा (परिचय) (प्रत्येक 800 कि.वा. की 1 इकाई)	91.87	381.56	289.69	मार्च 1989	--	--	अपूर्ण	--	--	--	--	--
	योग	1609.15	2959.52	1340.35					1370.66	66.30		6.30	